उत्तराखण्ड सरकार

आर्थिक सर्वेक्षण
2025-2026

अर्थ एवं संख्या निदेशालय
नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार

आर्थिक सर्वेक्षण
उत्तराखण्ड
वर्ष 2025–2026

अर्थ एवं संख्या निदेशालय
(नियोजन विभाग)
उत्तराखण्ड सरकार
37A, आई. टी. पार्क, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून (उत्तराखण्ड) 248013
दूरभाष / फैक्सः 0135–2712604
ई–मेलः dirdesuk@gmail.com | dir-des-uk@nic.in
वेबसाइटः www.des.uk.gov.in

आर्थिक सर्वेक्षण
2025–2026

मार्ग–निर्देशन

श्री आर0 मीनाक्षी सुन्दरम, प्रमुख सचिव, नियोजन
श्री देव कृष्ण तिवारी, सचिव, नियोजन
श्री सुशील कुमार, निदेशक, अर्थ एवं संख्या

समग्र पर्यवेक्षण

डॉ0 मनोज कुमार पंत, अपर निदेशक, अर्थ एवं संख्या

तकनीकी मार्गदर्शन एवं सम्पादन

डॉ0 दिनेश चन्द्र बड़ोनी, संयुक्त निदेशक

कोर समिति सदस्य

श्री ललित मोहन जोशी, उप निदेशक
श्रीमती चेतना अरोरा, अर्थ एवं संख्याधिकारी
श्री लखमी चन्द, अर्थ एवं संख्याधिकारी
श्री रितेश शर्मा, अपर सांख्यिकी अधिकारी
श्री धीरेन्द्र प्रताप सिंह, अपर सांख्यिकी अधिकारी
श्री सुन्दर सिंह तोमर, अपर सांख्यिकी अधिकारी

अध्याय लेखन

सुश्री चित्रा, संयुक्त निदेशक
श्री टी0एस0 अन्ना, संयुक्त निदेशक
श्री मनीष राणा, उप निदेशक
डॉ0 इला पंत बिष्ट, उप निदेशक
श्रीमती रश्मि हलधर, उप निदेशक
श्री ललित आर्य, उप निदेशक
श्री निर्मल कुमार शाह, उप निदेशक
श्रीमती ज्योति जोशी, उप निदेशक
श्री राजेश कुमार, उप निदेशक
श्री संजय शर्मा, अर्थ एवं संख्याधिकारी
डॉ0 मोनिका श्रीवास्तव, अर्थ एवं संख्याधिकारी
श्री गोपाल गुप्ता, अर्थ एवं संख्याधिकारी
श्री सुरेश गोयल, अर्थ एवं संख्याधिकारी
श्री महेश चन्द्र कपिल, अर्थ एवं संख्याधिकारी
श्री सतेन्द्र सिंह सैनी, अर्थ एवं संख्याधिकारी
श्री अशोक कुमार, अर्थ एवं संख्याधिकारी
श्री राजेन्द्र सिंह रावत, अपर सांख्यिकी अधिकारी
श्री आलोक कुमार, अपर सांख्यिकी अधिकारी
श्री रितेश मदवाल, अपर सांख्यिकी अधिकारी
श्री योगेन्द्र रौथाण, अपर सांख्यिकी अधिकारी
श्री मनोज कुमार, अपर सांख्यिकी अधिकारी
श्री मानसिंह कुंवर, अपर सांख्यिकी अधिकारी
श्री चन्द्रेश पाण्डेय, अपर सांख्यिकी अधिकारी
श्री नरेन्द्र राणा, अपर सांख्यिकी अधिकारी
श्रीमती ऋतु नेगी, अपर सांख्यिकी अधिकारी
श्री अरविन्द कुमार, अपर सांख्यिकी अधिकारी
श्री जयपाल सिंह, अपर सांख्यिकी अधिकारी

आनन्द बर्द्धन
(आई.ए.एस)
मुख्य सचिव

उत्तराखण्ड शासन

उत्तराखण्ड शासन
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस भवन,
सचिवालय, 4 सुभाष मार्ग,
देहरादून (उत्तराखण्ड)

प्राक्कथन

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशित किया जाता है जिसे बजट सत्र में विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है। आर्थिक सर्वेक्षण राज्य के विभिन्न क्षेत्रों के आर्थिक सामाजिक परिदृष्य को प्रस्तुत करता है।

आर्थिक सर्वेक्षण 2025–26 में राज्य की अर्थव्यवस्था के सामने आ रही चुनौतियों, अवसरों के साथ–साथ भविष्य हेतु विभिन्न रणनीतियों का समावेश कर राज्य के विकास का मूल्यांकन प्रस्तुत किया गया है। यह अर्थव्यवस्था के समस्त क्षेत्रों में विकास की दिशा तथा विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों के संबंध में व्यापक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। उत्तराखण्ड राज्य गठन के 25 वर्ष पूर्ण होने पर राज्य का रजत जयन्ती का वर्ष भी है। विगत 25 वर्षों मे राज्य ने विकास की कई क्षेत्रों में नये आयाम स्थापित किये हैं। राज्य के विकास के ग्रोथ ड्राइवर्स यथा– पर्यटन, एम0 एस0 एम0 ई0 एवं ऊर्जा जैसे क्षेत्रों मे नई–नई नीतियों का क्रियान्वयन किया गया है। राज्य में लगभग 6 करोड़ पर्यटकों का आना निसन्देह अत्यन्त सुखद है, परन्तु इन पर्यटकों के लिये आधारभूत सुविधाओं की व्यवस्था करना भी कठिन कार्य है। राज्य के विभिन्न शहरों को उड़ान योजना मे सम्मिलित कर राज्य के निवासियों के साथ–साथ पर्यटकों के लिये भी सुविधा प्रदान की गई है। राज्य गठन के इन 25 वर्षों मे उर्जा, चिकित्सा, कौशल विकास, शिक्षा, जैसे क्षेत्रों मे राज्य सरकार द्वारा विभिन्न विकास योजनाओं को संचालित किया जा रहा है।

राज्य अपनी वित्तीय आवश्यकताओं को आंशिक रूप से निर्वहन करने की स्थिति में आ चुका है एवं संसाधन जुटाने और राजस्व बढ़ाने के लिए नई नीतियां अपना रहा है। राज्य के टैक्स बेस बढ़ाने और संसाधनों के बेहतर प्रबंधन की व्यवस्था करने का प्रयास किया जा रहा है। निर्धारित सीमा के अन्तर्गत ऋण–जी0एस0डी0पी0 अनुपात, उच्च पूंजीगत परिव्यय और राजस्व अधिशेष, अर्थव्यवस्था के विकास के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। केन्द्र सरकार द्वारा जारी राज्य खनन तत्परता सूचकांक (State Mining Readiness Index-SMRI) में उत्तराखण्ड ने 'सी' कैटेगरी में अग्रणी स्थान प्राप्त किया है। यह उपलब्धि केवल एक रैंकिंग नहीं है, बल्कि यह राज्य मे सशक्त शासन मॉडल का प्रमाण है। राज्य में खनन क्षेत्र में ई–नीलामी प्रणाली को सशक्त करने एवं खनन प्रक्रियाओं को डिजिटलाइज करने के साथ ही अवैध खनन पर नकेल कसने के लिए ई–रवन्ना प्रणाली व सर्विलांस को सख्ती से लागू किया गया है।

राजस्व वृद्धि के लिये वित्त विभाग ने टैक्स संग्रह प्रणाली में सुधार करते हुए राज्य के स्त्रोतों से आय में निरंतर वृद्धि सुनिश्चित की है। जी0एस0टी0 लागू होने के बाद कर प्रशासन को आधुनिक बनाया गया, जिससे राजस्व में स्थिरता आई एवं कर चोरी में प्रभावी रोक लगी तथा जी0एस0टी0 संग्रह में लगातार वृद्धि

दर्ज हुई। भारत सरकार से माह जून 2022 में जी0एस0टी0 क्षतिपूर्ति का लाभ बन्द होने के पश्चात् भी यथा सम्भव अपने वित्तीय अनुशासन को बनाये रखा, जिससे राज्य का वित्तीय प्रबन्धन संतुलित रहा। स्टॉम्प एवं पंजीकरण की प्रक्रियाओं का डिजिटलीकरण कर इसे और अधिक जन–सुगम और पारदर्शी बनाया गया है। स्थानीय निकायों में प्रोपर्टी टैक्स में सुधार के लिए जीआईएस मैपिंग जैसी आधुनिक तकनीकों का प्रयोग करके आधार को वैज्ञानिक तरीके से बढ़ाया है, जिससे शहरों के विकास के लिए अधिक संसाधन उपलब्ध हो रहे हैं।

आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 2025–26 में वित्तीय वर्ष 2025–26 की माह दिसम्बर 2025 तक की विभिन्न विभागों की वास्तविक उपलब्धियों तथा माह मार्च 2026 तक की प्रस्तावित कार्यक्रमों/योजनाओं का उल्लेख करने का प्रयास किया गया है। यह प्रकाशन अर्थ एवं संख्या निदेशालय के अधिकारी एवं कर्मचारियों के द्वारा ससमय तैयार किया गया है, जो कि सराहनीय है।

आशा है कि प्रस्तुत प्रकाशन राज्य की सामाजार्थिक स्थिति एवं विकासात्मक गतिविधियों का आंकलन करने के अपने उद्देश्य में सफल होगा। उक्त प्रकाशन नीति–निर्धारकों, योजना निर्माताओं, सांख्यिकीविदों एवं शोधकर्ताओं के लिये उपयोगी सिद्ध होगा। आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 2025–26 को और अधिक प्रभावी एवं उपयोगी बनाने हेतु प्राप्त सुझावों का स्वागत है।

(**आनन्द बर्द्धन**)
मुख्य सचिव

आर0 मीनाक्षी सुन्दरम
(आई.ए.एस)
प्रमुख सचिव

उत्तराखण्ड शासन

नियोजन विभाग
उत्तराखण्ड शासन
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस भवन,
सचिवालय, 4 सुभाष मार्ग,
देहरादून (उत्तराखण्ड)

प्रस्तावना एवं आभार

उत्तराखण्ड राज्य का अष्ठम आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 2025–26 को अर्थ एवं संख्या निदेशालय, द्वारा तैयार किया गया है। विगत वर्षो की भाँति इस संस्करण में राज्य की अर्थव्यस्था से संबंधित विभिन्न उतार चढावों, विगत वर्षों की उपलब्धियों के साथ–साथ चालू वर्ष में राज्य द्वारा आर्थिक सामाजिक क्षेत्र की उपलब्धियों को तथ्यात्मक रूप से प्रस्तुत किये जाने का प्रयास किया गया है।

राज्य गठन के समय राज्य के पास विरासत में पहाड़ जैसा संकल्प और प्राकृतिक सौंदर्य प्राप्त था, लेकिन आर्थिक आधार सीमित था। राज्य के समय, हमारी अर्थव्यवस्था का कुल आकार लगभग ₹ 14,501 करोड़ था जो अब लगभग 26 गुना वृद्धि के साथ ₹ 3,81,889 करोड़ हो गया है।

नवीनतम अनुमानों के अनुसार, उत्तराखंड की प्रति व्यक्ति आय ₹ 2.74 लाख अनुमानित है जो राष्ट्रीय औसत, हमारे पूववर्ती राज्य उत्तर प्रदेश तथा पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश एवं हमारे साथ निर्मित राज्य झारखण्ड व छत्तीसगढ़ से अधिक है। हमारी अर्थव्यवस्था प्रारम्भ में प्राथमिक क्षेत्र अर्थात् कृषि और पारंपरिक गतिविधियों पर आधारित थी। गत 25 वर्षों में सेवा क्षेत्र, पर्यटन, ऊर्जा और उद्योग राज्य की अर्थव्यवस्था के प्रमुख स्तंभ बने है। राज्य गठन के समय GSDP में सेकेन्डरी सेक्टर अर्थात् उद्योग और विनिर्माण की हिस्सेदारी **21 प्रतिशत थी** जो आज **39.95 प्रतिशत तक** पहुँच गयी है। राज्य में सेवा क्षेत्र भी **50.46 प्रतिशत** की हिस्सेदारी के साथ विकास का प्रमुख इंजन बना है जिसके अन्तर्गत व्यापार, होटल और रेस्तरां जैसे उप–क्षेत्रों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो राज्य में पर्यटन की बढ़ती संभावनाओं को दर्शाती है।

वर्ष 2001–02 में जहाँ कुल बजट अनुमान मात्र ₹ 4,506 करोड़ रुपये था, जो की वर्ष 2025–26 में बढ़कर ₹ 1,01,175 करोड़ रुपये तक पहुँच गया है। राज्य गठन के प्रारम्भिक वर्षो में गरीबी का प्रतिशत 32. 70 था, जो आज लगभग 6.92 प्रतिशत रह गया है। राज्य में रोजगार की दृष्टि से श्रमबल भी 45 प्रतिशत से बढकर 60 प्रतिशत हो गया है। यह गत 25 वर्षो में बदले आर्थिक परिदृष्य का ही कारण है जिसमें केवल समृद्धि ही नहीं बल्कि आत्मनिर्भरता तथा विश्वास भी दिखायी देता है।

अर्थ एवं संख्या विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण तैयार कर बजट सत्र में विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है। आर्थिक सर्वेक्षण जहां एक ओर राज्य की आर्थिक तथा समाजिक क्षेत्र की उपलब्धियों को तथ्यात्मक रूप से प्रस्तुत करता है वही दूसरी ओर राज्य के विभिन्न विभागों द्वारा किये जाने वाले कार्यों को प्रदर्शित करता है।

आर्थिक सर्वेक्षण के निर्माण में अर्थ एवं संख्या निदेशालय द्वारा विभागीय अधिकारियों के सहयोग से अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गयी है। आर्थिक सर्वेक्षण के संकलित अध्यायों के परिमार्जन, परिवर्द्धन,

परिनिरीक्षण एवं सम्पादन हेतु निदेशक, श्री सुशील कुमार, की अध्यक्षता तथा अपर निदेशक– श्री पंकज नैथानी एवं डॉ0 मनोज कुमार पंत के पर्यवेक्षण में गठित कोर टीम के सदस्यों, संयुक्त निदेशक– डॉ0 दिनेश चन्द्र बडोनी, उप निदेशक श्री ललित मोहन जोशी, अर्थ एवं संख्याधिकारी श्रीमती चेतना अरोरा, श्री लख्मी चंद तथा अपर सांख्यिकीय अधिकारी– श्री रितेश शर्मा, श्री धीरेन्द्र प्रताप सिंह, एवं श्री सुन्दर सिंह तोमर तथा अध्याय लेखन हेतु कोर कमेटी के सदस्यों के अतिरिक्त संयुक्त निदेशक– सुश्री चित्रा, श्री टी0एस अन्ना, उप निदेशक– श्री मनीष राणा, डॉ0 इला पन्त बिष्ट, श्रीमती रश्मि हलधर, श्री ललित आर्य, श्री निर्मल कुमार शाह, श्रीमती ज्योति जोशी, श्री राजेश कुमार एवं अर्थ एवं संख्याधिकारी– श्री संजय शर्मा, डॉ0 मोनिका श्रीवास्तव, श्री गोपाल गुप्ता, श्री सतेन्द्र कुमार सैनी, श्री अशोक कुमार, शोध अधिकारी श्री महेश चन्द कपिल, श्री सुरेश गोयल, तथा सहयोग हेतु अपर सांख्यिकीय अधिकारी– श्री राजेन्द्र सिंह रावत, श्री आलोक कुमार, श्रीमती ऋतु नेगी, श्री सुन्दर सिंह तोमर, श्री योगेन्द्र सिंह रौथाण, श्री मानसिंह कुवर, श्री मनोज कुमार, श्री चन्द्रेश पाण्डेय, श्री नरेन्द्र सिंह, श्री अरविन्द कुमार सैनी, श्री जयपाल सिंह तथा सी0 पी0 पी0 जी0 जी0 के श्री शेलेन्द्र सिंह एवं श्री अजय पुरोहित का विशेष धन्यवाद ज्ञापित करते हुए टंकण एवं अन्य कार्यो में सहयोग देने हेतु श्री दीपक सिंह गुसाई तथा अन्य समस्त डाटा एण्ट्री ऑपरेटरों एवं पी0आर0डी0 कर्मचारियों का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ।

अन्त में अर्थ एवं संख्या निदेशालय की ओर से श्री पुष्कर सिंह धामी, माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा, एवं मुख्य सचिव महोदय का आर्थिक सर्वेक्षण को बनाने में प्रोत्साहन प्रदान करने हेतु हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। इसके अतिरिक्त समस्त विभागों के विभागाध्यक्षों तथा विभागीय अधिकारियों का विभाग से सम्बन्धित आवश्यक तथ्य, सूचनायें, ऑकड़े तथा विवरण उपलब्ध कराने के लिए धन्यवाद करता हूँ। मैं समस्त प्रमुख सचिव, सचिव तथा प्रभारी सचिवों का उनके सहयोग तथा मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद देता हूँ।

(**श्री आर0 मीनाक्षी सुन्दरम**)
प्रमुख सचिव

आर्थिक सर्वेक्षण
वर्ष 2025–26
विषय सूची

क्रम संख्या	अध्याय विवरण	पृष्ठ संख्या
	शब्द संक्षेप	i-xxviii
	राज्य की अर्थव्यवस्था	
1	उत्तराखण्ड की अर्थव्यवस्था का सिंहावलोकन	01–12
2	राज्य आय एवं लोक वित्त	13–29
3	कराधान	30–42
4	भाव संचलन	43–49
	कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र	
5	कृषि, गन्ना एवं उद्यान	51–73
6	पशुपालन, दुग्ध विकास एवं मत्स्य	74–90
7	सहकारिता	91–100
8	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	101–105
9	वन एवं पर्यावरण	106–121
	सेवा क्षेत्र	
10	परिवहन एवं संचार	123–134
11	पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन	135–146
12	बैंकिग एवं संस्थागत वित्त	147–166
	अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास	
13	विद्युत	168–179
14	जल संसाधन एवं प्रबन्धन	180–196
15	सड़क एवं रेल	197–202
16	उद्योग	203–223
17	श्रम रोजगार एवं कौषल विकास	224–240
	ग्रामीण एवं शहरी विकास	
18	ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज	242–263
19	शहरी विकास एवं आवास	264–280

क्रम संख्या	अध्याय विवरण	पृष्ठ संख्या
	मानव विकास	
20	शिक्षा	282–311
21	स्वास्थ्य	312–327
22	महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास	328–335
23	सत्त विकास लक्ष्य	336–344
24	खेल एवं युवा कल्याण	345–357
25	समाज कल्याण	358–372
	ई–सुशासन	
26	सूचना एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी	374–392
27	राजस्व एवं आपदा प्रबन्धन	393–403

शब्द संक्षेप (Abbreviations)

AAI-	Airports Authority of India
ABC-	Animal Birth Control
AE-	Actual Estimates
ADB-	Asian Development Bank
AIC-	Artificial Insemination Centres
AICTE-	All India Council for Technical Education
AIDS-	Acquired Immune Deficiency Syndrome
AIF-	Agri Infrastructure Fund
AIIB-	Asian Infrastructure Investment Bank
AIIMS-	All India Institute of Medical Sciences
ALS-	Advance Life Support
AMRUT-	Atal Mission for Rejuvenation And Urban Transformation
AMR-	Automatic Meter Reading
ANC-	Ante Natal Care
ANM-	Auxiliary Nurse Midwifery
AMI-	Agricultural Marketing Infrastructure
ANC-	Absolute Neutrophil Count
APEDA-	Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority
APMC-	Agricultural Produce Marketing Committee
APO-	Annual Plan of Action
APY-	Atal Pension Yojana
ARC-	Advance Release Calendar
ART-	Anti-Retroviral Therapy
ASCAD-	Assistance To State For Control Of Animal Diseases
ASER-	Annual Status of Education Report
ASHA-	Accredited Social Health Activist
AT&C-	Aggregate Technical and Commercial
ATF-	Aviation Turbine Fuel
ATM-	Automated Teller Machine
AYUSH-	Ayurvedic, Yoga and Naturopathy, Unani, Siddha and Homeopathy
BADP-	Border Area Development Programme
B to C-	Business to Customer
BAIF-	Bharatiya Agro Industries Foundation
BBBP-	Beti Bachao Beti Padhao
BBPS-	Bharat Bill Payment System
BCARLIP-	Bio-Diversity Conservation and Rural Livelihood Improvement Plan
BCC-	Basic Computer Course
BE-	Budget Estimates
BHMCT-	Bachelor of Hotel Management and Catering Technology
BIS-	Bureau of Indian Standards
BLC-	Beneficiary Led Construction

BLS-	Basic Life Support
BPL-	Below Poverty Line
BPO-	Business Process Outsourcing
BRAP-	Business Reforms Action Plan
BRO-	Border Roads Organisation
BRTF-	Border Roads Task Force
BSNL-	Bharat Sanchar Nigam Limited
BSUP-	Basic Service for Urban Poor
BVS-	Block vaccine store
CAD-	Computer-aided Design
CAF-	Common Application Form
CAGR-	Compound Annual Growth Rate
CALC-	Computer aided Learning Centre
CAMPA-	Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority
CAP-	Centre for Aromatic Plants
CAS-	Common Application Software
CBAC-	Context Based Access Control
CBE-	Community Based Events
CBOs-	Community Based Organisations
CBS-	Core Banking System
CCMP-	Cyber Crisis Management Technology
CCPs-	Cold chain Points
CCTNS-	Crime and Criminal Tracking Network & System
CCTV-	Closed Circuit Television
CD RATIO-	Credit Deposit Ratio
CDTP-	Community Development Through Polytechnics
CEA-	Central Electricity Authority
CEMB-	Center of Excellence in Mountain Biology
CGHS-	Central Government Health Scheme
CGSSD-	Credit Guarantee Scheme for Subordinate Debt
CGST-	Centre Goods & Services Tax
CHCs -	Community Health Centres
CII-	Critical Information Infrastructure
CIPET-	Central Institute of Plastics Engineering & Technology
CISF-	Central Industrial Security Force
CISO-	Chief Information Security Officer
CITIIS-	City Investment Innovation Integrated and Sustain
CLR-	Commissionerate of Land Revenue
CMERI-	Central Mechanical Engineering Research Institute
CMO-	Chief Medical Officer
CMP-	Comprehensive Mobility Policy
COVID-	Corona Virus Disease
CPCB-	Central Pollution Control Board

CPI-	Consumer Price Index
CSCs-	Common Service Centres
CSIR-	Council of Scientific & Industrial Research
CSO-	Central Statistics Office
CSP-	City Sanitation Plan
CSR-	Corporate Social Responsibility
CWC-	Central Water Commission
CWSN-	Children With Special Needs
DARC-	Drone Application and Research Centre
DAY-NRLM-	Deendayal Antodaya Yojana - National Rural Livelihood Mission
DBT-	Direct Benefit Transfer
DCCC-	Dedicated Covid Care Centre
DCH-	Dedicated Covid Hospital
DCHC-	Dedicated Covid Health Centre
DCUs-	Departmental Commercial Undertakings
DDRC-	District Disability Rehabilitation Centre
DDUGJY-	Deen Dayal Upadhyay Gram Jyoti Yojana
DEA-	Department of Economic Affair
DEDS-	Dairy Entrepreneurship Development Scheme
DES-	Directorate of Economics & Statistics
DGCA-	Directorate General of Civil Aviation
DGCIS-	Directorate of General of Commercial Intelligence and Statistics
DGFT-	Director General of Foreign Trade
DGPS-	Differential Global Positioning System
DIC-	District Industries Center
DIDF-	Dairy Infrastructure Development Fund
DIET-	District Institute of Education & Training
DILRMP-	Digital India Land Record Modernisation Programme
DIPP-	Department of Industrial Policy and Promotion
DMRC-	Delhi Metro Rail Corporation
DMS-	Distribution Management System
DMS-	Document Management System
DPA-	Direct Productive Activities
DPR-	Detailed Project Report
DPS-	District Project Societies
DQAS-	Daily Quick Audit System
DRI-	Differential Rate of Interest
DRIP-	Dam Rehabilitation Improvement Program
DSI-	Dynamic Systems Initiative
DST-	Department of Science & Technology
DSUCP-	Development of Smart Urban Cluster Project
DTH-	Direct To Home
DVS-	District Vaccine Store

DVS-	Dynamic Vapor Sorption
DWSM-	District Water and Sanitation Mission
EBB-	Educationally Backward Blocks
ECHS-	Ex-servicemen Contributory Health Scheme
EIA-	Environmental Impact Assessment
ECLGS-	Emergency Credit Line Guarantee Scheme
EEPC-	Engineering Export Promotion Council of India
EMI-	Equated Monthly Installment
E-NAM-	E-National Agriculture Market
EODB-	Ease Of Doing Business Score
EPI-	Export Preparedness Index
E-POS-	Electronic Point of Sale
ERP-	Enterprise Resource Planning
ESI-	Employees State Insurance
ETS-	Electronic Total Station
eVIN-	Electronic Vaccine Intelligence Network
EV-	Electric Vehicles
EWS-	Economically Weaker Section
FC-	Fitness Certificate
FCI-	Food Corporation of India
FDR-	Fixed Deposit Receipt
FHTC-	Functional Household Tap Connection
FIDF-	Fisheries and Aquaculture Infrastructure Development Fund
FIEO-	Federation of Indian Export Organization
FLCs-	Financial Literacy Centers
FMD-	Foot and Mouth Disease
FMS-	Facility Management Service
FPF-	Food Processing Fund
FPO-	Food Process Order
FPS-	Fair Price Shop
FRBMA-	Fiscal Responsibility and Budget Management Act
FRP-	Fibre-Reinforced Plastic
FRTU-	Feeder Remote Terminal Unit
FSA-	Food Security Allowance
FSD-	Foundation for Sustainable Development
FSI-	Forest Survey of India
FSSAI-	Food and Safety Standards Authority of India
G to C-	Government to Citizen
GBPS-	Gigabits per second
GCF-	Green Climate Fund
GDI-	Gender Development Index
GDP-	Gross Domestic Product
GER-	Gross Enrolment Ratio

GFCF-	Gross Fixed Capital Formation
GIS-	Geographic Information System
GIS-	Gas Insulated Switchgear
GIHM-	Government Institute of Hotel Management
GLOF-	Glacial Lake Outburst Flood
GMVN-	Garhwal Mandal Vikas Nigam
GoI-	Government of India
GPDP-	Gram Panchayat Development Plan
GPS-	Global Positioning System
GSDP-	Gross State Domestic Product
GST-	Goods & Services Tax
GSVA-	Gross State Value Added
GVA-	Gross Value Added
GVO-	Gross Value Output
H-	Hectare
HARC-	Himalayan Action Research Centre
HCI-	Hyper Convergent Infrastructure
HDI-	Human Development Index
HDPE-	High Density Polyethylene
HDR-	Human Development Report
HIV-	Human Immunodeficiency Virus
HLDSC-	High Level Data Standard Committee
HMIS-	Health Management Information System
HOPE-	Helping Out People Everywhere
HP-	Horse Power
HPSEBL-	Himachal Pradesh State Electricity Bill
HPPCL-	Himachal Pradesh Power Corporation Limited
HT-	High Tension
HTLS-	High Temperature Low Sag
HUF-	Hindu Undivided Family
HVDS-	High Voltage Distribution System
IAS-	Indian Administrative Services
ICAP-	Integrated Cluster Action Plan
ICDP-	Integrated Co-operative Development Programme
ICDS-	Integrated Child Development Scheme
ICT-	Information and Communications Technology
ICU-	Intensive Care Unit
IDA-	International Development Association
IEC-	Information, Education and Communication
IFAD-	International Fund for Agriculture Development
IFSR-	Indian Forest Survey Report
IGNOU-	Indira Gandhi National Open University
IGST-	Integrated Goods & Services Tax

IHM-	Institute of Hotel Management
IIFM-	Indian Institute of Forest Management
ILSP-	Integrated Livelihood Support Project
ILR-	Ice Line Refrigerators
IMA-	Integrated Modal Agriculture
IMD-	Indian Meteorological Department
IMR-	Infant Mortality Rate
IMIS-	Integrated Management Information System
INDCs-	Intended Nationally Determined Contributions
ISBT-	Inter-State Bus Terminus
ISRO-	Indian Space Research Organization
IT-	Information Technology
IIT-	Indian Institute of Technology
ITDA-	Information Technology Development Agency
IPCC-	International Panel on Climate Change
IPD-	In-Patient Departments
IPDS-	Integrated Power Development Scheme
IPHS-	Indian Public Health Standards
IPR-	Intellectual Property Rights
IRCTC-	Indian Railways Catering and Tourism Corporation
IRC-	India Roads Congress
IRS-	Incident Response System
ISAM-	Integrated Scheme for Agricultural Marketing
ISFR-	India State of Forest Report
ISM-	Indian School of Mines
ISO-	International Standards Organization
IVDP-	Integrated Village Development Project
IWMP-	Integrated Watershed Management Programme
JEE-	Joint Entrance Examination
JICA-	Japan International Cooperation Agency
JJM-	Jal Jeevan Mission
JLG-	Join Liability Group
JNNURM-	Jawaharlal Nehru National Urban Renewal Mission
KCC-	Kisan Credit Card
KGBV-	Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya
KMS-	Knowledge Management System
KMVN-	Kumaon Mandal Vikas Nigam
KPIs-	Key Performance Indicators
KRC-	Key Resource Centre
KSY-	Kishori Shakti Yojana
KV-	Kilo Volt
KVIC-	Khadi and Village Industries Commission
LAN-	Local Area Network

LAP-	Local Area Plan
LBW-	Low Birth Weight
LED-	Light Emitting Diode
LFPR-	Labor Force Participation Rate
LGD-	Local Government Directory
LIG-	Low-Income Group
LPCD-	Liters Per Capita Daily
LT-	Low Tension
MAP-	Medicinal Aromatic Plants
MBA-	Master of Business Administration
MBBS-	Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery
MBPS-	Megabits Per Second
MCP Card-	Mother & Child Protection Card
MDF-	Moderately Dense Forest
MDM-	Mid day Meal
MDT-	Multi Drug Therapy
MGNREGA-	Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act
MIF-	Micro Irrigation Fund
MIG-	Middle Income Group
MIS-	Management Information System
MLD-	Millions of Liters per Day
MLHP-	Mid Level Health Providers
MM-	Millimeter
MMR-	Maternal Mortality Rate
MMS-	Miracle Mineral Solution
MNRE-	Ministry of New and Renewable Energy
MoRD-	Ministry of Rural Development
MOSPI-	Ministry of Statistics & Programme Implementation
MoU-	Memorandum of Understanding
MPCE-	Monthly Per Capita Expenditure
MPI-	Multidimensional Poverty Index
MPLS-	Multiprotocol label switching
MSBY-	Mukhyamantri Swasthya Bima Yojan
MSC-	Multi-Service Center
MSE-	Micro Small Enterprises
MSME-	Micro Small & Medium Enterprises
MSP-	Minimum Support Price
MSW-	Municipal Solid Waste
MTR-	Mass Transit Railway
MU-	Mega Unit
MVA-	Mega Volt Ampere
MV Tax-	Motor Vehicle Tax
MW-	Mega Watt

NAAC-	National Assessment and Accreditation Council
NABCONS-	Nabard Consultancy Services
NABH-	National Accreditation Board for Hospital
NABL-	National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories
NACO-	National AIDS Control Organisation
NAD-	National Asset Directory
NAMP-	National Air Quality Monitoring Programme
NAPDDR-	National Action Plan for Drug Demand Reduction
NAPSrC-	National Action Plan for Welfare of Senior Citizens
NAS-	National Assessment Survey
NCDC-	National Cooperative Development Corporation
NCDs-	Non-Communicable Diseases
NCERT-	National Council of Educational Research and Training
NCF-	National Curriculum Framework
NCIIPC-	National Critical Information Infrastructure Protection Centre
NCVT-	National Council of Vocational Training
NDMA-	National Disaster Management Authority
NDP-	Net Domestic Product
NDSI-	Normalized Difference Snow Index
NERS-	National Emergency Response System
NHAI-	National Highway Authority of India
NHM-	National Health Mission
NEET-	National Eligibility cum Entrance Test
NEFT-	National Electronic Fund Transfer
NEGP-	National e-Governance Plan
NFHS-	National Family Health Survey
NFSA-	National Food Security Act
NFSM-	National Food Security Mission
NHA-	National Health Authority
NHIDCL-	National Highways and Infrastructure Development Corporation Limited
NHM-	National Health Mission
NIC-	National Informatics Centre
NIDA-	NABARD Infrastructure Development Assistance
NIE-	National Implementing Entity
NIELIT-	National Institute of Electronics and Information Technology
NIFT-	National Institute of Fashion Technology
NIH-	National Institute of Hydrology
NII-	National Information Infrastructure
NIMHANS-	National Institute of Mental Health and Neuro-Sciences
NIOS-	National Institute of Open Schooling
NIP-	National Infrastucture Pipeline
NIRD-	National Institute of Rural Development
NIT-	National Institutes of Technology

NITI-	National Institution for Transforming India
NITRA-	Northern India Textile Research Association
NKN-	National College Network
NMAET-	National Mission on Agricultural Extension & Technology
NMET-	National Mineral Exploration Trust
NMHP-	National Mental Health Programme
NMHS-	National Mission on Himalayan Studies
NMOOP-	National Mission on Oilseeds and Oil Palm
NMR-	Neo-Natal Mortality Rate
NMSA-	National Mission for Sustainable Agriculture
NOFN-	National Optical Fiber Network
NOHP-	National Oral Health Programme
NPA-	Non Performing Assets
NPCB-	National Programme for Control Blindness
NPCC-	National Project Construction Corporation
NPCDCS-	National Programme For Prevention and Control of Cancer, Diabetes, Cardiovascular Disease and Stroke
NPEGEL-	National Programme for Education of Girls at Elementary Level
NPHCE-	National Programme for Health Care of the Elderly
NPP-	National Panchayat Portal
NPPCD-	National Programme for Prevention and Control of Deafness
NPS-	National Pension Scheme
NPV-	Net Present Value
NQM-	National Quality Monitors
NRDWP-	National Rural Drinking Water Programme
NRLM-	National Rural Livelihood Mission
NSS-	National Service Scheme
NSRMP-	National Seismic Risk Management Project
NSQF-	National Skills Qualifications Framework
NSSO-	National Sample Survey Office
NTEP-	National Type Evaluation Programme
NTFP-	Non-Timber Forest Products
NTPC-	National Thermal Power Corporation
NTRO-	National Technical Research Organisation
NUHM-	National Urban Health Mission
NULM-	National Urban Livelihood Mission
NWMP-	National Water Quality Monitoring Programme
ODF-	Open Defecation Free
OF-	Open Forest
OFC-	Optical Fiber Cable
OMMAS-	Online Management Monitoring and Accounting System
OPD-	Out Patient Department
OPGW-	Optical Ground Wire

OPS-	Other Priority Sector
OTS-	One Time Settlement
PACCS-	Primary Agricultural Cooperative Credit Society
PACS-	Primary Agricultural Credit Societies
PAN-	Permanent Account Number
PCO-	Public Call Office
PCS-	Provincial Civil Services
PDF-	Portable Document Format
PE-	Provisional Estimates
PEQ-	Post Entry Quarantine
PESA-	Panchayats (Extension to the Scheduled Areas) Act
PFC-	Power Finance Corporation
PFMS-	Public Financial Management System
PGCIL-	Power Grid Corporation of India Limited
PGS-	Participatory Guarantee System
PHCs-	Primary Health Centres
PhD-	Doctor of Philosophy
PIC-	Patent Information Centre
PIU-	Project Implementation Unit
PKVY-	Prampragat Krishi Vikas Yojana
PLFS-	Periodic Labor Force Survey
PMA-	Project Management Agency
PMAGY-	Pradhan Mantri Aadarsh Gram Yojana
PMEGP-	Prime Minister's Employment Generation Programme
PMFBY-	Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana
PMFME-	Pradhan Mantri Formalization of Micro food processing Enterprises
PMGDISHA-	Pradhan Mantri Gramin Digital Saksharta Abhiyan
PMGSY-	Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana
PMJAY-	Pradhan Mantri Jan Arogya Yojna
PMJDY-	Pradhan Mantri Jan-Dhan Yojana
PMJJBY-	Pradhan Mantri Jivan Jyoti Bima Yojana
PM-KMY-	Pradhan Mantri Kisan Maandhan Yojna
PMKSY-	Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana
PMKUSUM-	Pradhan Mantri Kissan Urja Suraksha evam Utthan Mahaabhiyaan
PMKVY-	Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana
PMMVY-	Pradhan Mantri Matri Vandana Yojana
PMMY-	Pradhan Mantri Mudra Yojana
PMSBY-	Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana
PM-SYM-	Pradhan Mantri Shram Yogi Maandhan
PMU-	Project Management Unit
PNB-	Punjab National Bank
PODF-	Producers Organization Development Fund
POP-	Point Of Presence

PPD-	Prearranged Payment Deposit
PPP-	Public Private Partnership
PRASAD-	Pilgrimage Rejuvenation And Spiritual Augmentation Drive
PRD-	Prantiya Raksha Dal
PRT-	Personal Rapid Transit
PSB-	Public Sector Banks
PTCUL-	Power Transmission Corporation Limited of Uttarakhand
PURNA-	Providing Ultra-Rich Nutrition to Adolescent Girls
PVC-	Poly Vinyl Chloride
PWD-	Person With Disability
RAD-	Rapid Application Development
RAFTAR-	Remuneration Approaches for Agriculture and Allied sector Rejuvenation
RAP-	Rural Authorized Person
RAPDRP-	Restructured Accelerated Power Development and Reforms Programme
RAS-	Recirculation Aquaculture System
RBF-	River Bank Filtration
RBSK-	Rashtriya Bal Swasthya Karyakram
RC-	Registration Certificate
RCH-	Reproductive and Child Health
RE-	Revised Estimates
RET-	Rare Endangered Threats
RERA-	Real Estate Regulatory Act
RFA-	Recorded Forest Area
RFID-	Radio Frequency Identification Data
RIDF-	Rural Infrastructure Development Fund
RKVY-	Rashtriya Krishi Vikas Yojana
RMSA-	Rashtriya Madhyamik Sikhsha Abhiyan
RMU-	Ring Main Unit
ROB-	Railway Over Bridge
ROR-	Records of Rights
ROT-	Receive Only Terminal
RPL-	Recognition of Prior Learning
RRB-	Regional Rural Banks
RSETI-	Rural Self Employment Training Institutes
RT-DAS-	Real Time Data Acquisition System
RTE-	Right To Education
RTGS-	Real Time Gross Settlement
RTI-	Research Triangle Institute
RTO-	Regional Transport Office
RUSA-	Rashtriya Uchchatar Shiksha Abhiyan
RUTF-	Ready to Use Therapeutic Food
RVs-	Recreational Vehicles
RVS-	Regional Vaccine Store

RVS-	Rapid Visual Screening
SAC-	Space Application Center
SAPCC-	State Action Plan on Climate Change
SBA-	Skill Birth Attendant
SC-	Scheduled Castes
SCADA-	Supervisory Control And Data Acquisition
SCERT-	State Council of Educational Research & Training
SCSP-	Special Component Sub Plan
SCVT-	State Council of Vocational Training
SDGs-	Sustainable Development Goals
SDI-	Strategic Defense Initiative
SDMIS-	School District Management Information System
SDRF-	State Disaster Response Fund
SECC-	Socio Economic Cast Census
SECI-	Solar Energy Corporation of India
SFS-	State Food Scheme
SGFI-	School Games Federation of India
SGHS-	State Government Health Scheme
SGST-	State Goods & Services Tax
SJVNL-	Satluj Jal Vidyut Nigam Limited
SHC-	Soil Health Card
SHG-	Self Help Group
SIDCUL-	State Industrial Development Corporation of Uttarakhand
SIEMAT-	State Institute of Educational Management & Training
SIT-	Satellite Interactive Terminal
SLBC-	State Level Bankers Committee
SMA-	Special Mention Account
SMAE-	Sub Mission on Agriculture Extension
SMAM-	Sub Mission on Agriculture Mechanization
SMPP-	Sub Mission on Plant Protection
SMSP-	Sub Mission for Seed and Planting
SNF-	Solids Non Fat
SNUSP-	Support to National Urban Sanitation Policy
SOC-	Social Overhead Capital
SOP-	Standard Operations Procedures
SPCB-	State Pollution Control Board
SPMRM-	Shyama Prasad Mukherji Rurban Mission
SPS-	Specialist Pharmacy System
SQM-	State Quality Monitors
SRB-	Sex Ratio at Birth
SRLM-	State Rural Livelihood Mission
SRS-	Sample Registration System
SSA-	Sarv Shiksha Abhiyan

SSDG-	State Service Delivery Gateway
SSIs-	Small Scale Industries
ST-	Scheduled Tribes
STIs-	Sexually Transmitted Infections
STP-	Sewerage Treatment Plant
STPI-	Software Technology Parks of India
STSAO-	Short Term Seasonal Agriculture Operation
SVEP-	Startup Village Entrepreneurship Programme
SVS-	State vaccine store
SWAN-	State Wide Area Networks
SWIS-	Sheep and Wool Improvement Scheme
SWSM-	State Water and Sanitation Mission
TAC-	Technical Assistance Center
TB-	Tuberculosis
TEQIP-	Technical Education Quality Improvement Programme
TERT-	Tata Energy Research Institute
TFR-	Total Fertility Rate
THDC-	Tehri Hydro Development Corporation
TMP-	Training Management Portal
ToR-	Term of Reference
TPS-	Town Planning Scheme
TRC-	Technical Resource Centre
TSP-	Tribal Sub Plan
U5MR-	Under Five Mortality Rate
UA-URIP-	Uttaranchal-Urban Reform Incentive Programme
UAV-	Unmanned Aerial Vehicle
UBRI-	Uttarakhand Biotechnology Research Institute
UBSE-	Uttarakhand Board of School Education
UCADA-	Uttarakhand Civil Aviation Development Authority
UCB-	Uttarakhand Council for Biotechnology
UCOST-	Uttarakhand Council of Science & Technology
UDID-	Unique Disability ID
UDISE-	Unified District Information System for Education
UDRP-	Uttarakhand Disaster Recovery Project
UDWDP-	Uttarakhand Decentralised Watershed Development Project
UGCIS-	Uttarakhand Geo-Special Constituency Information System
UHND-	Urban Health and Nutrition Day
UIDAI-	Unique Identification Authority of India
UJS-	Uttarakhand Jal Sansthan
UJVNL-	Uttarakhand Jal Vidyut Nigam Limited
UKAVP-	Uttarakhand Awas and Vikas Parishad
UKHDR-	Uttarakhand Human Development Report
UKHSDP-	Uttarakhand Health System Development Programme

UKPFMS-	Uttarakhand Public Financial Management System
UKSDI-	Uttarakhand Special Data Infrastructure
UKSDM-	Uttarakhand Skill Development Mission
UKSSSC-	Uttarakhand Subordinate Service Selection Commission
ULDB-	Uttarakhand Livestock Development Board
UMANG-	Unified Mobile Application for New-age Governance
UMTC-	Urban Mass Transit Company
UNDP-	United Nation Development Programme
UPCL-	Uttarakhand Power Corporation Limited
UPHC-	Urban Primary Health Centre
UPNRM-	Umbrella Programme for Natural Resources Management
UPSIDC-	Uttar Pradesh State Industrial Development Corporation
UREDA-	Uttarakhand Renewable Energy Development Agency
URIF-	Urban Reform Incentive Programme
URMIS-	Uttarakhand River Morphological Information System
URRDA-	Uttarakhand Rural Roads Development Agency
USAC-	Uttarakhand Space Application Centre
USAATA-	Uttarakhand Social Audit Accountability and Transparency Agency
USDMA-	Uttarakhand State Disaster Management Authority
USERC-	Uttarakhand Science Education and Research Centre
USRLM-	Uttarakhand State Rural livelihood Mission
USWAN-	Uttarakhand State Wide Area Network
USWDB-	Uttarakhand Sheep and Wool Development Board
UTDB-	Uttarakhand Tourism Development Board
UTGST-	Union Territory Goods and Service Tax
UTIITSL-	UTI Infrastructure Technology and Service Limited
VAT-	Value Added Tax
VDF-	Very Dense Forest
VHSNC-	Village Health, Sanitation and Nutrition Committee
VLTD-	Vehicle Location Tracking Device
VRA-	Vulnerability and Risk Analysis
VWSM-	Village Water and Sanitation Mission
WASH-	Wash Sanitation and Hygiene
WLL-	Wireless Local Loop
WPI-	Wholesale Price Index

उत्तराखण्ड
(2000–2025)

Economy and Fiscal Indicators

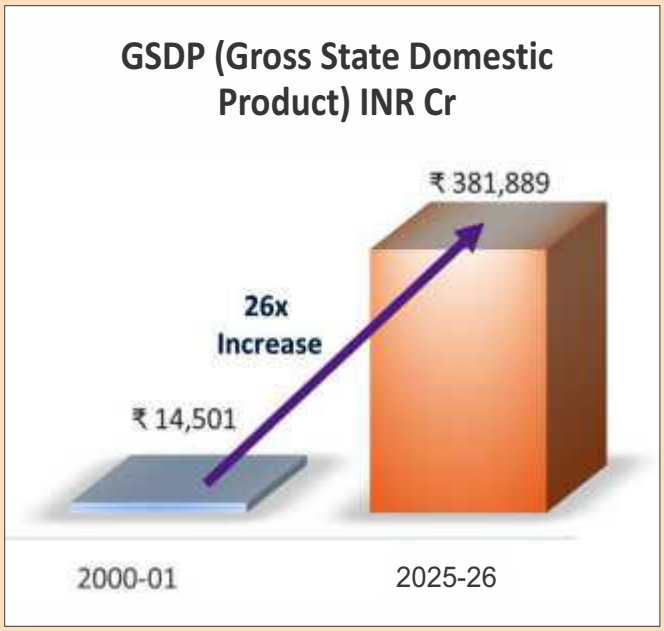

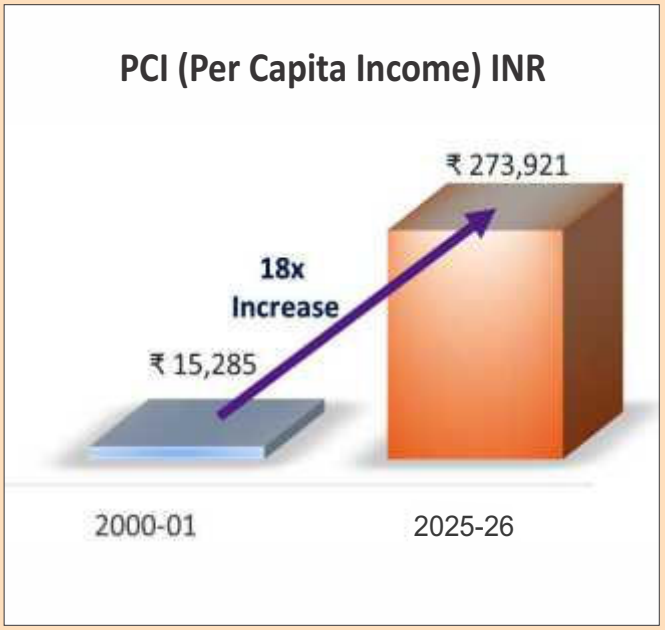

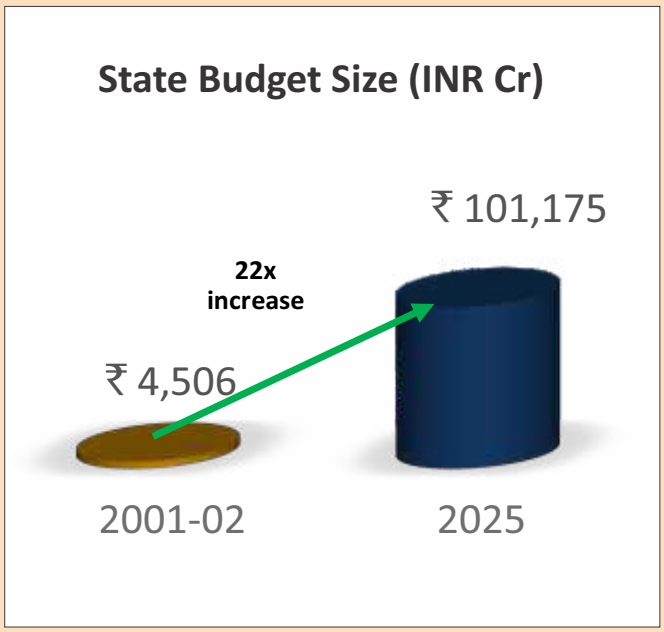

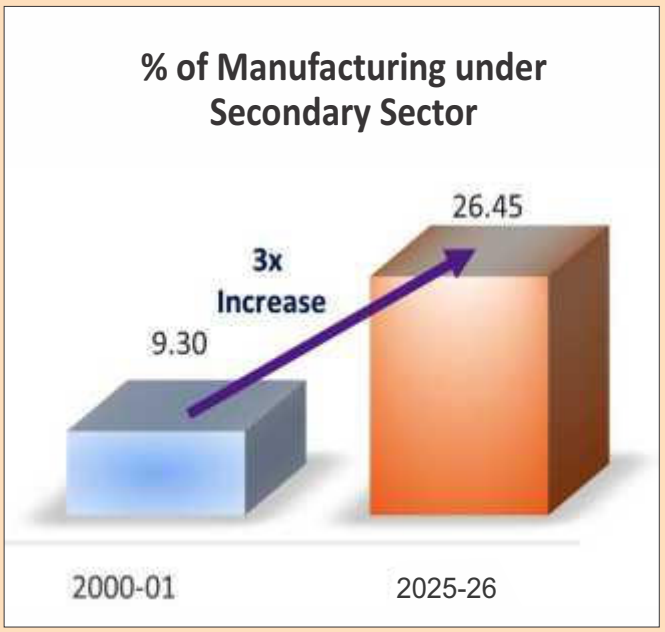

Industry

Employment Generation Under MSME (in numbers)

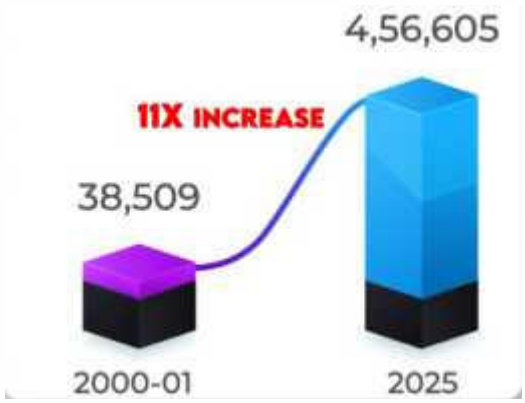

Startup (no)

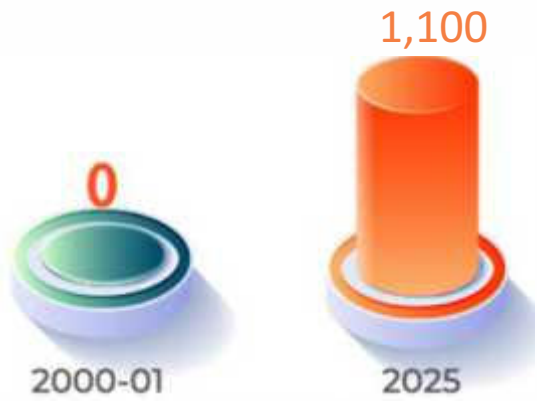

No of Large Industry

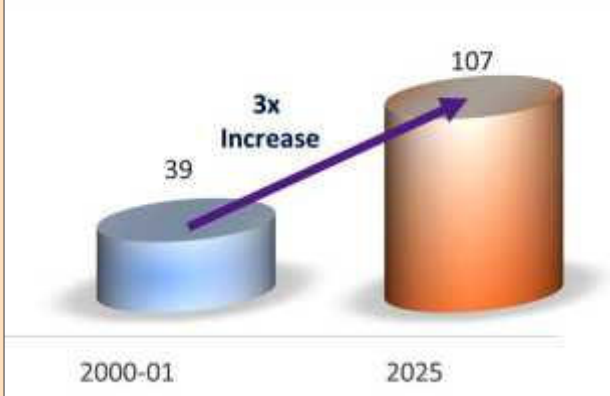

Employment Generation Under Large Scale Industries (no.)

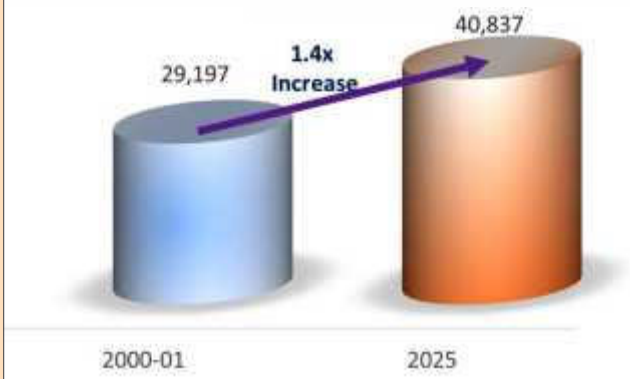

No. of MSME

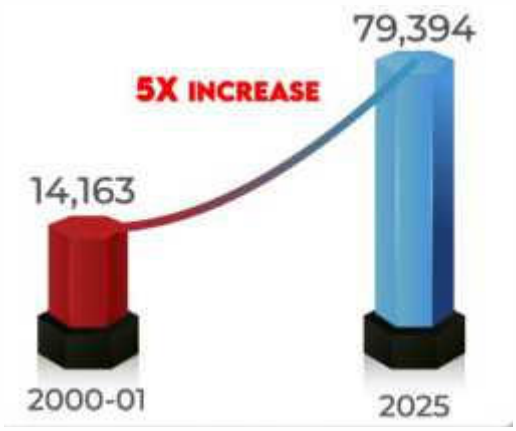

GI Tag (No of Products)

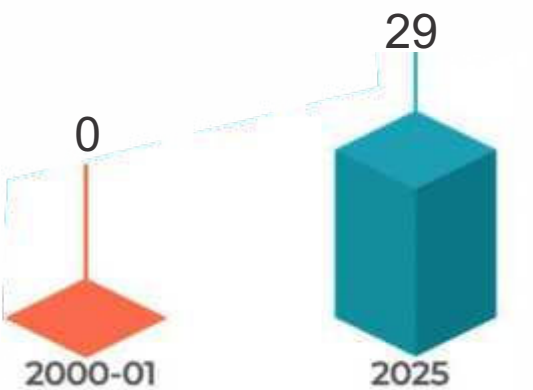

Social Infrastructure (Connectivity)

Lenght of Roads (kms)

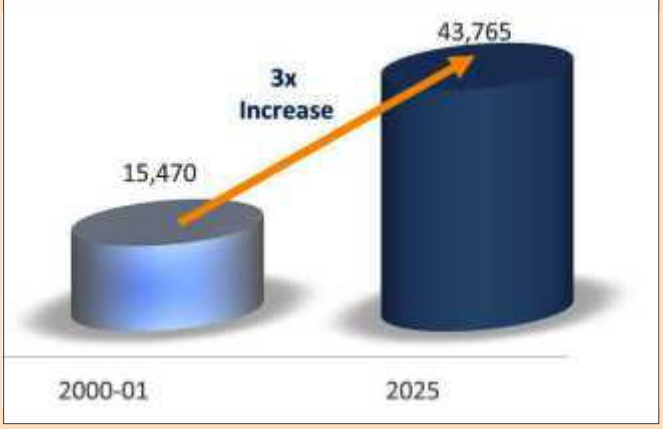

Heliport (no)

No. of Flights Destinations

No. of Air Passengers (approx, per annum)

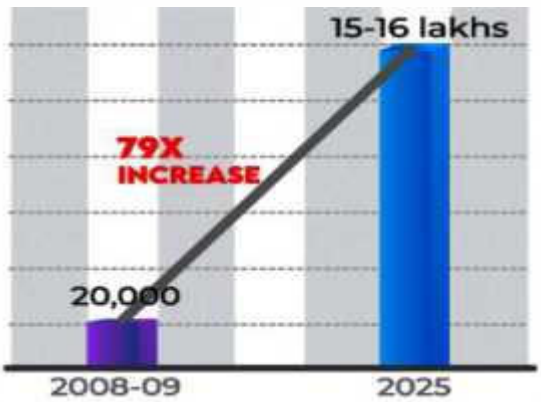

No. of Flights (per day)

Helipad (no)

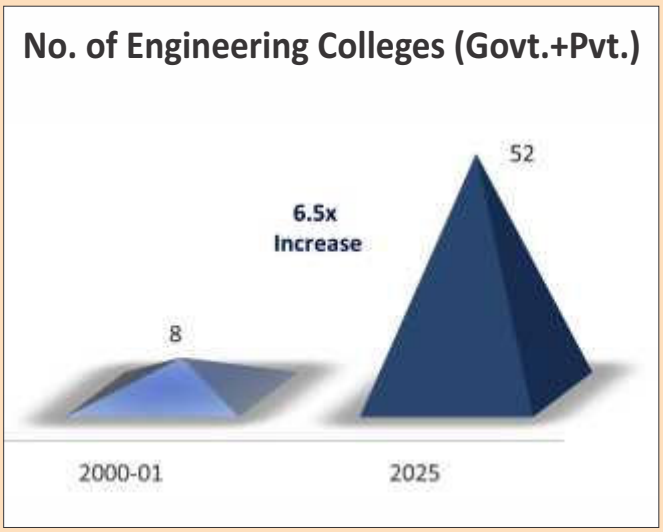
No. of Engineering Colleges (Govt.+Pvt.)
52
6.5x
Increase
8
2000-01
2025

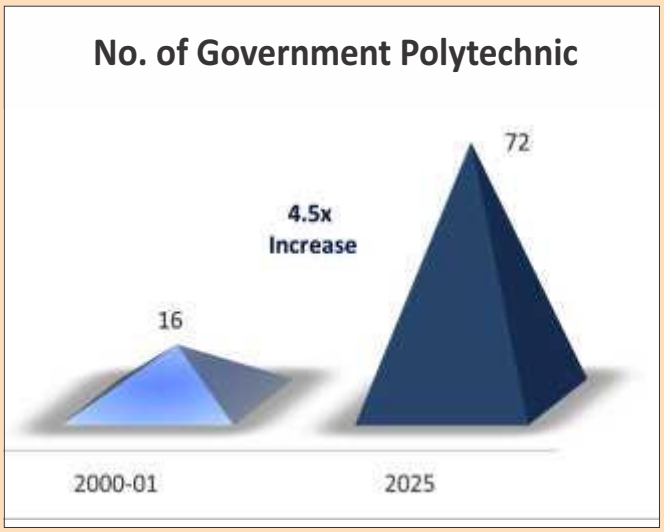
No. of Government Polytechnic
72
4.5x
Increase
16
2000-01
2025

No. of ITI (Govt.)
153
2.4x
Increase
63
2000-01
2025

Power

Power Commercial & Transmission Loss (%)
44.82
3x
Reduced
14.57
2000-01
2025

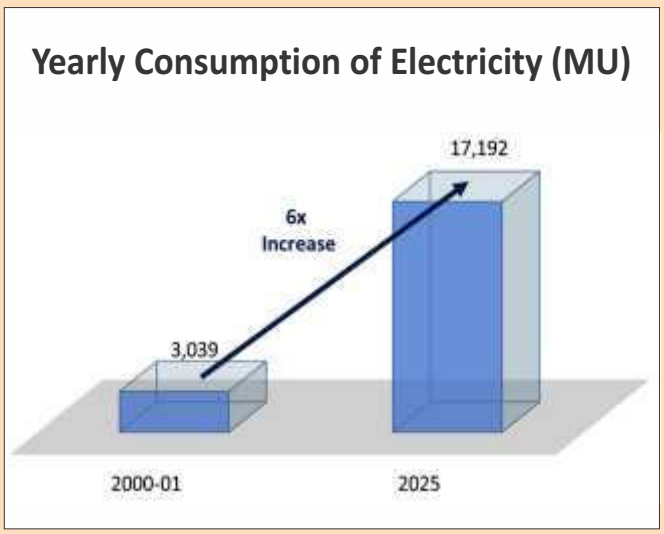
Yearly Consumption of Electricity (MU)
17,192
6x
Increase
3,039
2000-01
2025

Social Sector - Education

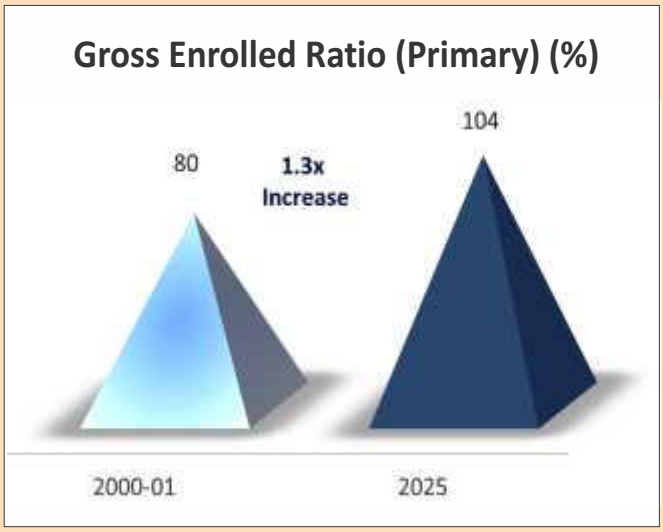

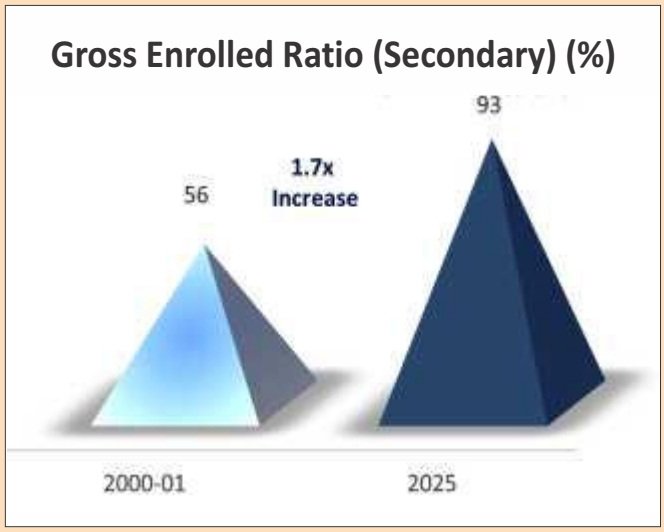

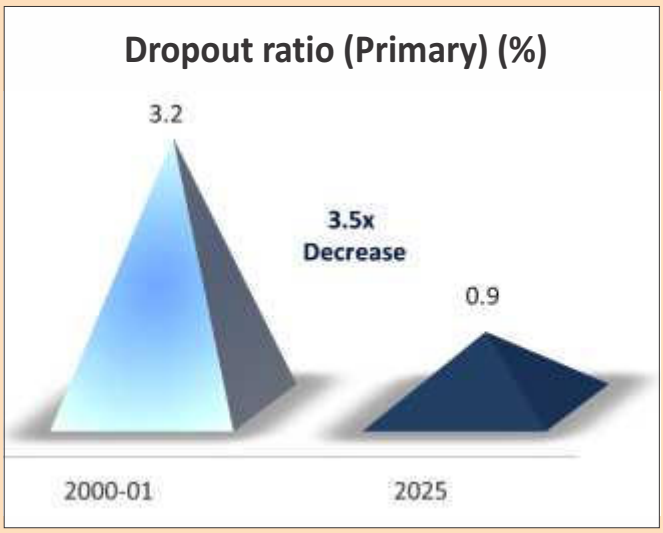

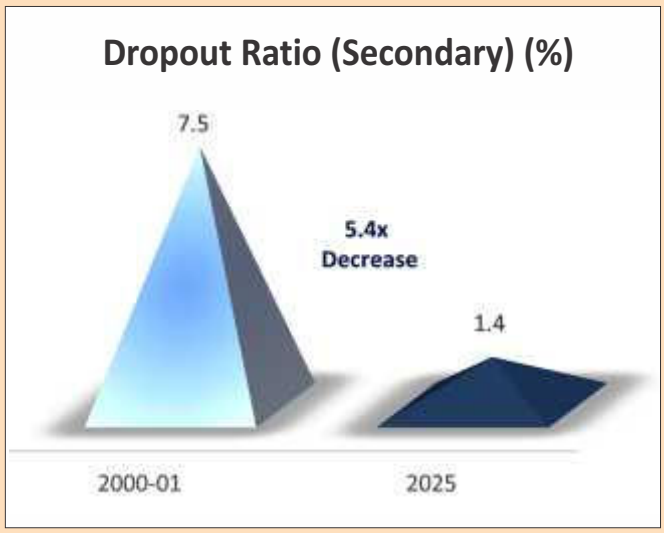

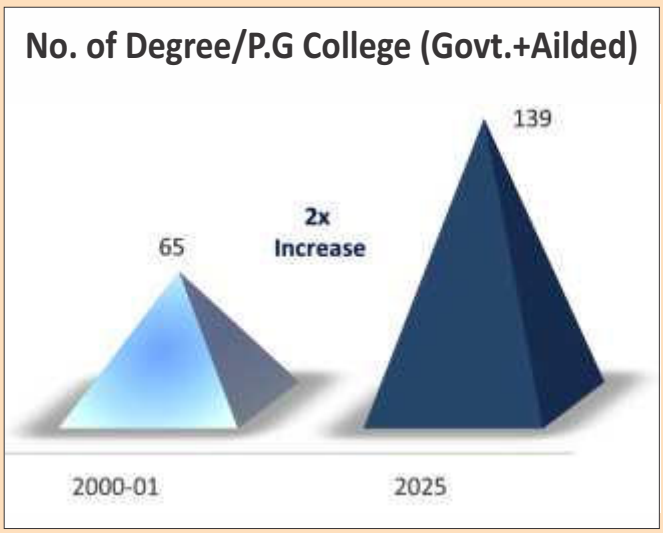

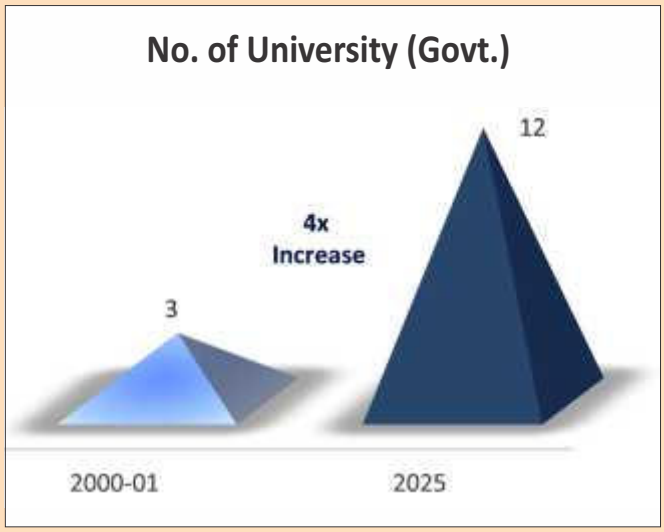

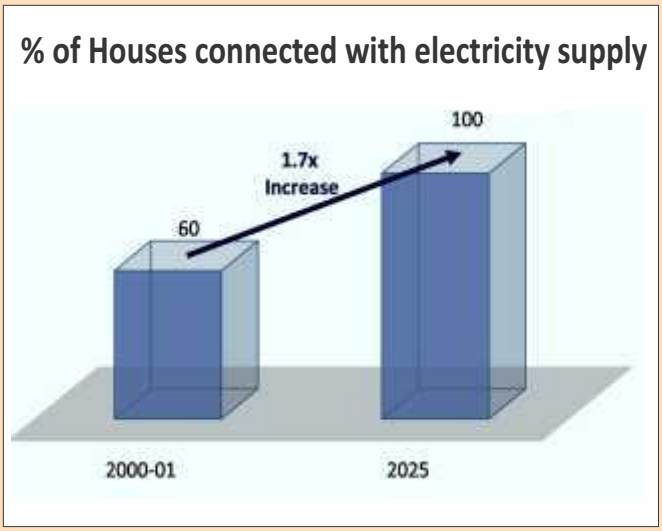
% of Houses connected with electricity supply
100
1.7x
Increase
60
2000-01
2025

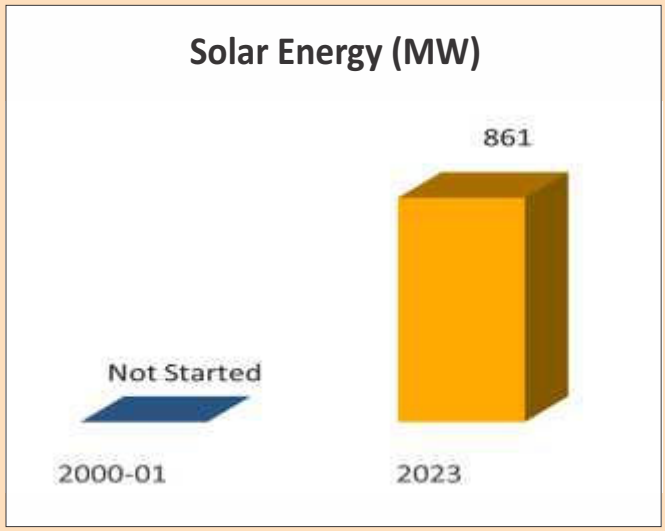
Solar Energy (MW)
861
Not Started
2000-01
2023

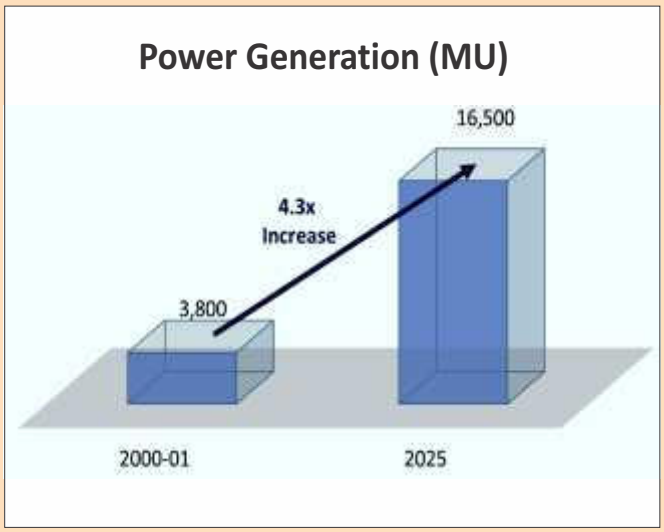
Power Generation (MU)
16,500
4.3x
Increase
3,800
2000-01
2025

Health

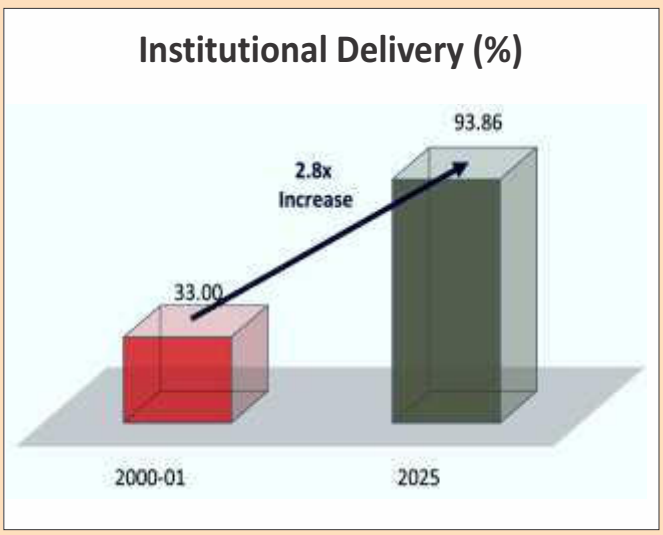
Institutional Delivery (%)
93.86
2.8x
Increase
33.00
2000-01
2025

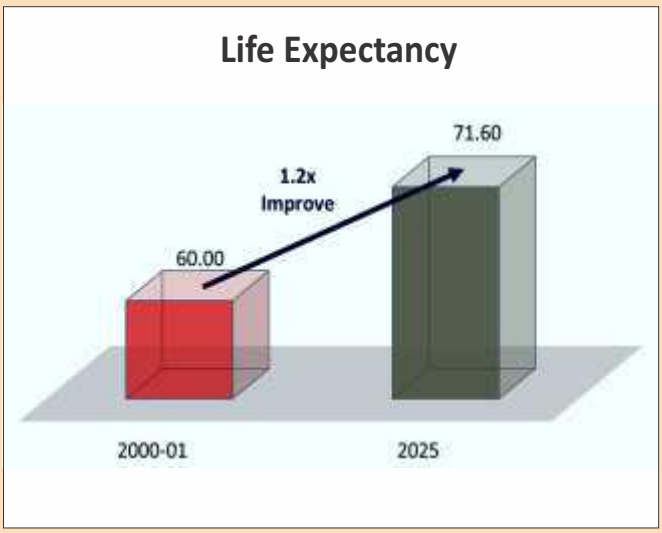
Life Expectancy
71.60
1.2x
Improve
60.00
2000-01
2025

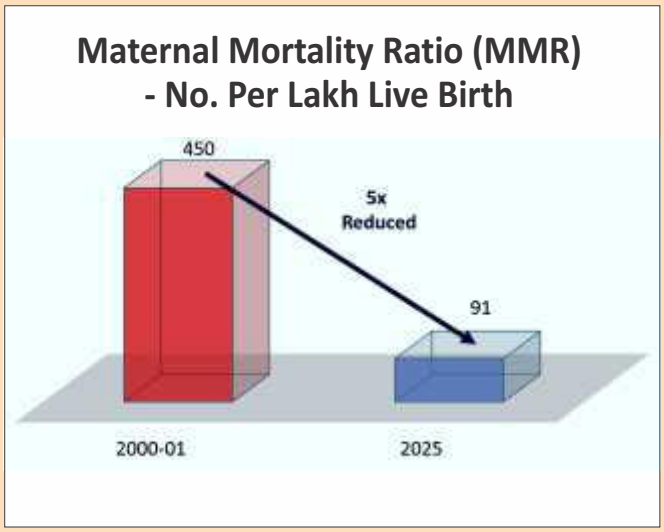

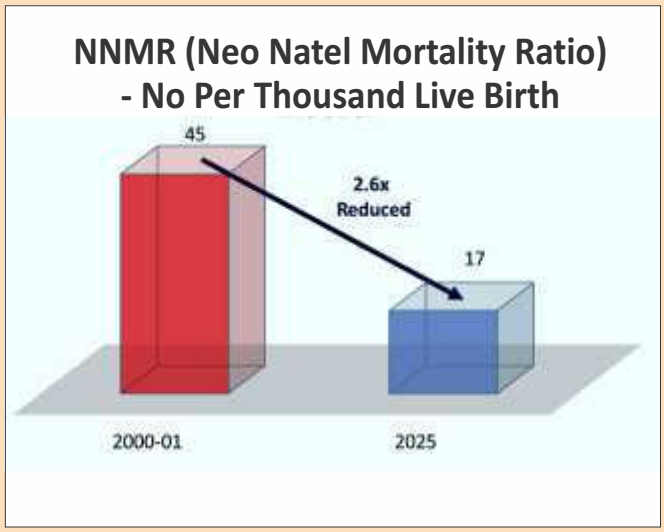

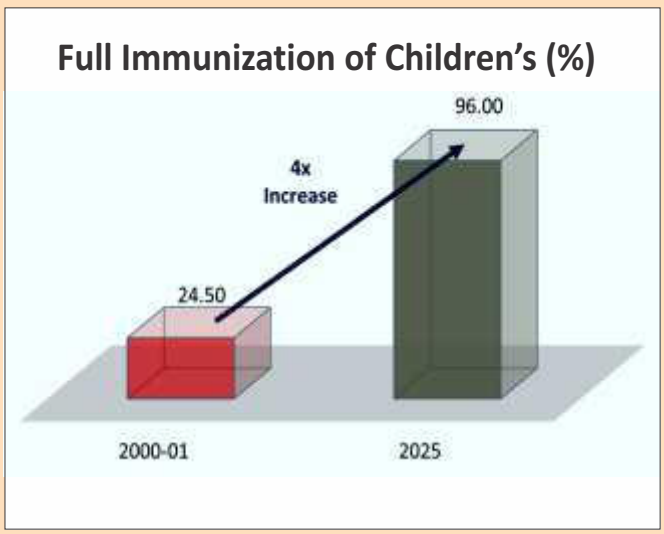

Health Infrastructure

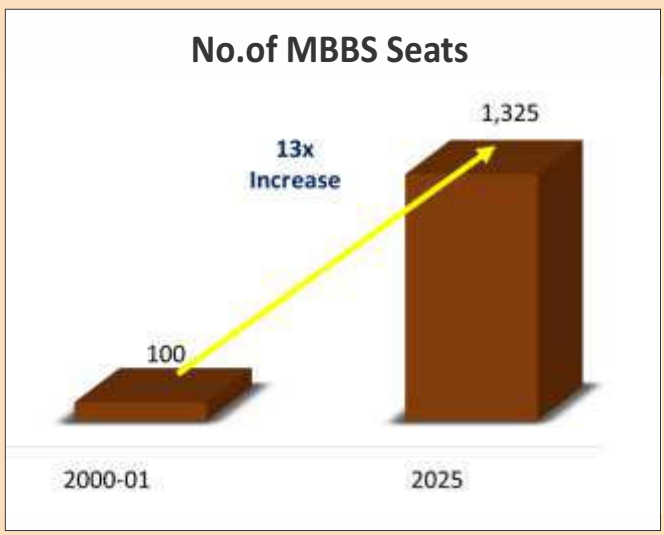

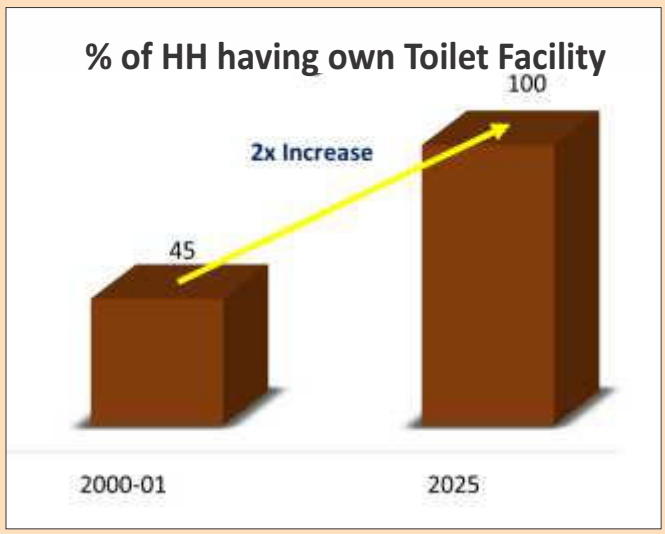

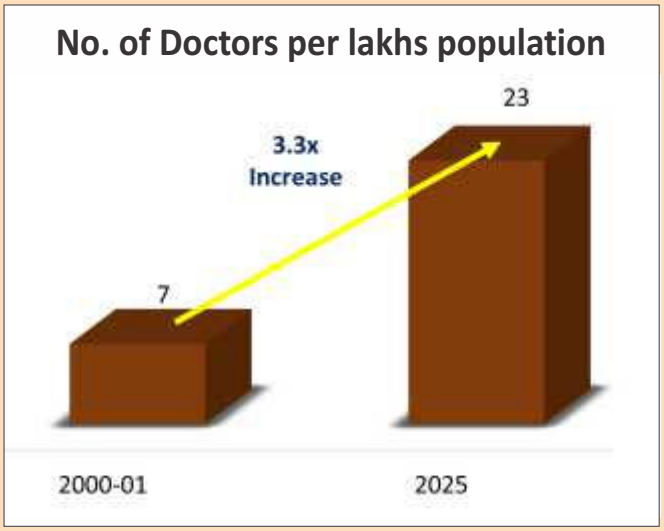

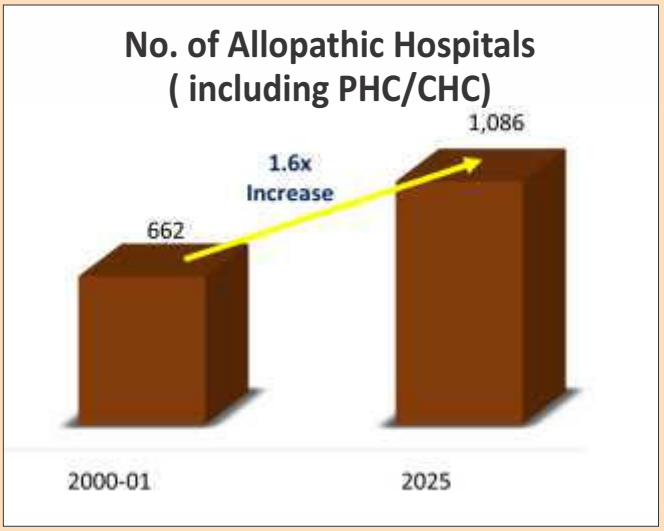

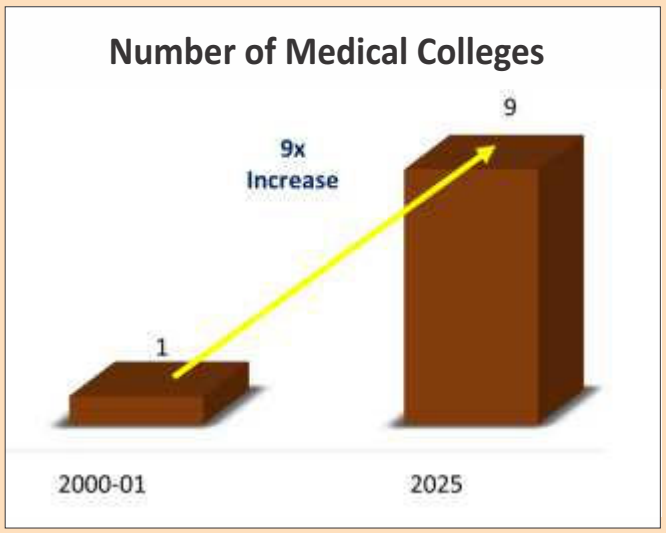

Agriculture and Allied

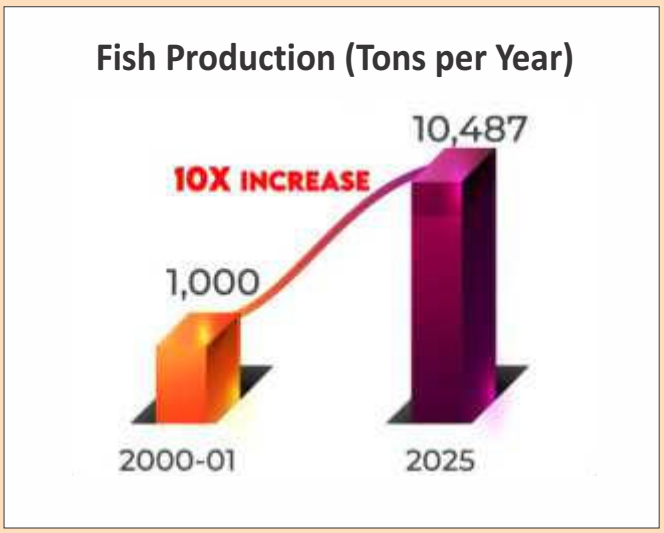

Productivity of Food Grain (Rice and Wheat)(Quintal / hectare)

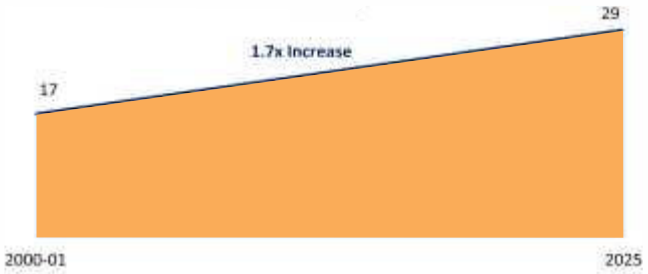

Medicinal and Aromatic Plants (cultivated area in hectares)

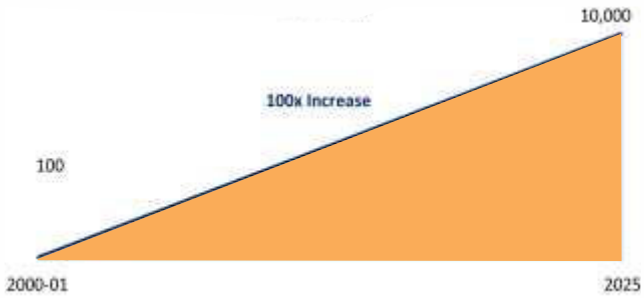

Milk Production (Lakh KG per day)

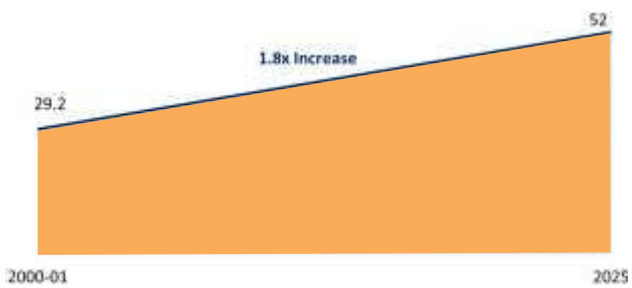

Fruit Productivity (MT per Hectare)

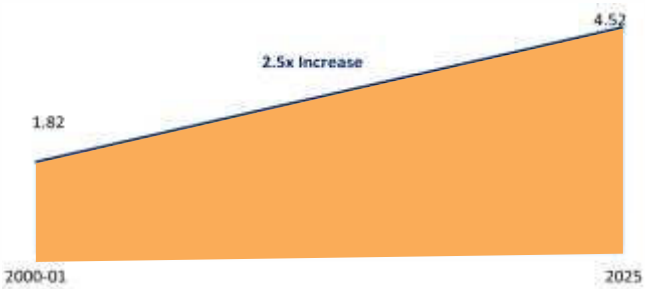

Apple Productivity (MT per Hectare)

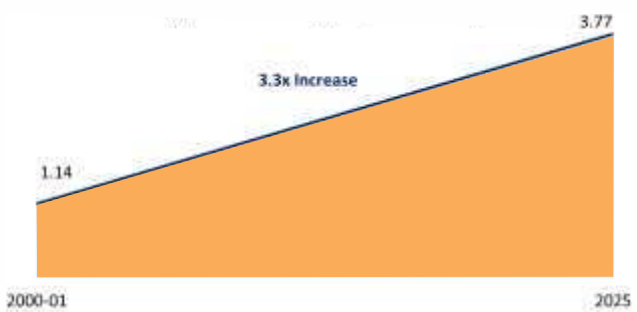

Flowers Production (Hectare)

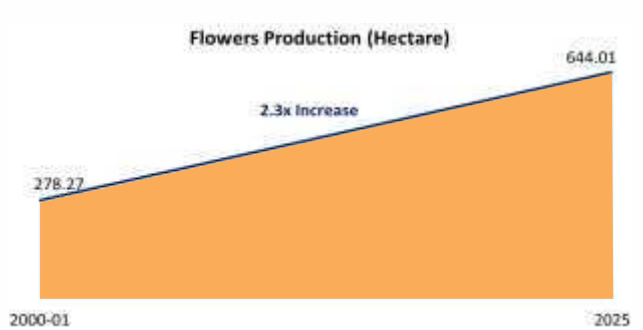

Forest / wildlife

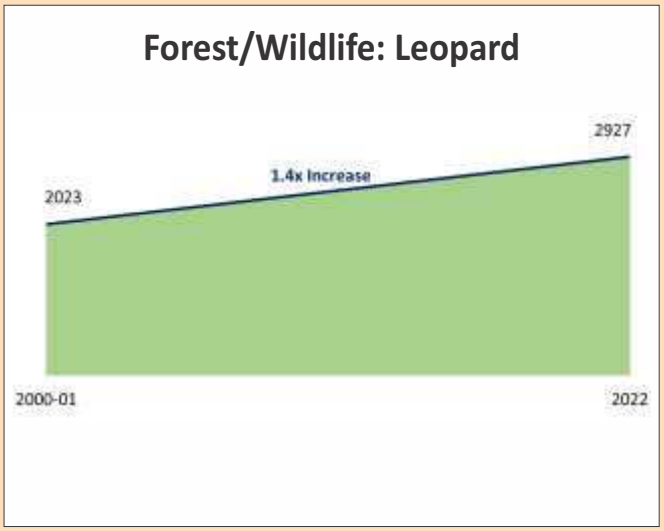

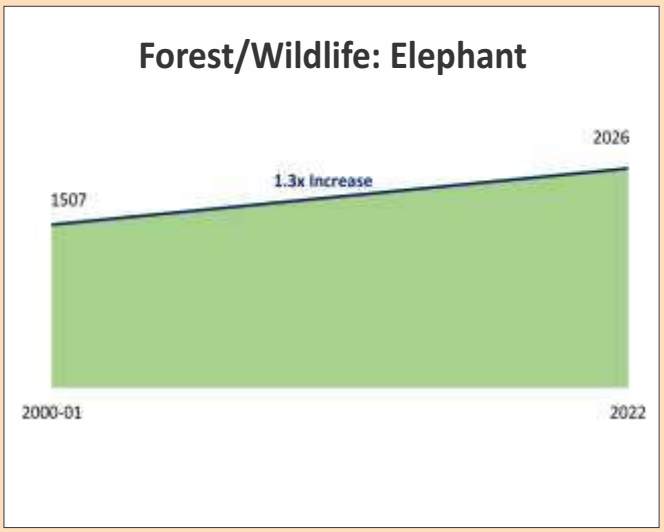

Tourism

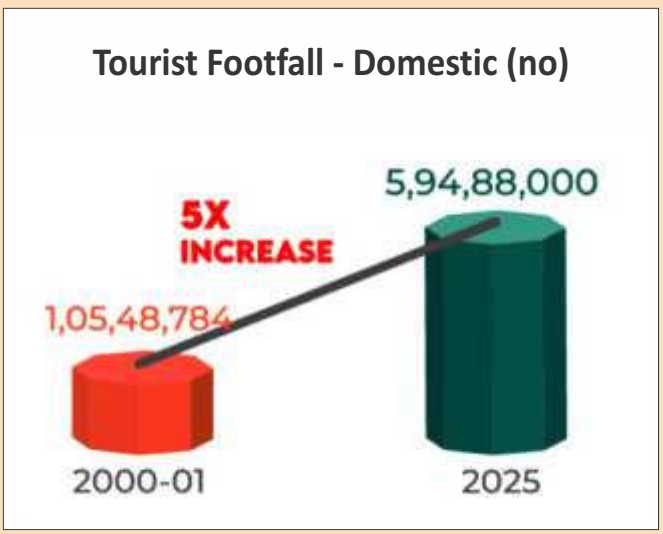

स्रोतः– सांख्यिकी डायरी अर्थ एवं संख्या निदेशालय उत्तराखण्ड तथा विभिन्न सम्बन्धित विभाग

Number of hotel / other stays
(No of Budgeted Hotels)
10509
2x Increase
4893
2000-01
2025

Poverty

Labour Force Participation Rate
(15-59 years)
45
64.4
2000-01
2023-24
Labour Force Participation Rate
(15 -59 years) of India in 2025 - 64.3

Human Development Index (HDI)
2X INCREASE
0.672
0.247
2004-05
2021
Human Development Index
(HDI) of
India in 2025 - 0.644

Uttarakhand Rank in SDG India Index
10
9
4
1
2018
2019
2021
2024

Multi Dimensional Poverty
40.38
5X DECREASE
6.92
2005-06
2025
Multi Dimensional Poverty
of India in 2025 - 14.9

UTTARAKHAND
STATE MAP
HIMACHAL PRADESH
CHINA
UTTAR PRADESH
NEPAL
N
UTTARKASHI
NEW TEHRI
DEHRA DUN
GOPESHWAR
RUDRAPRAYAG
PAURI
HARIDWAR
BAGESHWAR
ALMORA
PITHORAGARH
NAINI TAL
CHAMPAWAT
RUDRAPUR
Jadhang
Har-ki-dun
Bandarpunch Peak
Gangotri
Gaumukh
Kharsali
Gangnani
Mana
Rim Kin
Bampa
Kedarnath
Lapthal
Suraithota
Milam
Martoli
Marcha
Paton
Baling
Dwali
Narayanbagar
Sobala
Tejam
Khela
Gwaldam
Thal
Takula
Dwarahat
Munsiyari
Devidhura
Tanakpur
Chorgalya
Ratighat
Mukteshwar
Dhikala
Kalagarh
Mundiyapani
Churani
Gumkhal
Banghat
Kainur
Sultanpur
Vikasnagar
Mussoorie
Sahaspur
Nagun
Mukhem
Charni
Deoband
Tiuni
Balcha
Dhatmir
Gangi
Timli
Baljarao
Map Legend
International Boundary
State Boundary
District Boundary
State Capital
District Headquarters
Major City
National Highway
Railway Line
Map not to scale
Copyright@2014 indiamapsonline.com

उत्तराखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2025–26

वित्तीय वर्ष 2026–27 के बजट हेतु नीति–आधारित विश्लेषण एवं सुझाव

1. प्रस्तावना

National Council of Applied Economic Research (NCAER) द्वारा उत्तराखण्ड राज्य की आर्थिक स्थिति पर किये गये अध्ययन एवं विश्लेषण के आधार पर निम्न नीति–सुझाव प्रदान किये गये हैं।

विश्लेषण में महामारी अवधि (2020–21 एवं 2021–22) को पृथक रखते हुए वास्तविक आर्थिक प्रगति का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है।

2. राज्य की आर्थिक प्रगतिः मुख्य निष्कर्ष :

2.1 सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) की वृद्धि

- वर्ष 2022–23 से 2025–26 के मध्य उत्तराखंड की वास्तविक (constant) GSDP की औसत वृद्धि दर 7.2 प्रतिशत रही।
- वर्ष 2015–16 से 2019–20 की अवधि में यह वृद्धि दर 6.1 प्रतिशत थी।
- तुलनात्मक रूप से भारत की वास्तविक (constant) GDP वृद्धि दर क्रमशः 7.6 प्रतिशत एवं 6.6 प्रतिशत रही।

यह संकेत करता है कि उत्तराखंड ने महामारी पश्चात् तीव्र पुनरुद्धार (Recovery Momentum) प्रदर्शित किया है।

2.2 प्रति व्यक्ति आय वृद्धि

- 2022–23 से 2025–26 के दौरान वास्तविक प्रति व्यक्ति GSDP वृद्धि दर 6.1 प्रतिशत रही।
- पूर्व अवधि (2015–16 से 2019–20) में यह 4.8 प्रतिशत थी।

यह राज्य में जीवन स्तर में क्रमिक सुधार का संकेत देता है।

2.3 क्षेत्रीय योगदान

वर्ष 2022–23 से 2025–26 के मध्य राज्य की आर्थिक वृद्धि में प्रमुख योगदानकर्ताओं का क्रम निम्न रहा :–

1. विनिर्माण (Manufacturing)
2. व्यापार, मरम्मत, होटल एवं रेस्तरां
3. निर्माण क्षेत्र

यद्यपि कुछ क्षेत्रों का प्रतिशत योगदान घटा है, तथापि ये अभी भी राज्य की वृद्धि संरचना के प्रमुख स्तंभ हैं।

3. वित्तीय वर्ष 2026–27 के आधारभूत पूर्वानुमान

3.1 समष्टि आर्थिक संकेतक

क्र०सं०	संकेतक	पूर्वानुमान
1	स्थिर भाव पर GSDP वृद्धि (constant)	8.2%
2	GDP डिफ्लेटर मुद्रास्फीति	0.02%
3	कृषि GSVA वृद्धि	2%
4	उद्योग GSVA वृद्धि	7%
5	सेवा GSVA वृद्धि	10.2%

3.2 राजकोषीय स्थिति

क्र०सं०	संकेतक	जीएसडीपी के प्रतिशत में
1	कुल सरकारी व्यय	19.8 %
2	कुल प्राप्तियां	16.7 %
3	राजकोषीय घाटा	3.2%
4	सार्वजनिक ऋण	28.6 %

यह स्थिति राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजटीय अनुशासन की दिशा में संतुलित मानी जा सकती है।

4. अतिरिक्त नीति हस्तक्षेप (चार लक्ष्यों के अंतर्गत)

सडक अवसंरचना, शिक्षा एवं कौशल, कृषि तथा संहवर्गीय क्षेत्र, पर्यटन अवसंरचना शहरी अवस्थापना एवं सामाजिक कल्याण में यदि क्रमशः ₹ 1000 करोड़, 3000 हजार करोड़, 3000 करोड़, 500 करोड़, 1500 करोड़ तथा 1000 करोड़ अर्थात कुल 10000 करोड़ के अतिरिक्त निवेश एवं नीति हस्तक्षेप की स्थिति में आर्थिकी में प्रभाव निम्नानुसार अनुमानित है –

- प्रचलित एवं स्थिर भाव पर GSDP के सापेक्ष वृद्धि दर 13.6%
- कुल व्यय (GSDP के सापेक्ष प्रतिशत में) 21.3%
- राजकोषीय घाटा (GSDP के सापेक्ष प्रतिशत में) 4.8%
- सार्वजनिक ऋण (GSDP के सापेक्ष प्रतिशत में) 28.6%
- कुल प्राप्तियां (GSDP के सापेक्ष प्रतिशत में) 16.4%

यह उच्च वृद्धि रणनीति (High Growth Scenario) को दर्शाता है।

5. गरीब, युवा, अन्नदाता एवं नारी (GYAN) आधारित रणनीतिक सिफारिशें

5.1 अवसंरचना

- सभी अवशिष्ट बस्तियों को सर्व–ऋतु सड़क संपर्क
- शहरी क्षेत्रों में पेयजल एवं स्वच्छता सुधार
- सार्वजनिक किराया आवास नीति

5.2 पर्यटन क्षेत्र

- पर्यटन अवसंरचना का आधुनिकीकरण
- इको–टूरिज्म, वेलनेस टूरिज्म एवं एजुकेशन टूरिज्म को प्रोत्साहन

5.3 शिक्षा एवं कौशल

- माध्यमिक स्तर तक शिक्षा का सार्वभौमिकरण
- विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा
- एक वर्ष में 20 आईटीआई का उन्नयन

5.4 कृषि सुधार

- कृषि अनुसंधान एवं विकास को सुदृढ़ करना
- महिला किसान केंद्रित शोध को प्रोत्साहन
- उच्च मूल्य वाली फसल प्रणाली को प्रोत्साहन
- सिंचाई एवं मृदा संरक्षण में निवेश
- पारंपरिक जलस्रोतो का पुनर्जीवन
- भंडारण एवं वेयरहाउसिंग क्षमता में वृद्धि
- महिला किसानों का उच्च स्तरीय कौशल विकास
- भूमि स्वामित्व कानूनों में लैंगिक संतुलन

5.5 सामाजिक क्षेत्र एवं कल्याण

- मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी (केरल स्तर का लक्ष्य)
- आंगनवाड़ी एवं विद्यालयों में पोषण सुदृढ़ीकरण
- असंगठित श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा
- महिलाओं एवं वरिष्ठ नागरिकों के लिए सुरक्षा तंत्र

6. निष्कर्ष

उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था कोरोना पश्चात् सुदृढ़ पुनरुत्थान प्रदर्शित कर रही है। यदि लक्षित अवसंरचनात्मक, कृषि, पर्यटन एवं मानव पूंजी निवेश को प्राथमिकता दी जाए, तो राज्य उच्च वृद्धि पथ (High Growth Trajectory) प्राप्त कर सकता है। राजकोषीय अनुशासन एवं विकासोन्मुख व्यय के संतुलन से दीर्घकालीन सतत विकास सुनिश्चित किया जा सकता है।

राज्य की अर्थव्यवस्था

अध्याय–1
उत्तराखण्ड की अर्थव्यवस्था का सिंहावलोकन
Overview of the Economy of Uttarakhand

1.राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था

1.1 भारतीय अर्थव्यवस्था में वर्ष 2024–25 में अनन्तिम अनुमान के अनुसार 6.5 प्रतिशत की वृद्धि आंकी गई है जबकि वर्ष 2025–26 में विकास दर 7.4 प्रतिशत रहने की सम्भावना है।

1.2 प्रचलित भावों पर सकल घरेलू उत्पाद (GDP) वर्ष 2024–25 में ₹ 330.68 लाख करोड़ तथा वर्ष 2025–26 में लगभग ₹ 357.14 लाख करोड़ आंका गया है। स्थिर भावों (आधार वर्ष 2011–12) पर (GDP) वर्ष 2024–25 में ₹ 187.97 लाख करोड़ की तुलना में वर्ष 2025–26 में लगभग ₹ 201.90 लाख करोड़ रहने का अनुमान है।

1.3 वर्ष 2025–26 के दौरान मूल्य संवर्धन मे वृद्धि मुख्यतः लोक प्रशासन एवं अन्य सेवा (13.5 प्रतिशत), वित्त, रियल स्टेट एवं पेशेवर सेवाएं (11.3 प्रतिशत), विनिर्माण क्षेत्र (9.2 प्रतिशत), व्यापार, होटल, परिवहन एवं संचार सेवाए (7.3 प्रतिशत) तथा निर्माण उद्योग (6.6 प्रतिशत) मे अनुमानित है।

1.4 संरचनात्मक दृष्टि से वर्ष 2025–26 में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 18.35 प्रतिशत, द्वितीयक क्षेत्र का योगदान 25.26 प्रतिशत तथा तृतीयक क्षेत्र का योगदान 56.39 प्रतिशत रहने का अनुमान है।

1.5 देश में प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2024–25 में ₹ 2,05,324 थी, जो वर्ष 2025–26 में 6.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाते हुए ₹ 2,19,575 होने का अनुमान है।

राज्य अर्थव्यवस्था

1.6 राज्य अर्थव्यवस्था में वर्ष 2024–25 में अनन्तिम अनुमान के अनुसार 6.44 प्रतिशत की वृद्धि आंकी गई है जबकि वर्ष 2025–26 में विकास दर 7.23 प्रतिशत रहने की सम्भावना है।

1.7 प्रचलित भावों पर सकल घरेलू उत्पाद (GDP) वर्ष 2024–25 में ₹ 347.98 हजार करोड़ तथा वर्ष 2025–26 में लगभग ₹ 381.89 हजार करोड़ अनुमानित किया गया है। स्थिर भावों (आधार वर्ष 2011–12) पर GDP वर्ष 2024–25 में ₹ 215.58 हजार करोड़ की तुलना में वर्ष 2025–26 में लगभग ₹ 231.13 हजार करोड़ रहने का अनुमान है।

1.8 वर्ष 2025–26 के दौरान मूल्य संवर्धन में वृद्धि मुख्यतः वित्त सेवाएं (16.14 प्रतिशत), मत्सय पालन (12.78 प्रतिशत), लोक प्रशासन एवं अन्य सेवा (12.22 प्रतिशत), रेलवे (9.18 प्रतिशत), परिवहन एवं संचार सेवाएं (8.13 प्रतिशत), निर्माण उद्योग (7.27 प्रतिशत) तथा विनिर्माण (7.03 प्रतिशत) में अनुमानित है।

1.9 संरचनात्मक दृष्टि से वर्ष 2025–26 में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 9.59 प्रतिशत, द्वितीयक क्षेत्र का योगदान 39.95 प्रतिशत तथा तृतीयक क्षेत्र का योगदान 50.46 प्रतिशत रहने का अनुमान है।

1.10 राज्य में प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2024–25 में ₹ 2,50,736 थी, जो वर्ष 2025–26 में 9.25 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाते हुए ₹ 2,73,921 होने का अनुमान है।

2. राज्य आय एवं लोक वित्त

2.1 वर्ष 2025–26 के बजट अनुमानों के अनुसार कुल राजस्व प्राप्तियां ₹ 60,552.90 करोड़ है जबकि वर्ष 2024–25 के पुनरीक्षित अनुमान के

अनुसार ₹ 54,626.54 करोड़ है। राजस्व प्राप्तियां में वर्ष 2025–26 (बजट अनुमान) अनुसार वर्ष 2024–25 की तुलना में 10.84 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित हैं।

2.2 वर्ष 2025–26 (बजट अनुमान) के अनुसार ₹ 36146.47 करोड़ तथा वर्ष 2024–25 (पुनरीक्षित अनुमान) में ₹ 31968.43 करोड़ में आंकी गई है। राज्य कर, वर्ष 2025–26 (बजट अनुमान) में वर्ष 2024–25 (पुनरीक्षित अनुमान) की अपेक्षा 13.06 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित हैं।

2.3 केन्द्रीय करों में राज्य का भाग वर्ष 2025–26 (बजट अनुमान) मे ₹ 13637.15 करोड़ आंका गया हैं जो कि वर्ष 2024–25 में ₹ 12348.25 करोड़ था।

3– कराधान

3.1 वर्ष 2000–2001 में प्राप्त कर संग्रह ₹ 233 करोड़ था, जो कि वर्ष 2024–25 तक लगभग 51 गुना बढ़कर ₹ 11,862.39 करोड़ (₹ 55.82 करोड़ प्रतिकर धनराशि सहित) हो गया है। वर्ष 2025–26 में माह दिसम्बर, 2025 तक कुल राजस्व संग्रह ₹ 9,179.80 करोड़ रहा है।

3.2 वित्तीय वर्ष 2024–25 में (पेट्रोल/डीजल /पेट्रोलियम प्रोडक्ट एवं शराब पर प्राप्त कर को छोड़ते हुए) माह दिसम्बर, 2024 तक कुल ₹ 6,934.85 करोड़ (₹ 55.82 करोड़ प्रतिकर धनराशि सहित) का राजस्व अर्जित किया गया था, जबकि इसके सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2025–26 में (पेट्रोल/डीजल /पेट्रोलियम प्रोडक्ट एवं शराब पर प्राप्त कर को छोड़ते हुए) माह दिसम्बर, 2025 तक विभाग द्वारा कुल ₹ 7,301.12 करोड़ का राजस्व प्राप्त किया गया है,

3.3 वित्तीय वर्ष 2024–25 में जी0एस0टी0 की परिधि से बाहर रखे गये वस्तुओं (पेट्रोल, डीजल, एटीएफ, नैचुरल गैस तथा शराब) पर माह दिसम्बर, 2024 तक कुल ₹ 1,940.58 करोड़ का राजस्व अर्जित किया गया है, जबकि इसके सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2025–26 में माह दिसम्बर, 2025 तक उक्त वस्तुओं पर कुल ₹ 1,878.65 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ है।

3.4 वित्तीय वर्ष 2025–26 में राज्य कर विभाग द्वारा जी0एस0टी0 (SGST) व वैट (Non-GST) के अन्तर्गत क्रमशः ₹ 11,221 करोड़ तथा ₹ 2,501 करोड़, इस प्रकार कुल ₹ 13,722 करोड़ राजस्व प्राप्ति का अनुमान लगाया गया है। जिसके सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2025–26 में माह दिसम्बर, 2025 तक जी0एस0टी0 व वैट के अन्तर्गत क्रमशः ₹ 7,301.12 करोड़ तथा ₹ 1,878.68 करोड़, इस प्रकार कुल ₹ 9,179.80 करोड़ का राजस्व राज्य कर विभाग को प्राप्त हो चुका है।

3.5 वित्तीय वर्ष 2024–25 में माह दिसम्बर, 2024 तक राज्य कर विभाग द्वारा कुल ₹ 15,617.74 करोड़ का कर (CGST+IGST+SGST+ CESS) संग्रह किया गया, जिसके सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2025–26 मे माह दिसम्बर, 2025 तक विभाग द्वारा कुल (CGST+IGST+ SGST+CESS) ₹ 15,018.48 करोड़ का संग्रहण किया गया है।

3.6 व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना दिनांक 19.11. 2025 से दिनांक 18.11.2026 तक के लिए लागू की गयी है, जिसमें विभाग में पंजीकृत व्यापारियों की दुर्घटना में मृत्यु की दशा में मृतक आश्रित को तात्कालिक आर्थिक सहायता के रूप में ₹ 10.00 लाख का भुगतान बीमा कम्पनी के माध्यम से करने की व्यवस्था की गयी है।

3.7 वित्तीय वर्ष 2024–25 में माह दिसम्बर, 2024 तक स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग को प्राप्त आय (कोषागार से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर) ₹ 1983.21 करोड़ थी, जबकि वित्तीय वर्ष 2025–26 में माह दिसम्बर, 2025 तक प्राप्त आय ₹ 2024.92 करोड़ रही, जो कि गत वर्ष की तुलना में 2.1 प्रतिशत अधिक है।

3.8 वर्ष 2024–25 के अन्तर्गत आबकारी विभाग द्वारा ₹ 4,357.68 करोड़ का राजस्व संग्रह किया गया। वर्ष 2025–26 में निर्धारित वार्षिक लक्ष्य ₹ 5,060.00 करोड़ के सापेक्ष माह दिसम्बर 2025 तक ₹ 3,363.92 करोड़ का संग्रह किया जा चुका है।

4–भाव संचलन

4.1 राज्य स्तर पर, फरवरी 2025 में सूचकांक में गिरावट दर्ज की गई। इसके बाद, अप्रैल माह को छोड़कर, मई 2025 से अक्टूबर 2025 तक सूचकांक में लगातार वृद्धि देखी गई। नवंबर में पुनः कमी परिलक्षित हुई, जबकि दिसम्बर माह में कमी दर्ज की गयी।

4.2 वर्ष 2025 के दौरान उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (संयुक्त) पर आधारित मुद्रास्फीति में 0.67 प्रतिशत और 4.9 प्रतिशत के बीच उतार-चढ़ाव देखा गया।

5– कृषि, गन्ना एवं उद्यान

5.1 वर्ष 2025–26 में माह दिसम्बर, 2025 तक 83097 कृषकों का बीमा किया गया। वर्ष 2025–26 में 18365.18 हे. क्षेत्रफल के अन्तर्गत ₹ 136.73 करोड़ का बीमा किया गया है।

5.2 30 सितम्बर, 2025 तक प्रदेश में 5.77 लाख किसान क्रेडिट कार्ड वितरित किये गये है।

5.3 वर्तमान में उत्तराखण्ड में मिलेट्स के तहत क्षेत्रफल लगभग 1,10,000 हेक्टेयर और उत्पादकता 1.5 मिट्रिक टन/हेक्टेयर है।

5.4 राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 53.48 लाख हेक्टेयर है, जिसमें से 6.96 लाख हेक्टेयर क्षेत्र कृषि फसलों के अंतर्गत आता है। इनमें से लगभग 1.71 लाख हेक्टेयर क्षेत्र औद्यानिकी फसलों के अंतर्गत आच्छादित है।

6– पशुपालन, दुग्ध विकास एवं मत्स्य

6.1 कुक्कुट पालन क्षेत्र में निवेश और बड़े स्तर पर उद्यमिता को बढावा देने हेतु पर्वतीय क्षेत्रों के लिए 40% और मैदानी क्षेत्रों के लिए 30% सब्सिडी पर ऋण हेतु पूंजीगत व्यय पर लाभ दिया जा रहा है।

6.2 महिला डेरी विकास योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025–26 में ₹ 496.94 लाख अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष माह दिसम्बर, 2025 तक ₹ 496.94 लाख की धनराशि व्यय की जा चुकी है।

6.3 राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में पलायन रोकने हेतु और ट्राउट मत्स्य उत्पादन को बढावा देने हेतु वर्ष 2025–26 से ''ट्राउट प्रोत्साहन योजना'' कुल लागत ₹ 170 करोड़ प्रारम्भ की गयी है।

6.4 भारत सरकार के कार्यक्रम प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना अन्तर्गत 02 जलाशयो में ''मॉर्डन फिश लैण्डिंग सेन्टर'' की स्थापना की जा रही है।

7– सहकारिता

7.1 स्टेट मिलेट मिशन में उत्तराखण्ड राज्य सहकारी संघ, लि0 द्वारा 11 हजार से अधिक कृषकों से 5386.00 मी0टन मंडुआ की खरीद कर लगभग ₹ 26.00 करोड़ से अधिक का भुगतान किया गया है।

7.2 मुख्यमंत्री राज्य कृषि विकास योजना के अन्तर्गत स्टेट मिलेट मिशन में उत्तराखण्ड राज्य सहकारी संघ, लि0 द्वारा स्थानीय कृषकों से झंगोंरा, मंडुवा, सोयाबीन एवं चौलाई खरीदकर उनको, उनकी उपज का उचित मूल्य दिया जा रहा है।

8–खाद्य नागरिक अपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले

8.1 राज्य में वर्तमान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अन्तर्गत प्राथमिक परिवार (PHH)

एवं अन्त्योदय अन्न योजना (AAY) एवं राज्य खाद्य योजना (SFY) प्रचलित है। उक्त योजनाओं में वर्तमान में लगभग 23.67 लाख राशनकार्ड प्रचलित हैं।

8.2 अन्त्योदय अन्न योजना के लाभार्थियों को 01 किलोग्राम प्रति राशनकार्ड ₹ 13.50 प्रति किलो ग्राम की दर से उपलब्ध करायी जा रही है। वर्तमान में राज्य में चीनी का मासिक आवंटन 184.210 मी0टन है।

8.3 मुख्यमंत्री अन्त्योदय निःशुल्क गैस रिफिल योजना के अन्तर्गत राज्य के लगभग 1.84 अन्त्योदय राशनकार्ड धारकों को लाभ दिया जा रहा है।

8.4 वन नेशन वन राशन कार्ड'' योजना के अन्तर्गत खाद्यान्न वितरण करने में उत्तराखण्ड राज्य देश में छठवें स्थान पर है।

9– वन एवं पर्यावरण

9.1 वर्ष 2024–25 में मा0 प्रधानमंत्री जी द्वारा **''एक पेड़ मॉ के नाम**'' से अभिनव पहल प्रारम्भ की गयी।

9.2 ''वर्षा जल संरक्षण योजना'' के अंर्तगत वर्तमान तक राज्य में कुल 1323 अमृत सरोवर का निर्माण किया गया है।

9.3 वन विभाग द्वारा Forest Fire Uttarakhand Application विकसित किया गया है। इस App से वनाग्नि की घटनाओं, अलर्ट की **रियल टाइम मॉनिटरिंग रिस्पांस टाइम** आदि का अनुश्रवण केंद्रीय डैशबोर्ड के माध्यम से किया जा रहा है।

10– परिवहन एवं संचार

10.1 वित्तीय वर्ष 2025–26 के माह दिसम्बर–2025 तक कुल 366 प्रदूषण जॉच केन्द्र, 20 मान्यता प्राप्त गैराज, 51 मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल एवंरेन्ट ए मोटरसाईकिल (स्कीम), 1997 के अंतर्गत जारी लाईसेंसों (665 लाईसेंस) के माध्यम से भी लगभग 1000 लोगों को स्वरोजगार के अवसर प्राप्त हुए हैं इसके अतिरिक्त राज्य में अप्रत्यक्ष रूप से परिवहन से सम्बन्धित व्यवसायों में लगभग 10 लाख व्यक्ति परिवहन सम्बन्धी रोजगार से जुड़े हुए है।

10.2 भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशों के क्रम में ऐसे शासकीय वाहनों हेतु, जिनकी मॉडल सीमा 15 वर्ष से अधिक हो चुकी है, के स्क्रैपिंग हेतु पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा की व्यवस्था की गई है। जिसके अंतर्गत उत्तराखण्ड परिवहन विभाग द्वारा अभी तक 05 फर्मों को पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा हेतु अनुज्ञप्ति जारी की गई है।

11–पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन

11.1 चारधाम यात्रा के अन्तर्गत बद्रीनाथ में 16.60 लाख, केदारनाथ में 17.68 लाख, गंगोत्री में 7.58 लाख, यमुनोत्री में 6.44 लाख एवं हेमकुण्ड साहिब में 2.74 लाख कुल **51.04 लाख** श्रद्धालुओं/यात्रियों द्वारा वर्ष 2025 में चारधाम तथा श्री हेमकुण्ड साहिब के दर्शन किये गये है।

11.2 जनपद अल्मोडा के अन्तर्गत श्री जागेश्वर धाम का मास्टर प्लान तैयार किया गया, मास्टर प्लान में प्रस्तावित ₹ पचपन करोड सत्तावन लाख इकानब्बे हजार (₹ 5557.91 लाख़) के कार्यो के सापेक्ष ₹ तीस करोड़ चौदह लाख छियतर हजार चार सौ (₹ 3014.764 लाख) की वित्तीय स्वीकृति अब तक जारी की गयी है।

11.3 ग्रामीण पर्यटन विकसित करने तथा पलायन को रोकने के उद्देश्य से **''दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास (होमस्टे विकास योजना''** प्रारम्भ की गई है। इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश के निवासियों को होमस्टे निर्माण हेतु 50 प्रतिशत अधिकतम ₹ 15.00 लाख का पूंजी अनुदान तथाा प्रथम 05 वर्षो

तक अधिकतम 50 प्रतिशत अधिकतम ₹ 1.50 लाख की दर से ब्याज अनुदान दिये जाने का प्राविधान किया गया है। वर्ष 2025–26 में दिसम्बर, 2025 तक 1169 व्यक्तियों को इस योजना के अन्तर्गत लाभान्वित किया गया है।

12– बैकिंग एवं संस्थागत वित्त

12.1 वर्ष 2025–26 मे 30 सितम्बर 2025 तक राज्य में कुल 2,622 बैंक शाखाओं का नेटवर्क है जिनमें से 46 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों, 24 अर्द्धशहरी क्षेत्रों तथा 30 प्रतिशत शहरी क्षेत्रों में कार्य कर रही है। वर्तमान में 1203 शाखाएं ग्रामीण क्षेत्रों में, 626 शाखाएं अर्द्ध शहरी क्षेत्रों में तथा 793 शहरी क्षेत्र में स्थित हैं।

12.2 30 सितम्बर 2025 तक राज्य में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की कुल 1435 शाखाओं का नेटवर्क है। एस.बी.आई की सबसे ज्यादा 444, पी.एन.बी. की 296 और बैंक ऑफ बड़ोदा की 138 शाखाएं हैं। निजी क्षेत्रों के बैंकों का 511 शाखाओं का नेटवर्क हैं।

12.3 वर्ष 2025–26 में 30 सितम्बर 2025 तक राज्य में कुल 2524 ए०टी०एम० का नेटवर्क स्थापित किया जा चुका है। 45 प्रतिशत शहरी क्षेत्रों, 29 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों तथा 45 प्रतिशत अर्द्धशहरी क्षेत्रों के साथ राज्य में ए०टी०एम० की सुविधा का निरन्तर विस्तार किया जा रहा है।

12.4 बैंकों द्वारा योजना की शुरूआत से जरूरतमंद किसानों को कुल 577073 किसान क्रेडिट कार्ड जारी किये गये हैं।

12.5 शाखा के आधार पर जनपद देहरादून, उधमसिंह नगर एवं हरिद्वार में सबसे अधिक बैंकिग आच्छादित हुआ है तथा जनपद बागेश्वर, रूद्रप्रयाग एवं चम्पावत में सबसे कम बैंकिग आच्छादित हुआ है। जबकि ऋण–जमा अनुपात सबसे अधिक जनपद ऊधमसिंह नगर, चम्पावत तथा हरिद्वार में है। सबसे कम ऋण–जमा अनुपात बागेश्वर, पौड़ी एवं अल्मोड़ा में हैं।

13–विद्युत

13.1 पी0एम0 सूर्य घर–मुफ्त बिजली योजना के अन्तर्गत सम्मानित उपभोक्ता अपने घर की छत पर सोलर पावर प्लांट स्थापित कर 300 यूनिट तक बिजली का लाभ प्राप्त कर सकते है। उपभोक्ताओं को केन्द्र सरकार द्वारा 1 कि0वा, 2 कि0वा0 एवं 3 कि0वा0 तक के सोलर प्लांट स्थापित करने पर ₹ 33,000/–,₹ 66,000/– एवं ₹ 85,800/– तक की सब्सिडी दिया जाना प्रावधानित है।

13.2 माह जनवरी 2026 तक पी0एम0 सूर्य घर–मुफ्त बिजली योजना के अन्तर्गत विद्युत उपभोक्ताओं से कुल 93901 आवेदन पत्र प्राप्त हुये जिसके सापेक्ष 93789 आवेदन पत्र अनुमोदित किये जा चुके हैं। योजना के अन्तर्गत कुल 59844 (217.44 मे0वा0 क्षमता) सोलर प्लांट स्थापित किये जा चुके हैं।

13.3 मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना में प्रदेश के बेरोजगार युवाओं हेतु 20/25/50/100/200/ कि0वा0 की सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित की जा सकती है।

13.4 पिटकुल को REC द्वारा विद्युत पारेषण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिए गुजरात, हरियाणा, छतीसगढ़ और नॉर्थ–ईस्ट पारेषण कम्पनीयों के साथ संयुक्त रूप से पिटकुल को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। पिटकुल की क्रेडिट रेटिंग A+ से A++ कर दी गयी है जिसके फलस्वरूप पिटकुल को ऋण में 0.75% (पूर्व में 0.25%) की छूट मिलेगी।

13.5 वर्ष 2024–25 में पिटकुल की विद्युत पारेषण उपलब्धता (Transmission System Availability) 99.72 प्रतिशत एवं पारेषण हानियाँ (Line Losses) 1.02 प्रतिशत हैं जिसके फलस्वरूप पिटकुल देश के अन्य श्रेष्ठतम् पारेषण निगमों में से एक हैं।

14– जल संसाधन एवं प्रबन्धन

14.1 जल जीवन मिशन (JJM-MIS) पोर्टल पर उपलब्ध आंकडों के अनुसार वर्तमान तक कुल 14,17,379 (97.86%) ग्रामीण परिवार नल संयोजन सुविधा से आच्छादित किये जा चुके हैं

14.2 भारत सरकार द्वारा संचालित पोर्टल पर राज्यान्तर्गत जनपदवार कुल 19,123 विद्यालय तथा 16,439 आंगनवाडी केन्द्रों के सापेक्ष शत–प्रतिशत विद्यालय/आंगनवाडी केन्द्रों में वर्तमान तक नल संयोजन सुविधा प्रदान की जा चुकी है।

14.3 उत्तराखण्ड राज्य में कुल 420.83 एम.एल.डी. क्षमता के 67 सीवर शोधन सयंत्र स्थापित हैं। जिनका उपयोग कर लगभग 294.89 एम.एल.डी. सीवेज का परिशोधन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त राज्य में 253.92 एम.एल.डी. क्षमता के 47 सीवर शोधन सयंत्र निर्माणाधीन/प्रस्तावित है।

14.4 नमामि गंगे कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्तमान तक कुल 29 योजनायें स्वीकृत है जिनके अन्तर्गत 54 एस0टी0पी0 (कुल क्षमता 219.792 एम0एल0डी0) प्रस्तावित है जिसके सापेक्ष वर्तमान तक कुल 24 योजनायें पूर्ण कर ली गयी है जिनमें 34 एस0टी0पी0 (कुल क्षमता 140.37 एम0एल0डी0) के कार्य पूर्ण कराये गये है। अवशेष योजनाओं के अन्तर्गत 20 एस0टी0पी0 (कुल क्षमता 79.422 एम0एल0 डी0) के कार्य गतिमान है।

14.5 वर्ष 2025–2026 (माह दिसम्बर 2025 तक अनुमानित) विभाग के अधीन 3132 छोटी पर्वतीय एवं भाबर नहरें हैं, इसके अतिरिक्त 1764 नलकूप व 371 लघुडाल नहरें निर्मित हैं। नहरों, नलकूपों एवं पम्प नहरों का कुल सी0सी0ए0 4.201 लाख हैक्टेयर है व खरीफ तथा रबी की सिंचन क्षमता क्रमशः 2.668 लाख है0 व 2.325 लाख है0 कुल सिंचन क्षमता 4.993 लाख है0 है।

14.5 लघु सिंचाई कार्यक्रमों के अन्तर्गत माह मार्च 2025 तक 253 सोलर बोरिंग पम्पसेट, 199 सोलर लिफ्ट योजना, 42799 सिंचाई हौज, 1146 हाईड्रम, 56869 बोरिंग पम्पसेट, 842 भूस्तरीय पम्पसेट, 731 मध्यम/गहरी बोरिंग, 32669 कि0मी0 सिंचाई गूल/पाईप लाइन, 33 छोटे गेटेड वियर एवं 482 आर्टीजन कूपों का निर्माण कर 567250 हैक्टेयर सिंचन क्षमता का सृजन किया गया है।

15– सडक एवं रेल

15.1 प्रदेश में वर्तमान तक 3595 किमी0 लम्बे राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, जिसमें शहरी लिंक रोड तथा बाईपास सम्मिलित हैं, इनमें से लोक निर्माण विभाग के अधीन 2033 किमी0 राष्ट्रीय राजमार्ग है।

15.2 भारत सरकार की महत्वाकांक्षी चार धाम परियोजना के अन्तर्गत राज्य में चारों धामों को जोड़ने वाले राजमार्गो के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य किया जाना है, जिसके अन्तर्गत प्रदेश में ऑल वैदर रोड के अन्तर्गत 47 कार्य 736.994 किमी0 लम्बाई हेतु ₹ 10431.00 करोड़ के स्वीकृत हैं।

15.3 सी.एस.आर. के अन्तर्गत श्री केदारनाथ धाम में कुल 47 कार्य, लागत ₹ 329.76 करोड़ के स्वीकृत हैं, जिसके सापेक्ष 20 कार्य, लागत ₹ 189.68 करोड़ के पूर्ण किये जा चुके है।

15.4 सी.एस.आर. के अन्तर्गत श्री बद्रीनाथ धाम व माणा मास्टर प्लान में कुल 53 कार्य, लागत ₹ 553.20 करोड़ के स्वीकृत हैं, जिसके सापेक्ष 09 कार्य, लागत ₹ 170.30 करोड़ के पूर्ण किये जा चुके हैं एवं 41 कार्य, लागत ₹ 353.24 करोड़ के प्रगति पर है, जिन्हें शीघ्रताशीघ्र पूर्ण कर लिया जायेगा।

15.5 केन्द्रीय सड़क अवस्थापना निधि (सी.आर.आई.एफ.) योजना के अन्तर्गत आतिथि तक कुल 174 कार्य, लागत ₹ 2002.04 करोड़ के स्वीकृत किये गये हैं, जिनके सापेक्ष वर्तमान

तक 154 कार्य, लागत ₹ 1777.53 करोड़ के पूर्ण किये जा चुके हैं।

16—उद्योग

16.1 वर्ष 2025—26 (माह नवम्बर, 2025 तक) में कुल 94595 औद्योगिक ईकाईयां हैं। गत 25 वर्षों में ईकाईयों की संख्या में 6 गुना से अधिक की वृद्धि के सापेक्ष निवेश में 25 गुना तथा रोजगार में 12 गुना से अधिक की वृद्धि हुई है।

16.2 उत्तराखण्ड सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति, 2023 की लागू अवधि में प्रदेश में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों के 50 क्लस्टर विकसित किये जाने का लक्ष्य रखा गया है। क्लस्टर विकास योजना का मुख्य उद्देश्य सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा एवं सतत् विकास के प्रोत्साहन हेतु सामान्य सुविधा केन्द्र एवं अन्य आवश्यक आधारभूत सुविधाओं का विकास करना है।

16.3 प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के अन्तर्गत छोटे—छोटे कुटीर उद्योगों की स्थापना हेतु विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों के माध्यम से सेवा क्षेत्र हेतु ₹ 20.00 लाख एवं विनिर्माण क्षेत्र हेतु ₹ 50.00 लाख तक का ऋण उपलब्ध कराया जाता है।

16.4 राज्य मे मैग्नेसाईट की 04 खदानें, लाईमस्टोन की 02 खदानें, सिलिका सैण्ड की 01 खदान, खनिज सोपस्टोन की 173 खदानें व उपखनिज आर0बी0एम0 190 खदानें वर्तमान मे स्वीकृत हैं। उपखनिज आर0बी0 एम0 पर आधारित 384 स्टोन क्रेशर व 50 स्क्रीनिंग प्लांट्स स्वीकृत/संचालित हैं।

17—श्रम रोजगार एवं कौशल विकास

17.1 प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (PM-SYM) के अर्न्तगत असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को वृद्धावस्था में सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा स्वैच्छिक एवं आवधिक योगदान आधारित योजना प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन (PM-SYM) प्रारम्भ की गई है। असंगठित क्षेत्र के विभिन्न नियोजनों एवं कार्यकलापों में कार्यरत श्रमिक जिनकी मासिक आय ₹ 15,000/— है, अपना नामांकन कराते हैं।

17.2 Ease of Doing Business (व्यापार के सरलीकरण) हेतु औचक निरीक्षण व्यवस्था के स्थान पर आनलाईन निरीक्षण की व्यवस्था लागू की गयी। विभिन्न श्रम अधिनियमों के अन्तर्गत कारखानों/वाणिज्यिक स्थापनों के निरीक्षण प्रतिमाह कम्प्यूटरीकृत प्रणाली द्वारा रेंडम आधार पर सम्पादित करने की व्यवस्था की गई।

17.3 मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन एवं वैश्विक रोजगार योजना के अन्तर्गत युवाओं को विदेशों में उपलब्ध रोजगार के अवसरों से जोडे जाने हेतु "भारत—जापान तकनीकी इंटर्न कार्यक्रम" के तहत विदेश रोजगार प्रकोष्ठ सहसपुर में केयर गिवर जॉब रोल हेतु जापानी भाषा में प्रथम बैच के निःशुल्क प्रशिक्षण हेतु 33 युवाओं को विदेश रोजगार प्रकोष्ठ/स्किल हब, सहसपुर में एवं पूरे प्रदेश से चयनित 01 अभ्यर्थी (बीपीएल धारक) को Navis Hr Bangalore द्वारा प्रशिक्षण केन्द्र Bangalore में प्रशिक्षित किया गया है।

18—ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज

18.1 भारत सरकार द्वारा वर्ष 2025—26 के लिए ₹ 213.32 करोड़ की वार्षिक कार्य योजना अनुमोदित की गयी है, जिसमें कुल 23000 महिला स्वयं सहायता समूहों को बैंकों से जोड़ा जाना प्रस्तावित है।

18.2 प्रधानमन्त्री ग्रामीण आवास योजना के अन्तर्गत आवास प्लस सूची में 55970 लाभार्थी सम्मिलित हैं, जिसके सापेक्ष 55970 आवास

स्वीकृत करते हुए 55737 आवास को पूर्ण कराये जा चुके हैं।

18.3 राज्य में कुल लक्ष्य 975 (75 सरोवर प्रति जनपद) का लक्ष्य निर्धारित किया गया था जिसके सापेक्ष 1322 अमृत सरोवर निर्मित किये जा चुके हैं। इन सरोवरों में 2638550.38 Cu. metre जल संग्रह किया जा रहा है।

18.4 SARRA **के अंतर्गत जल संरक्षण एवं जल संवर्धन कार्यः** महात्मा गांधी नरेगा एवं SARRA के सहयोग से राज्य में जल संरक्षण एवं संवर्धन कार्य को वर्ष 2024 में प्रारम्भ किया गया है। Spring and River Rejuvenation Authority के अंतर्गत 1959 क्रिटिकल जल श्रोतो को चिह्नित करते हुए ग्राम स्तर, विकासखंड स्तर एवं जनपद स्तर पर जल संरक्षण कार्य किये जा रहे है।

18.5 राज्य पंचायत संसाधन केन्द्र निर्मित हो चुका है, जिसमें प्रशिक्षण सम्बन्धी कार्यक्रमों एवं सम्बन्धित गतिविधियों का संचालन किया जा रहा है।

18.6 राज्य वित्त आयोग द्वारा पंचायतों हेतु मात्राकृत धनराशि के सापेक्ष ग्राम पंचायतों हेतु 35 प्रतिशत, क्षेत्र पंचायतों हेतु 30 प्रतिशत तथा जिला पचांयतों हेतु 35 प्रतिशत राशि वितरण के मानक निर्धारित किये गये हैं।

19– शहरी विकास एवं आवास

19.1 भारत सरकार द्वारा डे0–एन0यू0एल0एम0 योजना की योजना अवधि पूर्ण होने के फलस्वरूप योजना को समाप्त करते हुए वित्तीय वर्ष 2025–26 में नई योजना दीनदयाल जन आजीविका योजना (शहरी) को प्रारम्भ किया गया है।

19.2 स्मार्ट सिटी CITIIS Project के अर्न्तगत फुटपाथों का निर्माण, रेलिंग, ओवरब्रिज, आदि का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। CITIIS परियोजना कार्य कि लिए ₹ 58.00 करोड़ प्राविधानित है। CITIIS परियोजना का कार्य का 2 फेज में विभाजन किया गया है। फेज–1 में कुल विद्यालयों की संख्या 34 है एवं फेज–2 के अन्तर्गत 72 विद्यालयों को चयनित किया गया है। फेज–1 एवं फेज–2 का कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

19.3 Uttarakhand Liveability Improvement Project- ULIP परियोजना हेतु एशियन विकास बैंक (ADB) सहायतित लगभग लगभग ₹ 229600.00 लाख़ की लागत से हल्द्वानी, विकासनगर, कोटद्वार, चम्पावत एवं किच्छा नगर में पेयजल, बहुउद्देशीय भवन निर्माण एवं सड़क यातायात प्रबन्धन आदि कार्य सम्पादित किया जाना प्रगति पर हैं।

20–शिक्षा

20.1 जटिल भौगोलिक क्षेत्रों से विद्यालय आने–जाने वाले 8668 बच्चों को एस्कॉर्ट सुविधा प्रदान की जा रही है।

20.2 नेताजी सुभाषचन्द्र बोस आवासीय छात्रावास के अन्तर्गत अपवंचित एवं कमजोर वर्ग के छात्र–छात्राओं के लिए राज्य के विभिन्न जनपदों में 19 आवासीय छात्रावासों का संचालन किया जा रहा है, जिनमें 1550 छात्र–छात्राओं को निःशुल्क आवासीय व्यवस्थाएं प्रदान की जाती हैं।

20.3 अटल उत्कृष्ट विद्यालय योजना के अन्तर्गत छात्र/छात्राओं को भविष्य में रोजगार के बेहतर अवसर प्राप्त तथा प्रतिस्पर्धा के लिए सुदृढ़ रूप से तैयार किये जाने के उद्देश्य से विद्यालयी शिक्षा के अन्तर्गत ''अटल उत्कृष्ट विद्यालय योजना'' संचालित की गयी है, जिसके अन्तर्गत राज्य के 189 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों को अटल उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में विकसित कर उन्हें सी.बी. एस.ई. बोर्ड से सम्बद्ध किया गया है।

20.4 मुख्यमंत्री विद्यार्थी शैक्षिक भारत दर्शन योजना के अन्तर्गत वर्ष 2025 में कुल 120 अभ्यर्थी लाभान्वित हुए है। विज्ञान संकाय के 100 प्राध्यापकों एवं विज्ञान संकाय के 50 छात्रों को आई0आई0एस0सी0 बैंगलौर में प्रशिक्षण कराया गया। छात्रवृत्ति योजना के अतंर्गत चयनित 02 लाभार्थियों को ₹ 50 लाख की धनराशि निर्गत की गई है।

20.5 वर्ष 2025–26 में विभिन्न पॉलीटेक्निक संस्थानों में कार्यरत संकाय सदस्यों को आई0आई0टी0 दिल्ली, एन0आई0टी0 टी0टी0आर0 चण्डीगढ़, सीडैक मोहाली, उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी नैनीताल, इन्फोसिस स्प्रिंगबोर्ड़, इलैक्ट्रॉनिकी सेवा एवं प्रशिक्षण केन्द्र (ई0एस0टी0सी0) रामनगर, सीपैट, एन0आई0ई0एस0 बी0यू0डी0 देहरादून, आई0टी0आई0 देहरादून, मिशन कर्मयोगी एवं ए0टी0सी0 देहरादून में कुल 363 संकाय सदस्यों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

21–स्वास्थ्य

21.1 राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत राज्य द्वारा 13 जनपदों में कुल 2160 (1554 उपस्वास्थ्य केन्द्र–आयुष्मान आरोग्य मन्दिर, 569 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र– आयुष्मान आरोग्य मन्दिर तथा 37 शहरी– आयुष्मान आरोग्य मन्दिर) आयुष्मान आरोग्य मंदिरों को स्थापित किया गया है। वर्तमान में 1554 उपस्वास्थ्य केन्द्र–आयुष्मान आरोग्य मन्दिर के सापेक्ष 1440 सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी (सी0एच0ओ0) कार्यरत है, शेष 114 रिक्त पदों पर सी0एच0ओ0 नियुक्त करने की प्रक्रिया गतिमान है।

21.2 राज्य में आपातकालीन सेवा के अन्तर्गत वर्तमान में राज्य में कुल 272 एम्बुलैन्स (54 ए0एल0एस0, 217 बी0एल0एस0 व 01बोट एम्बुलैन्स) का संचालन किया जा रहा है।

21.3 उत्तराखण्ड योग नीति 2025 उत्तराखण्ड को विश्व प्रसिद्ध आयुष केन्द्र के रूप में स्थापित करने, प्रमाणिक आयुष स्वास्थ्य सेवाऐं प्रदान करने और राज्य को योग और ध्यान केन्द्रो के विकास का केन्द्र बनाने के लिये उत्तराखण्ड शासन द्वारा शासनादेश संख्या 1219/XL-1/2025-99/2023 दिनांक 06 जून, 2025 को स्वीकृति प्रदान की गयी है।

22– महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास

22.1 प्रदेश के 13 जनपदों में कुल 105 बाल विकास परियोजनायें हैं। जिसमें से 08 शहरी क्षेत्रों में 97 ग्रामीण क्षेत्रों में अवस्थित है। परियोजनाओं के अन्तर्गत कुल 20070 आंगनबाड़ी केन्द्रों में से 1249 शहरी क्षेत्र व ग्रामीण क्षेत्रों में 18821 केन्द्र संचालित है।

22.2 राज्य में कुल 20070 आंगनबाड़ी केन्द्रों में कुल 37008 कार्यकत्री/सहायिकायें कार्यरत हैं। आंगनबाड़ी कार्यकत्री/सहायिकाओं द्वारा प्रत्येक वर्ष गर्भवती तथा धात्री महिलाओं एवं 0–6 आयु वर्ग के बच्चों का चिन्हीकरण हेतु सर्व प्रथम वार्षिक सर्वेक्षण कराया जाता है।

22.3 अनुपूरक पोषाहार योजनान्तर्गत 06 माह से 06 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों एवं गर्भवती/धात्री महिलाओं को वर्ष में 300 दिवस अनुपूरक पोषाहार दिये जाने का लक्ष्य रखा गया है।

22.4 कुक्ड फूड योजना के अन्तर्गत आंगनबाड़ी में पंजीकृत 03 से 06 वर्ष तक के बच्चों को ताजा पका भोजन प्रदान किया जा रहा है।

22.5 मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना के तहत राज्य में सुरक्षित मातृत्व के उद्देश्य के दृष्टिगत आंगनवाड़ी केन्द्र में पंजीकृत गर्भवती महिला के प्रथम/द्वितीय एवं जुडवा बालिकाओं के जन्म पर सुरक्षित मातृत्व के दृष्टिगत''मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना'' अन्तर्गत महालक्ष्मी किट प्रदान की जाती है।

22.6 तीलू रौतेली पुरस्कार वित्तीय वर्ष 2025–26 के अन्तर्गत 13 किशोरी/महिलाओं को तीलू रौतेली पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

22.7 आंगनवाड़ी कार्यकर्ती पुरस्कार वित्तीय वर्ष 2025–26 के अन्तर्गत 33 आंगनवाड़ी कार्यकर्ती पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

23– सत्त विकास/जिला योजना

23.1 वर्ष 2021 से CPPGG ने 2015–16 से 2020 –21 की अवधि को सम्मिलित करते हुए अपना पहला SDG सूचकांक संकलन प्रकाशित किया, तब से संस्था नियमित रूप से SDG सूचकांक जारी कर रही है।

23.2 राज्य में जिला सेक्टर योजना के परिव्यय में लगाातार वृद्धि हो रही है राज्य में स्थापना के समय वर्ष 2001–02 में जिला सेक्टर योजना का परिव्यय 30145.85 लाख था जो की वर्ष 2025–26 तक परिव्यय 101022.80 लाख हो गया है।

24–खेल एवं युवा कल्याण

24.1 उत्तराखण्ड राज्य द्वारा दिनांक 28 जनवरी, 2025 से 14 फरवरी, 2025 तक 38वें राष्ट्रीय खेलों का भव्य/सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। जिसमें उत्तराखण्ड राज्य के खिलाड़ियों द्वारा स्वर्ण–24, रजत–35, कांस्य–44 अर्थात् कुल 103 पदक अर्जित कर 37वें राष्ट्रीय खेल में प्राप्त 25 वें स्थान से 7वां स्थान प्राप्त कर उत्तराखण्ड राज्य का नाम देश में गौरान्वित किया गया।

24.2 38वें राष्ट्रीय खेलों के पदक विजेता खिलाड़ियों को नकद पुरस्कार हेतु पूर्व में निर्धारित धनराशि (स्वर्ण पदक हेतु ₹ 6.00 लाख, रजत पदक हेतु ₹ 4.00 लाख एवं कांस्य पदक हेतु ₹ 3.00 लाख) को दोगुना (स्वर्ण पदक हेतु ₹ 12.00 लाख, रजत पदक हेतु ₹ 8.00 लाख एवं कांस्य पदक हेतु ₹ 6.00 लाख) करते हुये कुल 316 राष्ट्रीय स्तर पर पदक विजेता खिलाड़ियों को ₹ 11.87 करोड़ की धनराशि दी गयी है।

24.3 ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगता योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025–26 में कुल ₹ 317.33 लाख की धनराशि स्वीकृत की गयी, जिससे ₹ 19.03 लाख की धनराशि व्यय की गयी है। वर्तमान में खेल महाकुम्भ के अंतर्गत 662 न्याय पंचायतों, 70 विधानसभा क्षेत्रवार, 08 संसदीय क्षेत्रवार, मुख्यमंत्री चैम्पियनशिप ट्रॉफी (राज्य स्तर पर) प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है।

24.4 खेल महाकुम्भ का आयोजन राज्य में दूरस्थ ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ने हेतु विभाग द्वारा ''खेल महाकुम्भ'' का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष खेल महाकुम्भ में 662 न्याय पंचायतों, 70 विधानसभा क्षेत्रवार, 08 संसदीय क्षेत्रवार, मुख्यमंत्री चैम्पियनशिप ट्रॉफी (राज्य स्तर) पर प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है।

25– समाज कल्याण

25.1 भारत सरकार के राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (National Scholarship Portal https://scholarships.gov.in) के माध्यम से ऑनलाईन संचालित की जा रही है।

25.2 अनुसूचित जाति पूर्वदशम कक्षा 09 व 10 छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत कक्षा 9 व 10 तक के छात्र/छात्राओं को डे–स्कालर को ₹ 3500/– वार्षिक एवं हॉस्टलर को ₹ 7000/– वार्षिक छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है, जिसका 90 प्रतिशत व्ययभार केन्द्र सरकार एवं 10 प्रतिशत व्ययभार राज्य सरकार वहन करती हैं।

25.3 अटल आवास योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के बी0पी0एल0 तथा ₹ 32,000 वार्षिक अथवा इससे कम आय वाले आवासविहीन परिवारों को आवास निर्माण के लिए पर्वतीय क्षेत्रों में ₹ 38,500 एवं मैदानी क्षेत्रों में ₹ 35,000 की धनराशि प्रदान की जा रही थी।

25.4 प्रधानमंत्री आर्दश ग्राम योजना में चयनित ग्रामों को एक **''आदर्श ग्राम''** बनाना ही इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। इस योजना में केन्द्र सरकार से अन्तर–पाटन निधि (Gap-Filling Fund) के रूप में ₹ 20.00 लाख तथा प्रशासनिक एवं अन्य खर्चों हेतु ₹ 1.00 लाख (केन्द्र, राज्य, जिला व ग्राम का भाग 1:1:1:2), कुल ₹ 21.00 लाख प्रत्येक ग्राम हेतु निर्धारित है।

25.5 दिव्यांग छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत कक्षा 01 से 08 तक के अध्ययनरत दिव्यांग बच्चों, जिनके माता–पिता की मासिक आय ₹ 2,000 तक हो, को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

25.6 पिछड़ी जाति पूर्वदशम (कक्षा–9 से 10) छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत कक्षा 9 से 10 तक के ऐसे छात्र/छात्रायें जिनके अभिभावक की मासिक आय ₹ 2.50 लाख से अधिक नहीं हो को भारत सरकार द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार ₹ 4000/– वार्षिक छत्रवृत्ति प्रदान की जाती है, जिसका 90 प्रतिशत भारत सरकार एवं 10 प्रतिशत व्ययभार राज्य सरकार वहन करती है।

25.7 अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए कक्षा 01 से 08 तक, कक्षा 09 व 10 तथा दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना वित्तीय वर्ष 2025–26 के माह दिसंबर, 2025 तक ₹ 49.93 लाख की धनराशि Public Financial Management System के माध्यम से भुगतान कर 454 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया है।

26 सूचना एवं विज्ञान प्रौद्यौगिकी

26.1 राज्य के आई0टी0 अवस्थापना के साईबर सुरक्षा हेतु Cyber Crisis Management Plan (CCMP) एवं Critical Information Infrastructure (CII) Guidelines को उत्तराखण्ड कैबिनेट द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी है। उत्तराखण्ड राज्य में, डिजिटल सुरक्षा और गवर्नेंस में सुधार करने, साइबर सुरक्षा की तैयारी साईबर हमलों से निपटने के लिये Sectoral CERT (Computer Emergency Response Team) एवं CERT-UTK का गठन किया गया है।

26.2 स्टेट डाटा सेंटर में वर्तमान में 110 विभिन्न विभागों की ऐप्लीकेशन्स होस्ट की जा चुकी हैं तथा अन्य ऐप्लीकेशन्स को होस्ट करने का कार्य गतिमान है।

26.3 अपणि सरकार पोर्टल (पूर्व में ई–डिस्ट्रिक्ट परियोजना) के अन्तर्गत 78 विभागों की 954 नागरिक सेवाओं को विकसित एवं एकीकृत करते हुए ''अपणि सरकार पोर्टल'' के माध्यम से उत्तराखण्ड राज्य के समस्त जनपदों में नागरिकों को Web Portal, Mobile Apps ई–डिस्ट्रिक्ट एवं CSC केन्द्रों के माध्यम से प्रदान किया जा रहा है।

26.4 अपणि सरकार पोर्टल को भारत सरकार के प्रशासनिक और लोक शिकायत विभाग के NeSDA फ्रेमवर्क द्वारा देश भर में बेस्ट प्रैक्टिस के रूप में पहचान मिली है।

26.5 डी0बी0टी0 स्कीम के तहत 78 योजनाएं ''अपणि सरकार'' पोर्टल के माध्यम से प्रदान की जा रही हैं तथा 10 योजनाएं आनलाईन होने की ओर अग्रसर हैं।

26.6 डिजिटल लॉकर प्लेटफार्म डिजिटल इण्डिया प्रोग्राम के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य के निवासियों के 45 लाख से अधिक डिजिटल लॉकर क्रियान्वित किये जा चुके हैं तथा राज्य सरकार की ''अपणि सरकार'' सेवाओं से सम्बन्धित 63.61 लाख प्रमाण पत्र नागरिकों को डिजिटल लॉकर के माध्यम से जारी किये गये हैं।

27– राजस्व एवं आपदा प्रबन्धन

27.1 डिजिटल इण्डिया लैण्ड रिकार्ड मार्डनाईजेशन प्रोग्राम (DILRMP) प्रदेश की कुल 129 तहसीलों/उप तहसीलों के सापेक्ष

77 तहसीलों (65+12) में मार्डन रिकार्ड रूम की स्थापना का कार्य पूर्ण किया जा चुका है, तथा अवशेष 52 तहसीलों /उप तहसीलों जिनमें मार्डन रिकार्ड रूम हेतु समुचित स्थान उपलब्ध नहीं है, के सम्बन्ध में वैकल्पिक व्यवस्था पर 30 तहसीलों में मार्डन रिकार्ड रूम की स्थापना सम्बन्धी कार्य हेतु सम्बन्धित जनपदों को धनावंटन किया गया है।

27.2 UPZALR Act की धारा 154 अन्तर्गत भूमि क्रय की अनुमति एवं धारा–143 अन्तर्गत भू–उपयोग परिवर्तन की ऑनलाईन कार्यवाही लैण्डयूज पोर्टल http://landuse.uk.gov.in के माध्यम से कियान्वित की जा रही है।

27.3 राजस्व न्यायालयों का कम्प्यूटरीकरण प्रदेश की समस्त राजस्व न्यायालयों का आर0सी0 एम0एस0 पोर्टल के माध्यम से कम्प्यूटरीकरण किया गया, जिससे वादकारियों को अपने भूमि सम्बन्धित वादों की जानकारी ऑनलाईन प्राप्त हो जाती है।

27.4 नक्शा प्रोजेक्ट वर्तमान समय में भारत सरकार द्वारा शहरी भूमि का भी स्वामित्व की तर्ज पर संचालित नवीन योजना ''नक्शा प्रोजेक्ट'' अन्तर्गत आधुनिक डोन सर्वेक्षण विधि से सर्वे करवाया जा रहा है जिससे शहरी भूमि की सही पहचान के साथ हितबद्ध व्यक्ति को उसकी भूमि/सम्पत्ति का सही हक प्राप्त हो सकेगा। नक्शा प्रोजेक्ट अन्तर्गत अभी प्रदेश की 04 नगर निकायों भगवानपुर, जनपद हरिद्वार, नरेन्द्रनगर, जनपद टिहरी गढ़वाल, किच्छा, जनपद उधमसिंहनगर एवं अल्मोड़ा, जनपद अल्मोड़ा को भारत सरकार द्वारा पायलट रूप से चिन्हित किया है।

27.5 उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के अन्तर्गत वर्ष पर्यन्त 24 X 7 प्रारूप पर राज्य आपातकालीन परिचालन केन्द्र (SEOC) संचालित किया जा रहा है।

27.6 वर्ष 2012 से वर्तमान में दिनांक 271.2025 तक प्राकृतिक आपदा से प्रभावित कुल 22 ग्रामों के 2985 परिवारों का पुनर्वास किया गया।

अध्याय–2
राज्य आय एवं लोक वित्त
State Income and Public Finances

सकल राज्य घरेलू उत्पाद जिसे सामान्यतः राज्य आय (State Income) के नाम से भी जाना जाता है, किसी भी राज्य के आर्थिक विकास का सर्वोत्तम मापदण्ड है। यह अनुमान राज्य की अर्थव्यवस्था के आकार को प्रदर्शित करता है। अर्थव्यवस्था को मुख्य रूप से तीन भागों में बांटा गया है –प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र तथा तृतीयक क्षेत्र। तीनों क्षेत्रों के आधार पर राज्य की अर्थव्यवस्था का आंकलन निम्नानुसार किया गया हैः–

2.1 राज्य की अर्थव्यवस्था में विभिन्न क्षेत्रों का योगदान :राज्य अर्थव्यवस्था के खण्डवार विश्लेषण के अनुसार वर्ष 2025–26 के अग्रिम अनुमान के अनुसार राज्य का कुल राज्य सकल मूल्य वर्द्धन (प्रचलित भाव पर) प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक क्षेत्र का तुलनात्मक योगदान चार्ट 2. 1 में दर्शाया गया हैः–

चार्ट 2.1 : अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्रों का योगदान प्रचलित भाव पर (प्रतिशत में) वर्ष 2025–26

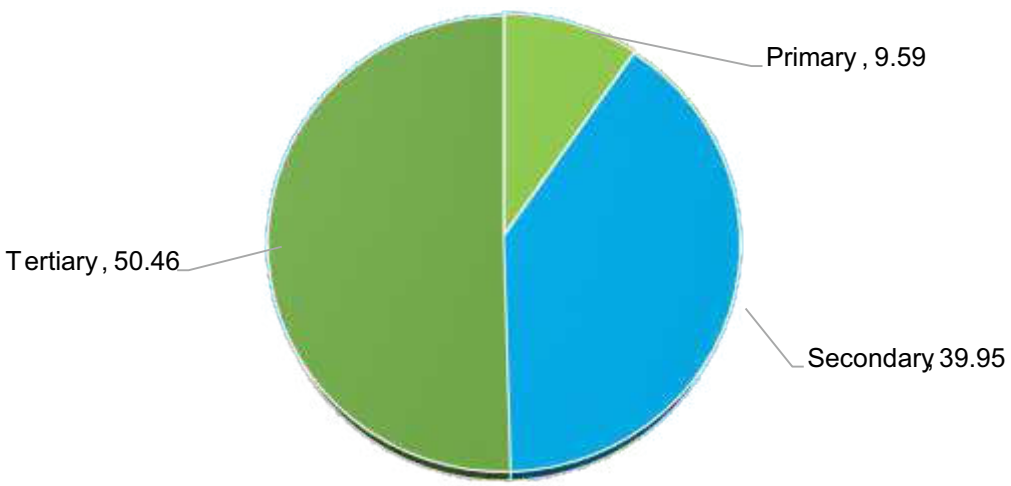

नोटः–वर्ष 2022–23 सें वर्ष 2025–26 के अनुमान अनन्तिम हैं।

2.2 राज्य अर्थव्यवस्था की खण्डवार एवं उप–खण्डवार मूल्य वर्द्धन (Value Addition) एवं वृद्धि दरें :

वर्ष 2025–26 के अग्रिम अनुमान के आधार पर विभिन्न क्षेत्रों के योगदान को निम्नानुसार तालिका के माध्यम से दर्शाया गया है।

2.2.1 प्राथमिक क्षेत्र (Primary Sector): प्राथमिक क्षेत्र की विभिन्न मदों की चालू मूल्यों पर मद्वार उपलब्धियां (मूल्य वर्द्धन तथा वृद्धि दरें) तालिका–2.2.1 एवं चार्ट – 2.2.1 में प्रदर्शित हैः–

तालिका–2.2.1

प्रचालित मूल्यों पर प्राथमिक क्षेत्र के विभिन्न उप–खण्डों के GDP के अनुमान तथा वृद्धि दरें

प्राथमिक क्षेत्र	प्रचलित मूल्यों पर वर्ष 2025–26		वर्ष 2025–26
मदें	कुल मूल्य वर्द्धन (₹ करोड़ में)	वृद्धि दर (प्रतिशत में)	प्रतिशत अंश
1	2	3	4
1. कृषि	11192	-3.96	33.50
2. पशुपालन	9103	5.41	27.25
3. वानिकी एवं लठ्ठा बनाना	9032	5.44	27.04
4. मत्स्य पालन	179	12.78	0.54
5. खनन तथा उत्खनन	3898	4.91	11.67
कुल प्राथमिक क्षेत्र	**33404**	**2.06**	**100.00**

स्रोतः–अर्थ एवं संख्या निदेशालय उत्तराखण्ड

चार्ट 2.2.1 : वर्ष 2025–26 में प्रचलित भावों पर प्राथमिक क्षेत्र में उप क्षेत्रों का योगदान

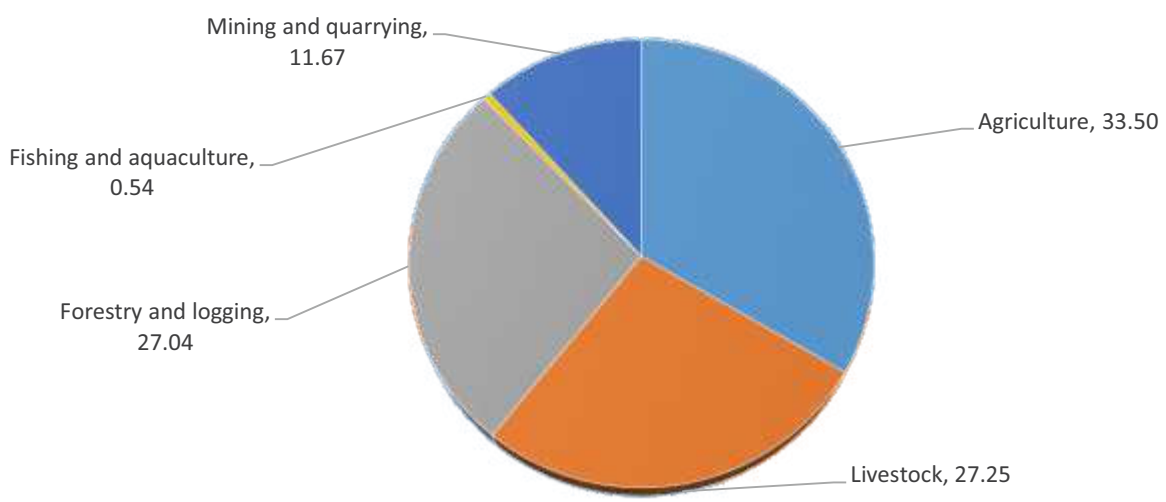

स्रोतः–अर्थ एवं संख्या निदेशालय उत्तराखण्ड

उक्त चार्ट के अनुसार वर्ष 2025–26 में प्रचलित मूल्यों पर प्राथमिक क्षेत्र की उप मदों के अन्तर्गत कृषि का योगदान सर्वाधिक 33.50 प्रतिशत रहा है।

2.2.2 द्वितीयक क्षेत्र (Secondary Sector): द्वितीयक क्षेत्र में विनिर्माण, निर्माण तथा विद्युत, गैस, जल सम्पूर्ति एवं अन्य उपयोगी सेवाएं सम्मिलित हैं। विनिर्माण के अन्तर्गत खाद्य, कपड़ा, लकड़ी, रबड़, आयरन व स्टील आदि विभिन्न वस्तुओं के विनिर्माण की आर्थिक गतिविधियों को सम्मिलित किया जाता है। वर्ष 2025–26 में द्वितीयक क्षेत्र की 8.07 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है। प्राथमिक क्षेत्र के खनन् तथा उत्खनन् की आर्थिक गतिविधियों को द्वितीयक क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों में सम्मल्लित करने पर औद्योगिक क्षेत्र की प्रचलित भाव पर 7.98 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है। प्रचालित मूल्यों पर द्वितीयक क्षेत्र के विभिन्न उप–खण्डों के मूल्य वर्द्धन के अनुमान तथा वृद्धि दरें तालिका–2.2.2 एवं चार्ट 2.2.2 में प्रदर्शित हैः–

तालिका –2.2.2

द्वितीयक क्षेत्र	प्रचलित मूल्यों पर वर्ष 2025–26		वर्ष 2025–26
मदे	कुल मूल्य वर्द्धन (₹ करोड़ में)	वृद्धि दर (प्रतिशत में)	प्रतिशत अंश
1	2	3	4
1. विनिर्माण	91,364	7.70	65.68
2. विद्युत, गैस, जलापूर्ति एवं अन्य उपयोगी सेवाएं	10,943	14.20	7.87
3. निर्माण	36,795	7.27	26.45
उप योग द्वितीयक क्षेत्र	**139,101**	**8.07**	**100.00**
औद्योगिक क्षेत्र	142,999	7.98	

स्रोतः–अर्थ एवं संख्या निदेशालय उत्तराखण्ड

चार्ट 2.2.2 : वर्ष 2025–26 में प्रचलित भावों पर द्वितीयक क्षेत्र में उप क्षेत्रों का योगदान

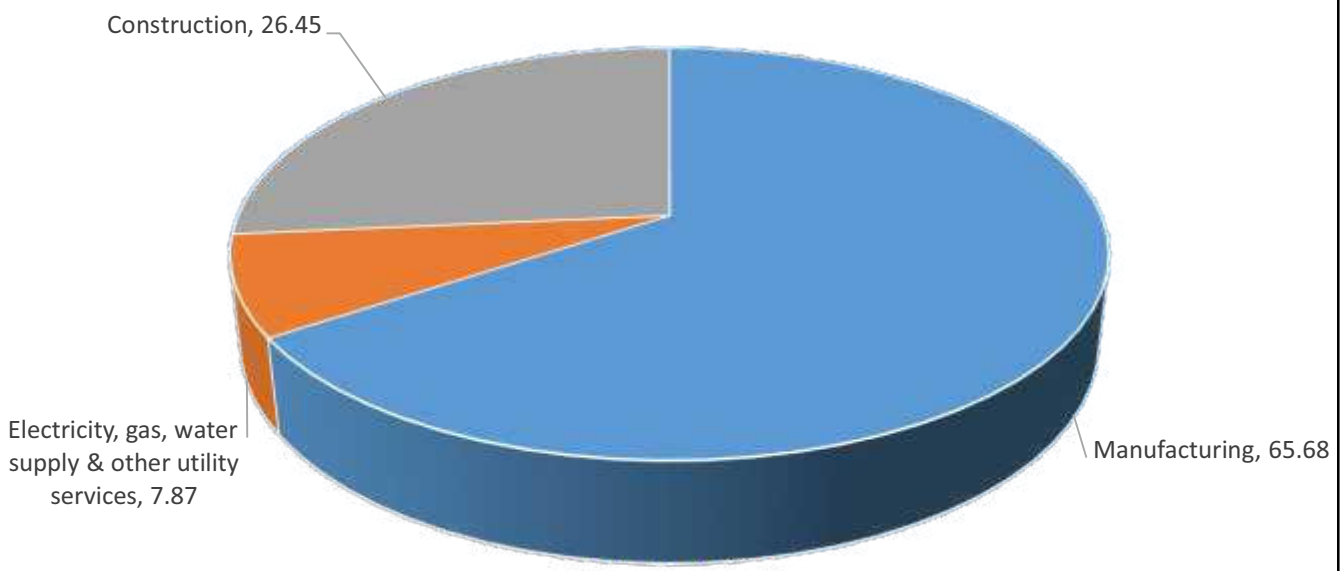

स्रोतः–अर्थ एवं संख्या निदेशालय उत्तराखण्ड

उक्तचार्ट के अनुसार वर्ष 2025–26 में प्रचलित मूल्यों पर द्वितीयक क्षेत्र की उप मदों के अन्तर्गत विनिर्माण का योगदान सर्वाधिक 65.68 प्रतिशत रहा है।

2.2.3 तृतीयक क्षेत्र (Tertiary Sector):

तृतीयक क्षेत्र में परिवहन, भण्डारण, संचार एवं प्रसारण सम्बन्धित सेवाएं व्यापार, होटल एवं जलपान गृह, वित्तीय सेवाएं, स्थावर सम्पदा, व्यावसायिक सेवाएं, लोक प्रशासन तथा अन्य सेवाएं सम्मिलित हैं। वर्ष 2025–26 में अग्रिम अनुमान के अनुसार समग्र तृतीयक क्षेत्र में 11.11 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है। प्रचालित मूल्यों पर तृतीयक क्षेत्र के विभिन्न उप–खण्डों के मूल्य वर्द्धन के अनुमान तथा वृद्धि दरें तालिका–2.2.3 एवं चार्ट 2.2.3 मे प्रदर्शित हैः–

तालिका–2.2.3

तृतीयक क्षेत्र	प्रचलित मूल्यों पर वर्ष 2025–26		वर्ष 2025–26
मदे	कुल मूल्य वर्द्धन (₹ करोड़ में)	वृद्धि दर (प्रतिशत में)	प्रतिशत अंश
1	2	3	4
1. परिवहन, भंडारण, संचार एवं प्रसारण से संबंधित सेवायें	31,907	9.69	18.16
2. व्यापार, होटल एवं जलपान गृह	65,446	10.22	37.25
3. वित्तीय सेवायें	13,934	11.30	7.93
4. स्थावर सम्पदा, अवास का स्वामित्व एवं व्यावसायिक सेवायें	22,567	13.99	12.84
5. लोक प्रशासन	15,595	12.53	8.88
6. अन्य सेवायें	26,246	11.73	14.94
उप योग तृतीयक क्षेत्र	**175,695**	**11.11**	**100.00**

स्रोतः–अर्थ एवं संख्या निदेशालय उत्तराखण्ड

चार्ट 2.2.3 : वर्ष 2025–26 में प्रचलित भावों पर तृतीयक क्षेत्र में उप क्षेत्रों का योगदान

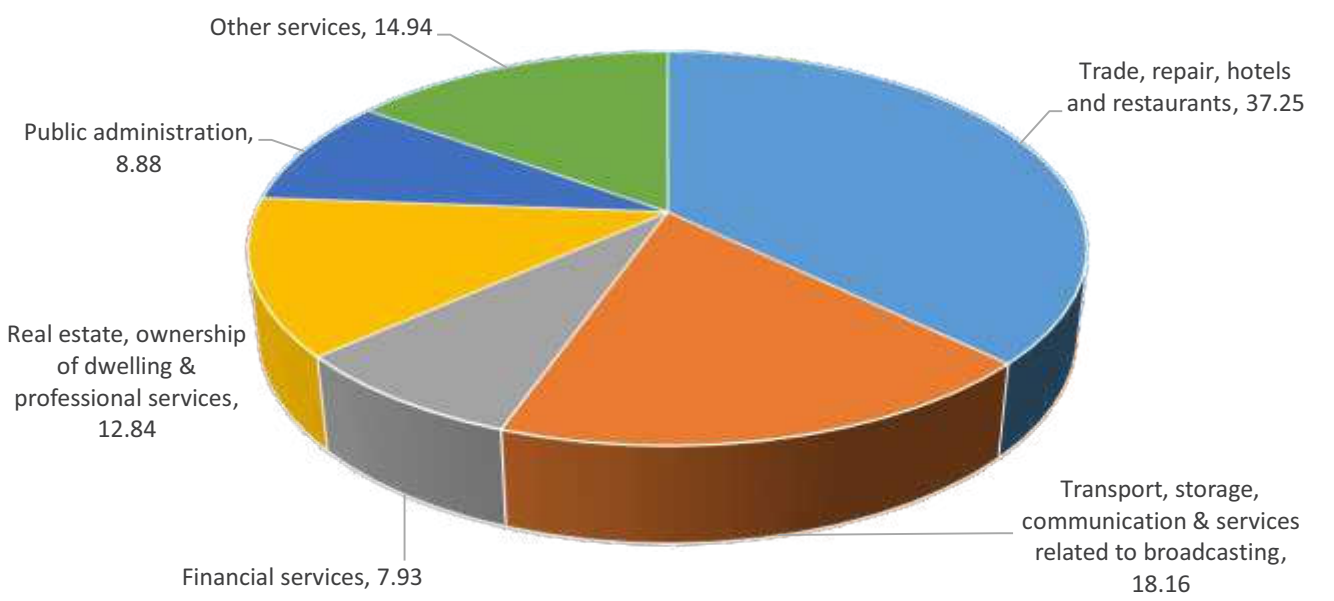

स्रोतः–अर्थ एवं संख्या निदेशालय उत्तराखण्ड

उक्तचार्ट के अनुसार वर्ष 2025–26 में प्रचलित मूल्यों पर तृतीयक क्षेत्र की उप मदों के अन्तर्गत व्यापार, होटल एवं जलपान गृह का योगदान सर्वाधिक 37.25 प्रतिशत रहा है।

2.3 सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रचलित भावपर) Gross State Domestic Product (at Current Prices) :

वर्ष 2025–26 के अग्रिम अनुमान के अनुसार प्रचलित भाव पर राज्य का सकल घरेलू उत्पाद पिछले वर्ष 2024–25 (संशोधित) के ₹ 3,47,981 करोड़ की तुलना में ₹ 3,81,889 करोड़ अनुमानित है, जो कि 9.74 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। राज्य की अर्थव्यवस्था में मुख्य रूप से योगदान विनिर्माण (26.24%), व्यापार होटल एवं जलपान गृह (18.80%), निर्माण (10.57%), तथा परिवहन, भंडारण, संचार एवं प्रसारण (9.16%) से संबंधित सेवा आदि आर्थिक गतिविधियों को जाता है। राज्य आय के अनुमान विभिन्न वित्तीय संस्थाओं, गैर वित्तीय संस्थाओं, सरकारी, निजी, गैर सरकारी उपक्रमों,

स्थानीय निकायों, पारिवारिक उद्यमों आदि की आर्थिक गतिविधियों का आंकलन कर राज्य उत्पाद के आंकड़े तैयार किये जाते हैं। वित्तीय वर्ष 2011–12 से वर्ष 2025–26 तक सकल घरेलू उत्पाद (प्रचलित भाव पर) निम्न चार्ट–2.3 के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है:–

चार्ट 2.3 : प्रचलित भावों पर राज्य सकल घरेलू उत्पाद (करोड़ ₹ में)

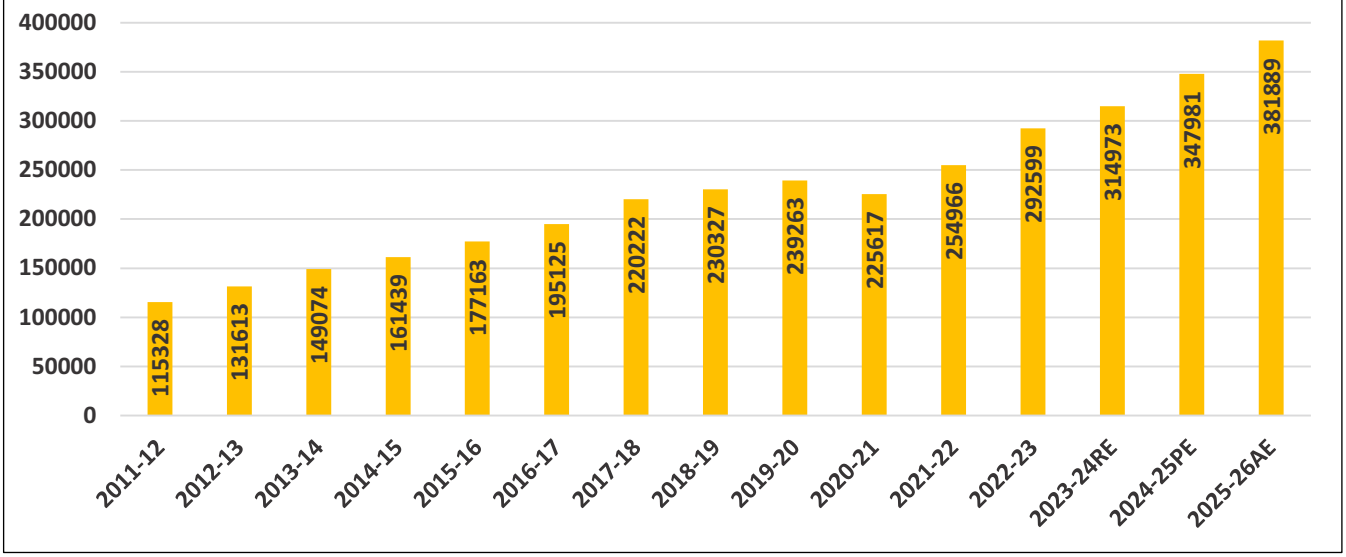

नोटः–वर्ष 2022–23 सें वर्ष 2025–26 के अनुमान अनन्तिम हैं।

2.4 स्थिर भावों परआधार वर्ष 2011–12 के अनुसार वर्ष 2012–13 से 2025–26 तक की प्रदेश व देश की आर्थिक विकास दर चार्ट–2.4 में दर्शायी गई है:–

चार्ट 2.4 : आर्थिक विकास दर (स्थिर भाव पर)

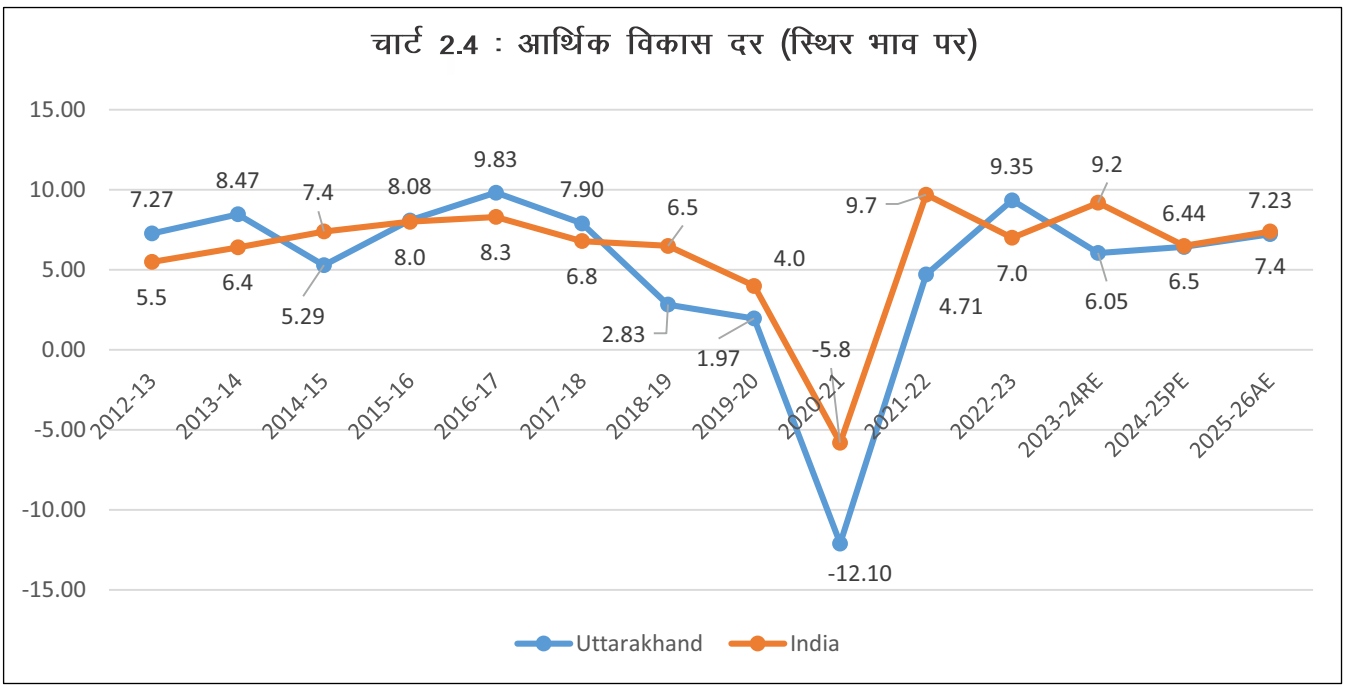

नोटः–वर्ष 2022–23 सें वर्ष 2025–26 के अनुमान अनन्तिम हैं।

राज्य निवल घरेलू उत्पाद (Net State Domestic Product) के आधार पर वर्ष 2025–26 अग्रिम अनुमानों में उत्तराखण्ड की प्रतिव्यक्ति आय प्रचलित भावों पर ₹ 2,73,921 अनुमानित है। भारत की प्रति व्यक्ति आय ₹ 2,19,575 अनुमानित है। वित्तीय वर्ष 2024–25 (संशोधित) में अखिल भारतीय स्तर पर प्रतिव्यक्ति आय ₹ 2,05,324 अनुमानित है जबकि उत्तराखण्ड राज्य की प्रतिव्यक्ति आय ₹ 2,50,736 अनुमानित है। वर्षवार प्रति व्यक्ति आय उत्तराखण्ड, हिमाचल एवं भारत का तुलनात्मक चार्ट 2.5 में दिखाया गया है–

चार्ट 2.5 : प्रति व्यक्ति आय का तुलनात्मक ग्राफ

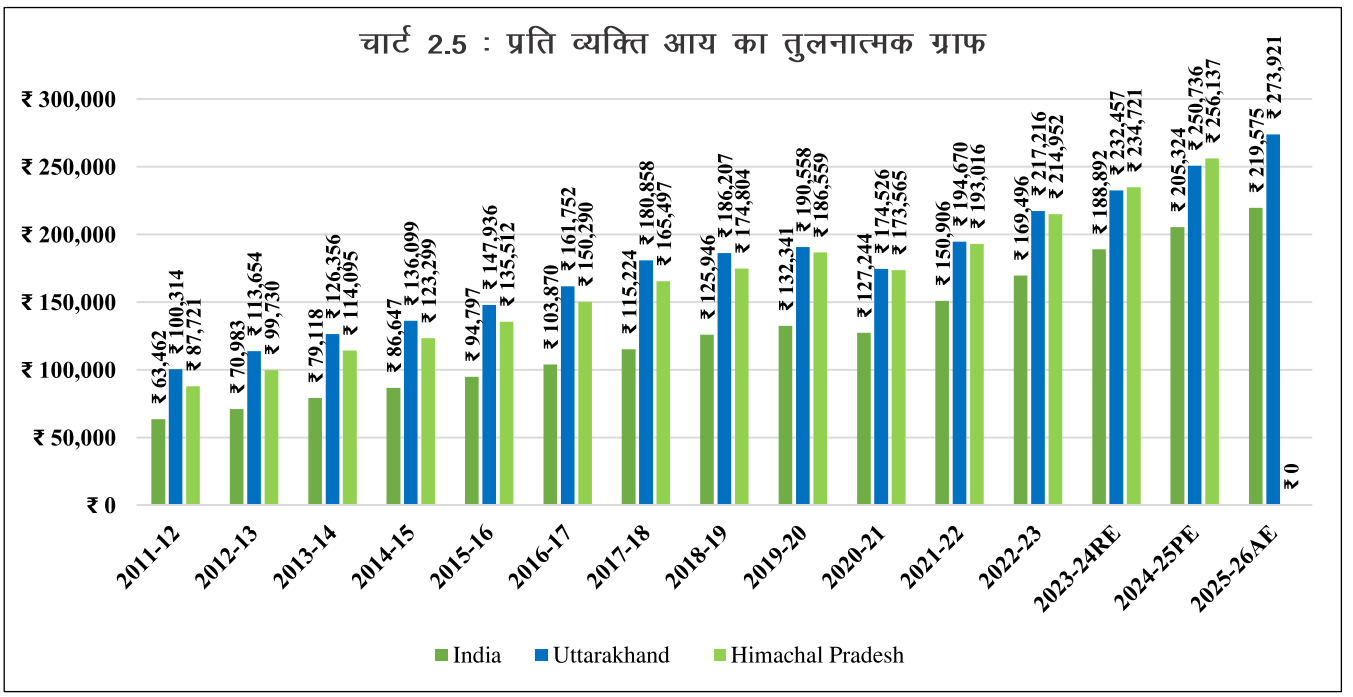

नोटः–वर्ष 2022–23 सें वर्ष 2025–26 के अनुमान अनन्तिम हैं।

लोक वित्त (Public Finance)

2.5 प्रशासन व विकासात्मक कार्यों के व्यय हेतु सरकार के मुख्य वित्तीय साधन प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष कर, कर रहित राजस्व केन्द्रीय करों में भाग तथा केन्द्र से प्राप्त सहायता अनुदान आदि हैं। वर्ष 2025–26 के बजट अनुमानों के अनुसार कुल राजस्व प्राप्तियां ₹ 60,552.90 करोड़ है जबकि वर्ष 2024–25 के पुनरीक्षित अनुमान के अनुसार ₹ 54,626.54 करोड़ है। राजस्व प्राप्तियां में वर्ष 2025–26 (बजट अनुमान) अनुसार वर्ष 2024–25 की तुलना में 10.84 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित हैं।

2.6 राजस्व प्राप्तियों में करों से कुल प्राप्त आय वर्ष 2025–26 (बजट अनुमान) के अनुसार ₹ 36146.47 करोड़ तथा वर्ष 2024–25 (पुनरीक्षित अनुमान) में ₹ 31968.43 करोड़ में आंकी गई है। राज्य कर, वर्ष 2025–26 (बजट अनुमान) में वर्ष 2024–25 (पुनरीक्षित अनुमान) की अपेक्षा 13.06 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित हैं।

2.7 राज्य के करेत्तर राजस्व जिसमें विशेष कर ब्याज प्राप्ति, ऊर्जा परिवहन तथा अन्य प्रशासनिक सेवाओं इत्यादि से प्राप्त आय सम्मिलित हैं, वर्ष 2025–26 (बजट अनुमान) में ₹ 4873.38 करोड़ आंकी गयी हैं, जो कि वर्ष 2024–25 में ₹ 4174.73 करोड़ थी।

2.8 केन्द्रीय करों में राज्य का भाग वर्ष 2025–26 (बजट अनुमान) मे ₹ 13637.15 करोड़ आंका गया हैं जो कि वर्ष 2024–25 में ₹ 12348. 25 करोड़ था।

2.9 राज्य के स्वयं के कर राजस्व की मद में 2024–25 के पुनरीक्षित अनुमानों की तुलना में वर्ष 2025–26 (बजट अनुमान) में ₹ 2889.14 करोड़ की अधिक प्राप्ति अनुमानित है, जो कि पुनरीक्षित अनुमानों से लगभग 14.73 प्रतिशत अधिक है। यह वृद्धि मुख्यतः जी0एस0टी0 तथा वैट की मद में ₹ 1313.38 करोड, राज्य उत्पादन शुल्क की मद में ₹ 539.94 करोड़ की अनुमानित है।

2.10 वर्ष 2011–12 से 2025–26 तक राज्य का राजकोषीय घाटा व प्रारंभिक घाटा की तुलना राज्य सकल घरेलू उत्पाद (अर्थव्यवस्था आकार) के सापेक्ष निम्न चार्ट–2.6 के माध्यम से प्रस्तुत की गयी है:–

चार्ट 2.6 राजकोषीय एवं प्राथमिक घाटे का राज्य के सकल घरेलू उत्पाद के सापेक्ष वर्षवार चित्रण

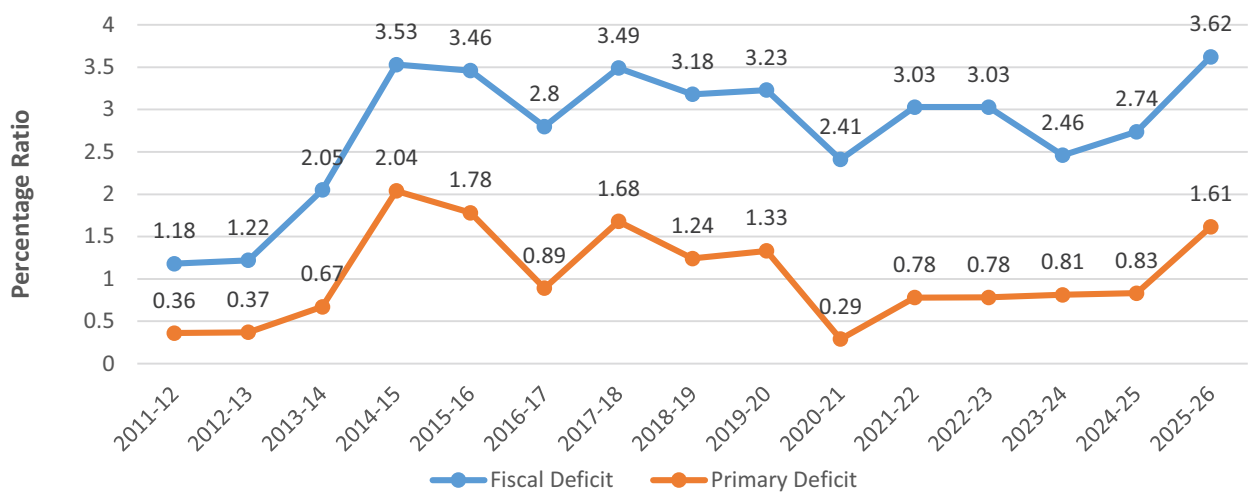

स्रोतः–अर्थ एवं संख्या निदेशालय उत्तराखण्ड

2.11 बजट विश्लेषण :– अर्थ एवं संख्या निदेशालय द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष विधानसभा से पारित बजट का विश्लेषण किया जाता है। यह विश्लेषण मात्र सरकारी क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद में योगदान ज्ञात करने के लिए नही किया जाता है, अपितु सरकार की विभिन्न स्रोत से आय तथा विभिन्न आर्थिक गतिविधियों मे व्यय का भी विश्लेषण करता है। यद्यपि विधानसभा में प्रस्तुत बजट में भी उक्तानुसार वर्गीकरण किया जाता है किन्तु इस विश्लेषण के माध्यम से आय व व्यय को उनके उददेश्यों के अनुरूप वर्गीकृत किया जाता है न कि मात्र लेखाशीर्षक अनुसार। विभिन्न राज्य स्तरीय अनुमान उदाहरणतः सकल स्थिर पूंजी निर्माण, पूंजी व्यय, कुल बचत आदि का ज्ञात बजट विश्लेषण के माध्यम से ही किया जाता है। अर्थ एवं संख्या द्वारा राज्य के बजट विश्लेषण में प्राप्तियों का विश्लेषण करते हुये मात्र राजस्व प्राप्तियो जोकि आर्थिक गतिविधियों के माध्यम से प्राप्त होती है, उक्त प्राप्तियों को ही विश्लेषण में लिया जाता है। इस विश्लेषण में पूंजीगत प्राप्तियों को – जो कि ऋणों की वसूली या उधार या अन्य देनदारियों के माध्यम से प्राप्त होती है, उक्त प्राप्तियों को विश्लेषण में नहीं लिया जाता है। इसी प्रकार राज्य के व्यय विश्लेषण में ऋण भुगतान हेतु व्यय धनराशि को बजट विश्लेषण के दौरान ध्यान में नही लिया जाता है। सरकारी विभागों को प्रशासनिक इकाइयों व विभागीय उद्यमों मे वर्गीकृत किया जाता है। विभागीय उद्यमों में ऐसे विभाग जो सरकार को राजस्व प्रदान करते है, उदाहरणतः सिंचाई, वन निगम, स्टेशनरी व मुद्रण लीथो प्रेस सम्मिलित है। शेष अन्य विभागों को प्रशासनिक इकायों में वर्गीकृत किया जाता है। वर्ष 2025–26 के बजट विश्लेषण को चार्ट के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है।

2.12 प्राप्तियों का विश्लेषणः— चार्ट 2.7 से 2.9 के माध्यम से राज्य को वर्ष 2023–24, वर्ष 2024–25 व वर्ष 2025–26 में विभिन्न स्रोत से प्राप्त आय का विश्लषण किया गया है। बजट विश्लेषण में राष्ट्रीय मानको के अनुरूप, प्रत्येक बजट प्राप्तियों को उसकी आर्थिक गतिविधि अनुसार उचित आर्थिक कोडिंग दी जाती है। कोडिंग के आधार पर राज्य की प्राप्तियों को उत्पाद कर (Txt), गैर सरकारी निकायों से प्राप्त ब्याज (Into), शुल्क और विविध प्राप्तियॉ (Mr), आय व परिसंपत्ति पर कर (Txo), उत्पादन कर (Txn), संपत्ति कर (Pr), वस्तु व सेवाओं की बिक्री से प्राप्त आय (G), स्थानीय निकायों से ब्याज से प्राप्तियॉ (Intl), वाणिज्य प्राप्तियॉ (Cr), पुरानी वस्तुओं की विक्री से प्राप्तियॉ (Ssh), धन निकासी से प्राप्तियॉ (F), पेंशन से प्राप्तियॉ (Pn), भूमि की बिक्री से प्राप्तियॉ (Sl), गैर लाभकारी संस्थानों से प्राप्त हस्तांतरण (Tn), वित्तीय संपत्तियों की बिक्री से प्राप्तियॉ (Sfa), केन्द्र सरकार से प्राप्त हस्तांत्रण (Tc) आदि मदों मे वर्गीकृत किया जाता है। उक्त वर्गीकरण के आधार पर वर्ष 2023–24, 2024–25 व 2025–26 में प्राप्त राजस्व प्राप्तियों को चार्ट के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। चार्ट से स्पष्ट है कि राज्य को सबसे अधिक प्राप्तियॉ केन्द्र सरकार से, उत्पाद कर से, आय व संपत्ति कर से व उत्पादन कर से हो रही है।

चार्ट 2.7

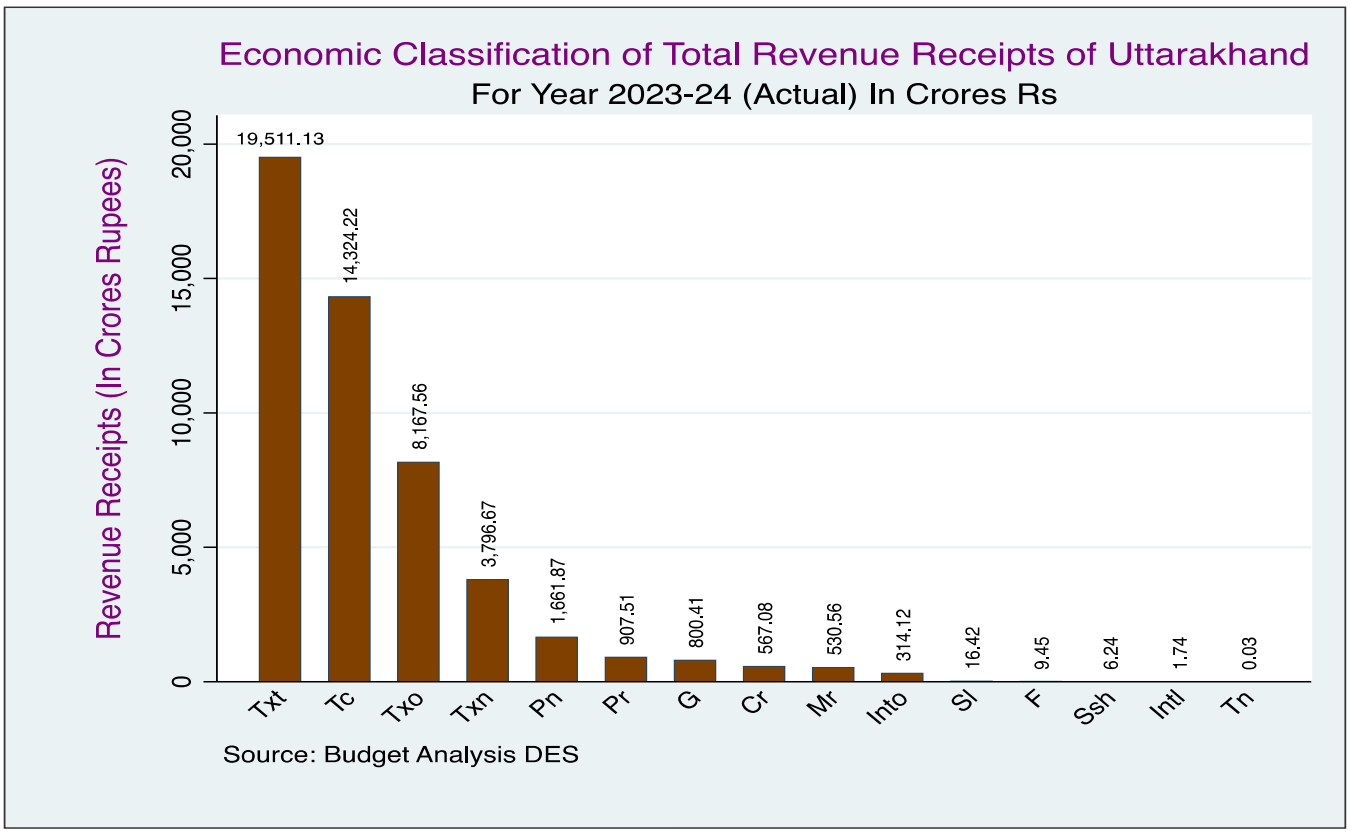

स्रोतः—अर्थ एवं संख्या निदेशालय उत्तराखण्ड

चार्ट 2.8

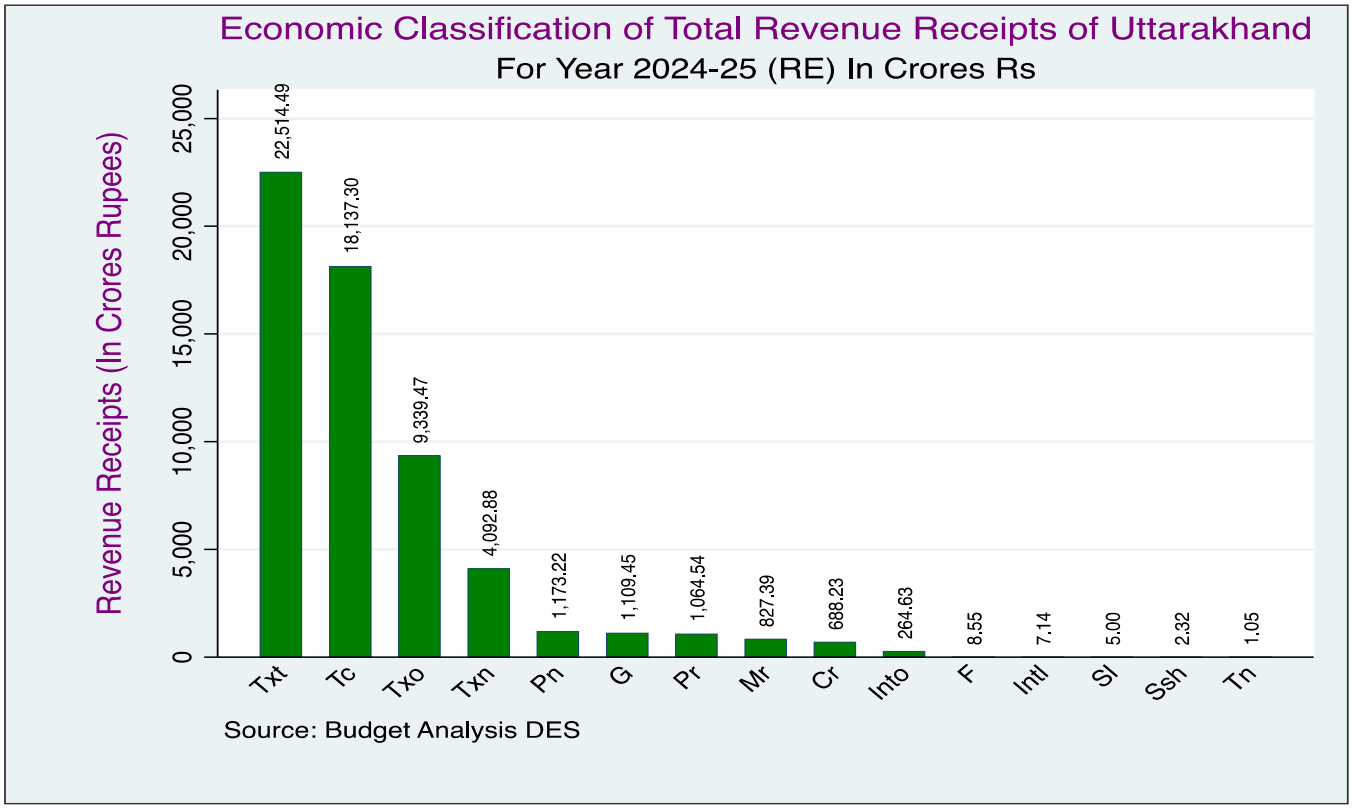

स्रोतः—अर्थ एवं संख्या निदेशालय उत्तराखण्ड

चार्ट 2.9

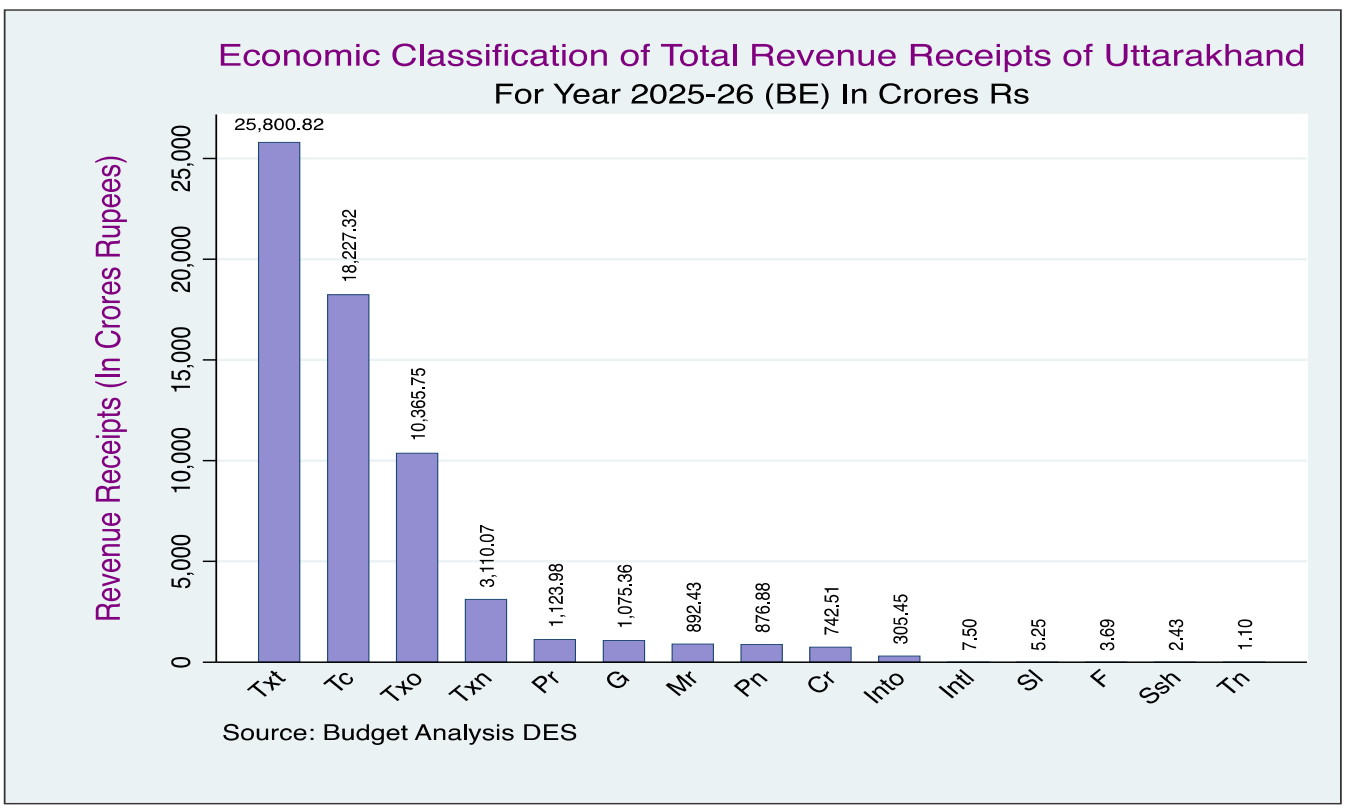

स्रोतः—अर्थ एवं संख्या निदेशालय उत्तराखण्ड

2.13 व्यय का विश्लेषणः— चार्ट 2.10—2.17 के माध्यम से राज्य को वर्ष 2023—24, वर्ष 2024—25 व वर्ष 2025—26 में विभिन्न मदों में व्यय धनराशि का विश्लेषण किया गया है। बजट विश्लेषण में राष्ट्रीय मानको अनुरूप, प्रत्येक बजट प्राप्तियों को उसकी आर्थिक व उद्देश्य की गतिविधि अनुसार उचित आर्थिक कोडिंग व उद्देश्य अनुरूप कोडिंग प्रदान की जाती है। आर्थिक सर्वेक्षण में व्यय का विश्लेषण करते हुये, मात्र प्रशासनिक इकाइयों को लिया गया है। चार्ट के माध्यम से वर्ष 2023—24, वर्ष 2024—25 व वर्ष 2025—26 मे व्यय का विश्लेषण आर्थिक आधार से दर्शाये जाने का प्रयास किया गया है। व्यय का आर्थिक आधार पर चिन्हांकन करते प्रत्येक व्यय की प्रविष्टियों को कर्मचारियों के पारिश्रमिक हेतु व्यय (CoE), सकल पूंजी निर्माण हेतु व्यय (GCF), मध्यवर्ती उपभोग हेतु व्यय (IC), पूंजी हस्तांतरण हेतु व्यय (Trnfr), फन्ड हेतु व्यय (F), वित्तीय परिसंपत्तियो की खरीदारी हेतु व्यय (PFA), कर्ज पर ब्याज हेतु भुगतान पर व्यय (Int. Paid), सब्सिडी हेतु व्यय (Subs), गैर सरकारी संगठनों को अग्रिम हेतु व्यय (Advance) मदों में विभाजित किया जाता है। उक्त वर्गीकरण के आधार पर वर्ष 2023—24, 2024—25 व 2025—26 में व्यय धनराशि को चार्ट के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। चार्ट से स्पष्ट है कि राज्य सरकार द्वारा सबसे अधिक धनराशि कर्मचारियों के पारिश्रमिक व पूंजी हस्तांतरण मे व्यय हो रही है। पूंजी हस्तांतरण में अनुदान के रूप में अन्य संस्थाओं व व्यक्ति विशेष को दी जानी वाली धनराशि को सम्मिलित किया गया है। उदाहरणार्थ छात्रवृत्ति, समाज कल्याण हेतु वितरित पेशन, स्वायत्त संस्थाओं व स्थानीय निकायों को हस्तांतरित धनराशि आदि। चार्ट के माध्यम से वर्ष 2023—24, वर्ष 2024—25 व वर्ष 2025—26 मे व्यय का विश्लेषण उद्देश्यवार दर्शाये जाने का प्रयास किया गया है। व्यय का उद्देश्यवार चिन्हांकन करते हुये, प्रत्येक व्यय की प्रविष्टियों को सार्वजनिक सेवाओं, शिक्षा सम्बन्धी सेवाओं, स्वास्थ्य सेवाओं, सामाजिक और कल्याण सेवाओं, आर्थिक सेवाओं, पर्यावरण संरक्षण सम्बन्धी सेवाओं, ब्याज पेंशन और निधि संबंधी सेवाओं और अन्य सेवाओं में वर्गीकृत किया जाता है। अन्य सेवाओं में बाढ़ राहत, सूखा राहत व अन्य प्राकृतिक आपदाओं पर व्यय धनराशि को सम्मिलित किया जाता है।

चार्ट 2.10

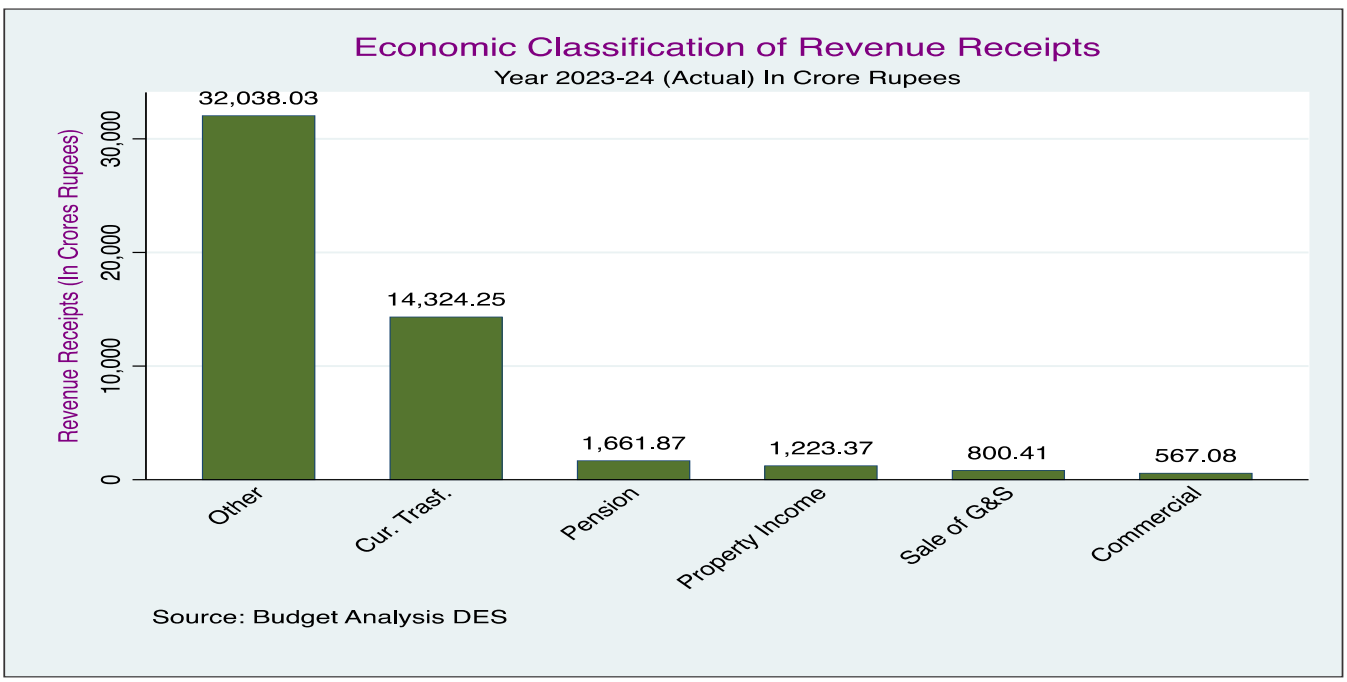

स्रोतः—अर्थ एवं संख्या निदेशालय उत्तराखण्ड

चार्ट 2.11

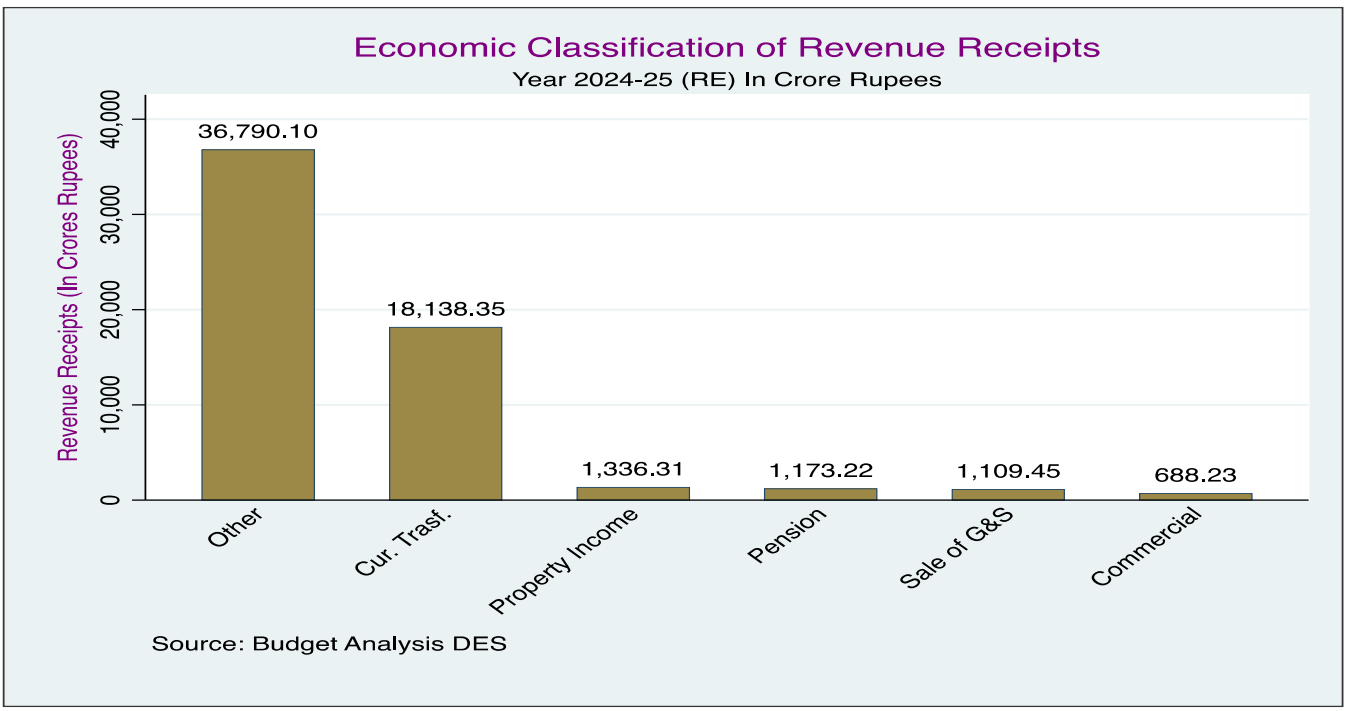

स्रोतः—अर्थ एवं संख्या निदेशालय उत्तराखण्ड

चार्ट 2.12

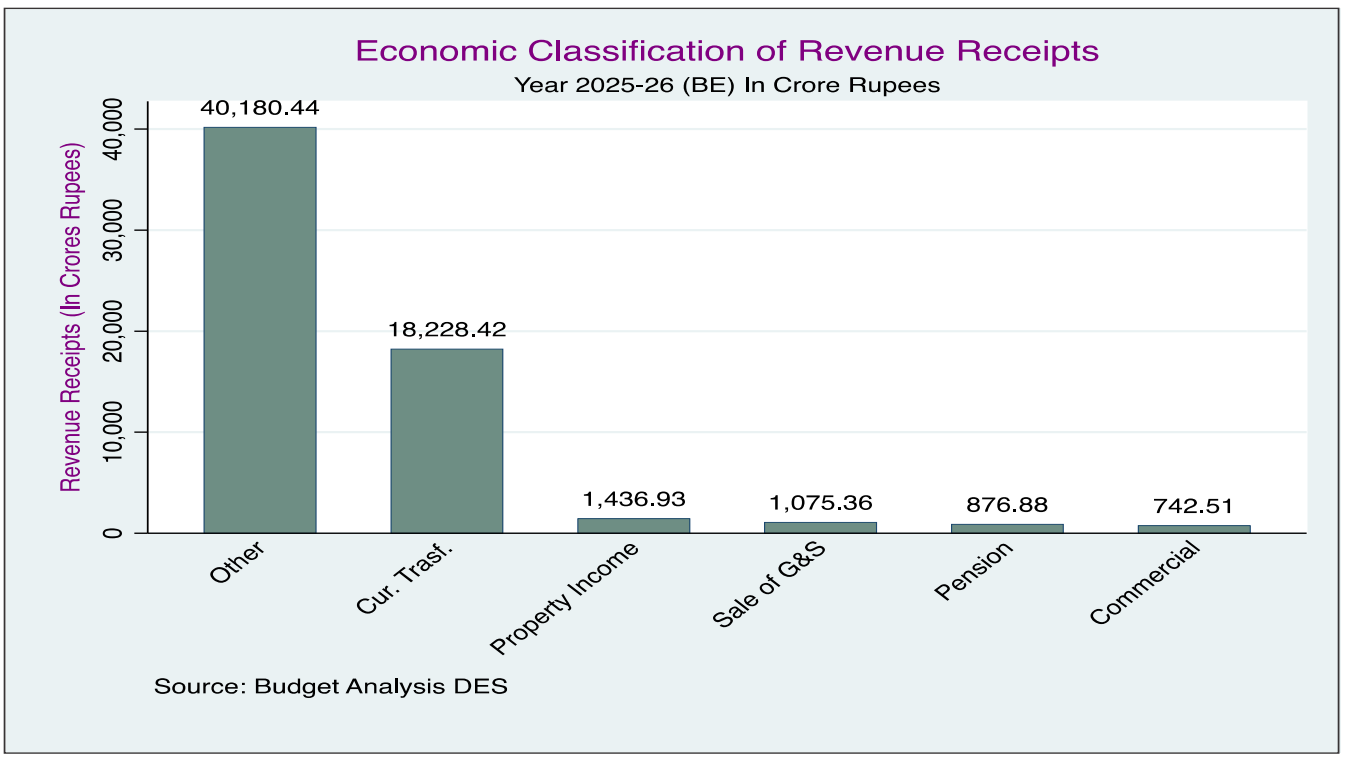

स्रोतः—अर्थ एवं संख्या निदेशालय उत्तराखण्ड

चार्ट 2.13

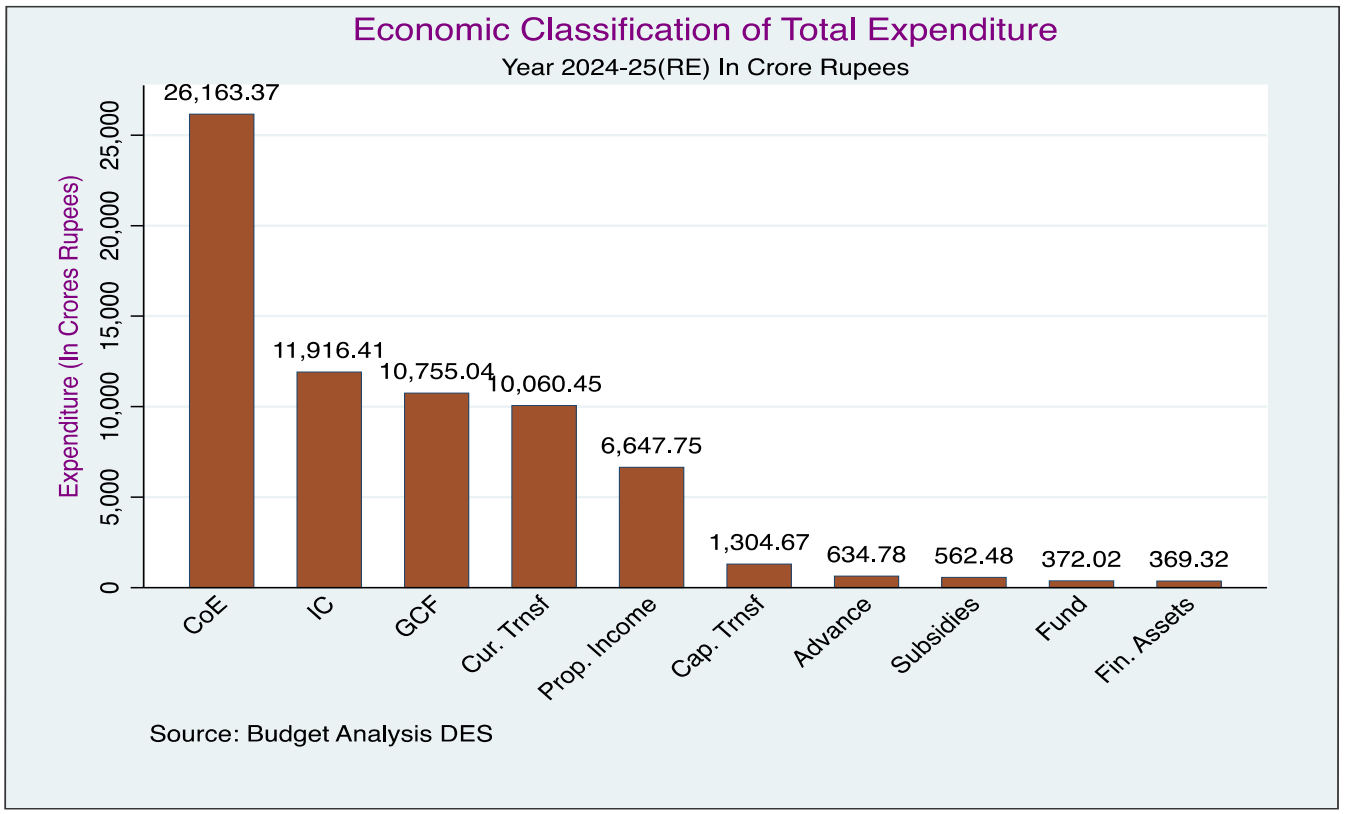

स्रोतः—अर्थ एवं संख्या निदेशालय उत्तराखण्ड

चार्ट 2.14

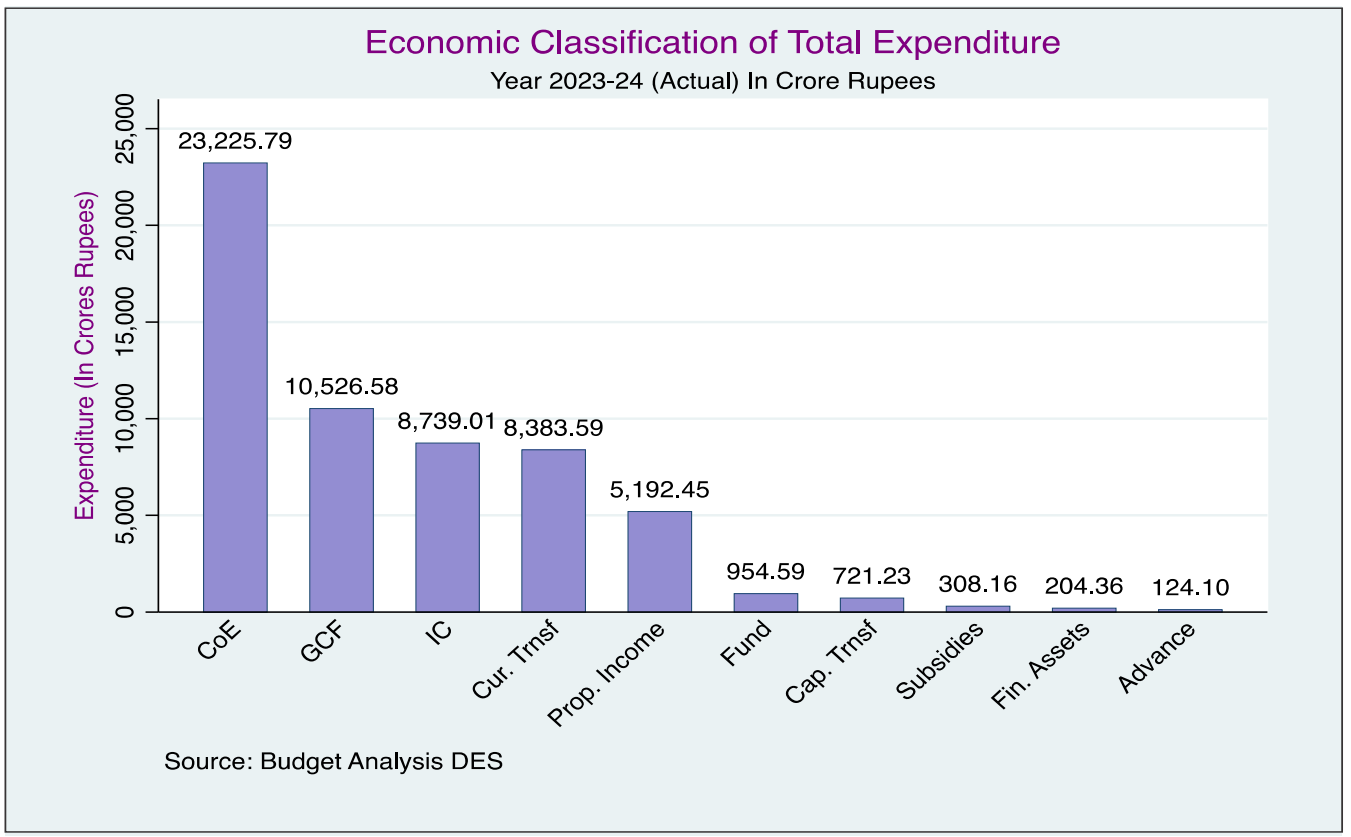

स्रोतः—अर्थ एवं संख्या निदेशालय उत्तराखण्ड

चार्ट 2.15

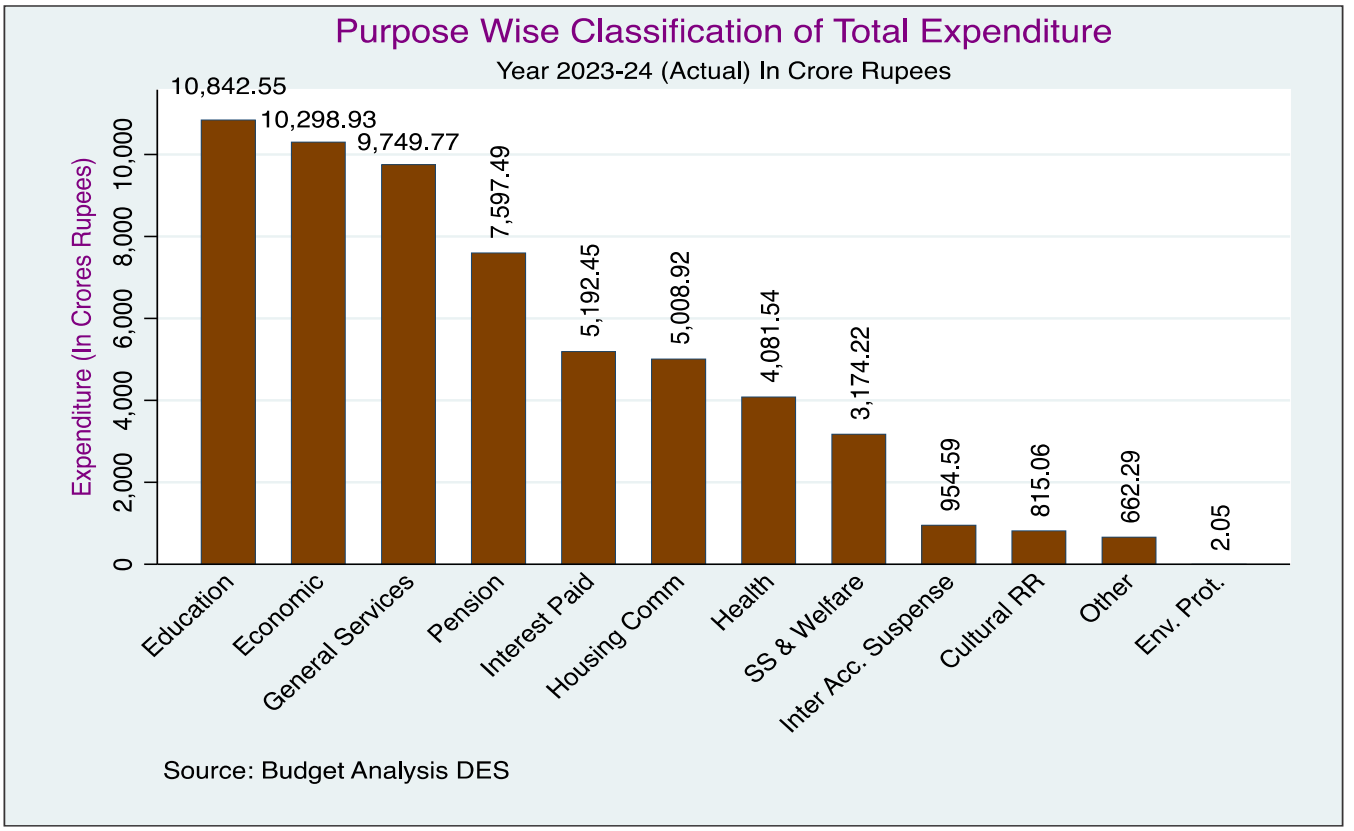

स्रोतः—अर्थ एवं संख्या निदेशालय उत्तराखण्ड

चार्ट 2.16

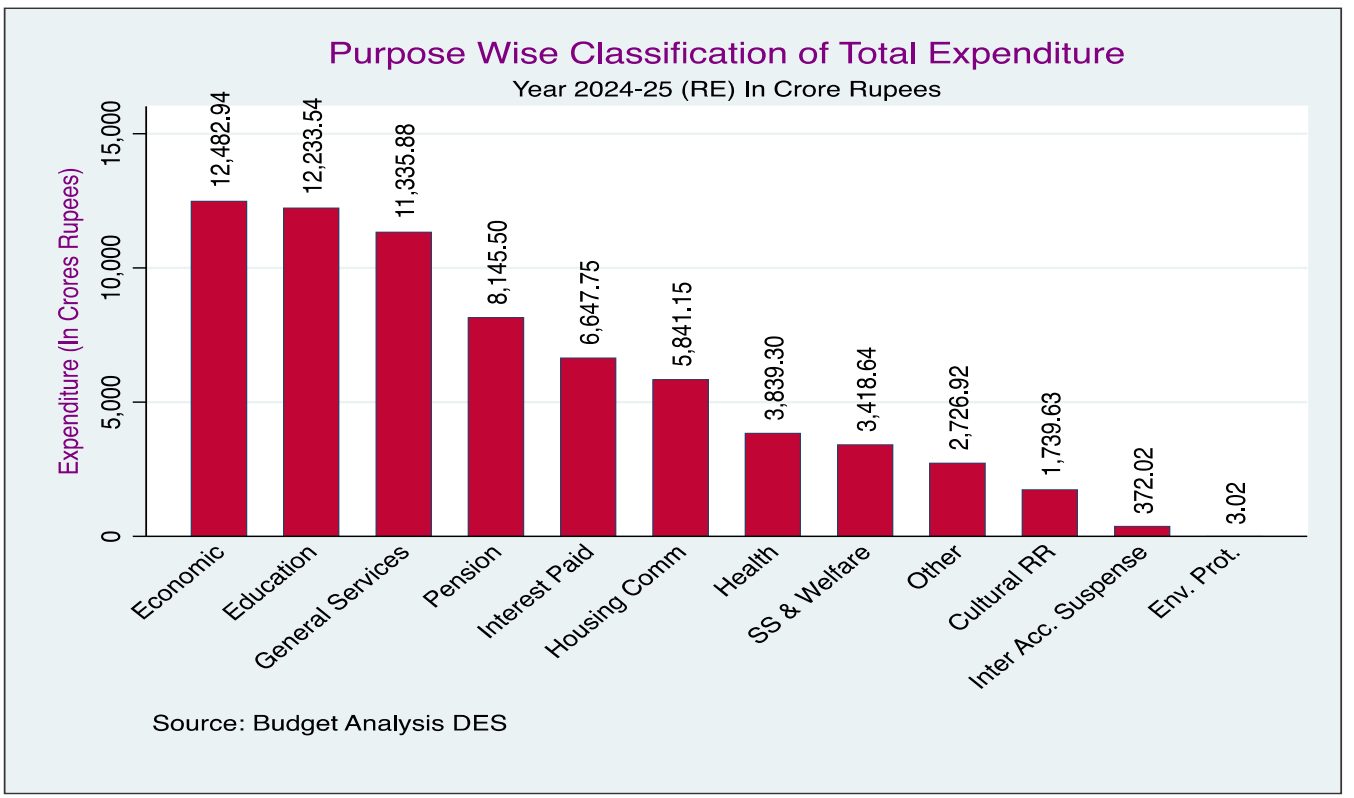

स्रोतः—अर्थ एवं संख्या निदेशालय उत्तराखण्ड

चार्ट 2.17

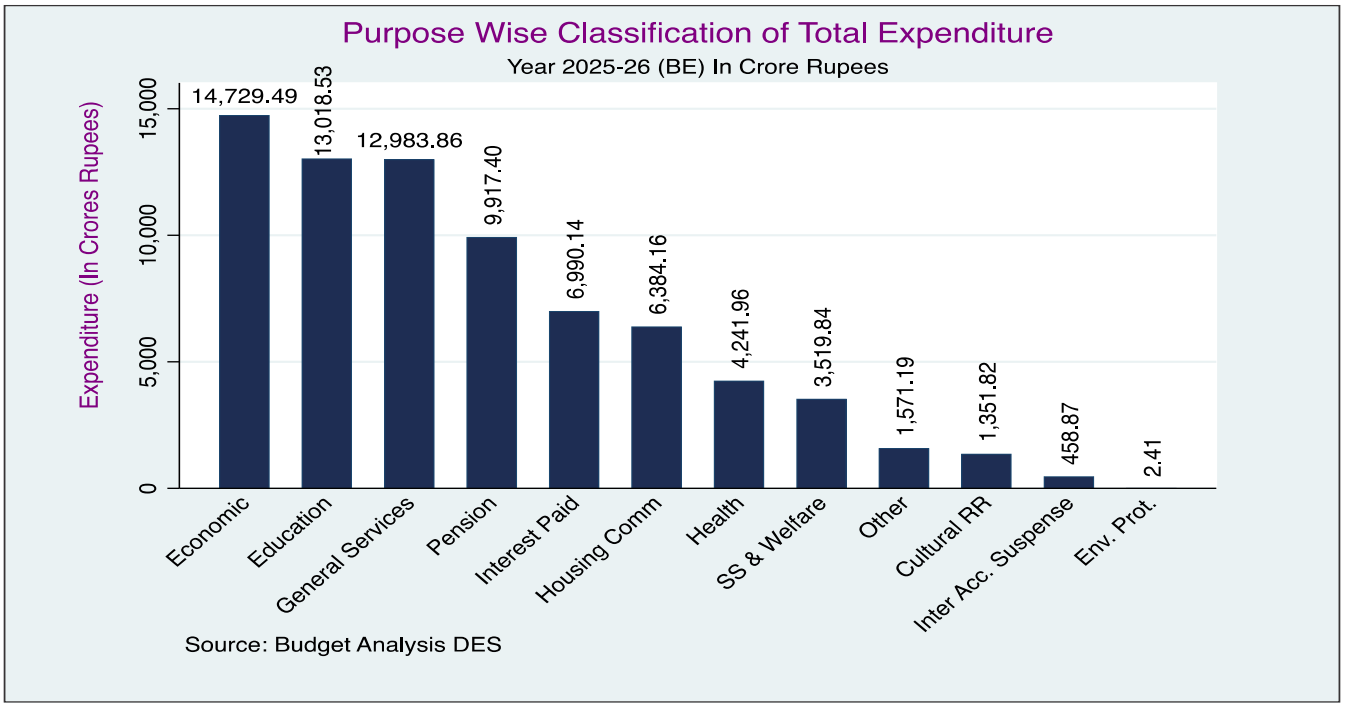

स्रोतः—अर्थ एवं संख्या निदेशालय उत्तराखण्ड

प्रदेश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले क्षेत्रकों हेतु बजट आवंटन तथा उनका जी0एस0डी0पी0 से अनुपात।

1. **कृषि** – वर्ष 2005–06 से 2025–26 तक राज्य बजट में कृषि एवं सहवर्गीय क्षेत्र में आवंटन कुल बजट का 2.65 प्रतिशत से 3.80 के मध्य रहा है। वर्ष 2025–26 में कृषि एवं सहवर्गीय क्षेत्र का GSDP में योगदान 0.74 प्रतिशत रहा। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2024–25 में राज्य सरकार द्वारा कुल बजट में कृषि एवं सहवर्गीय क्षेत्र हेतु लगातार वृद्धि की है, जोकि वर्ष 2025–26 में पर्यटन विभाग के बजट आवंटन में सकारात्मक रुझान परिलक्षित होता है। जो राज्य की अर्थव्यवस्था में पर्यटन क्षेत्र को सुदृढ़ करने के प्रयासों को इंगित करता है।

चार्ट 2.18

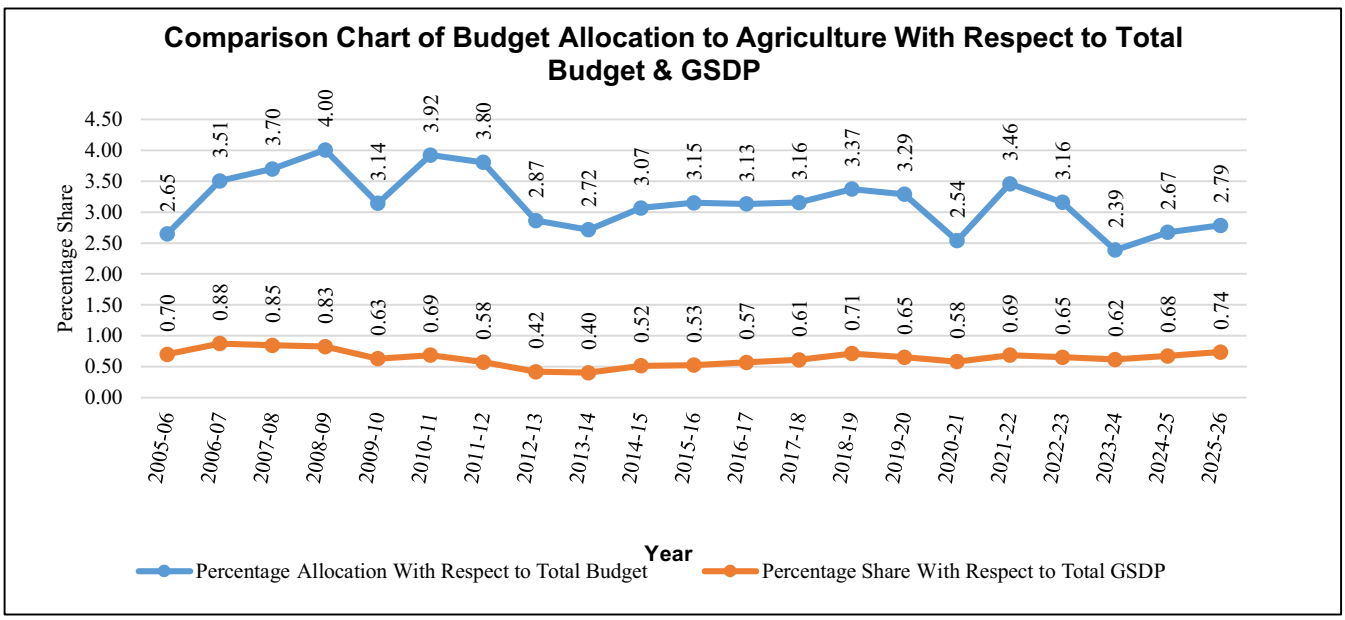

स्रोतः—अर्थ एवं संख्या निदेशालय उत्तराखण्ड

2.वानिकी– राज्य में वानिकी क्षेत्र में आंवटित बजट की स्थिति कुल बजट तथा सकल घरेलू उत्पाद के सापेक्ष प्रदर्शित है। वर्ष 2005–06 से वर्ष 2022–23 तक वन क्षेत्र में बजट आवंटन कुल बजट का 1.35 प्रतिशत से 3.98 प्रतिशत के मध्य रहा है। विभिन्न वर्षो में बजट आवंटन में उतार–चढ़ाव देखने को मिला है, जबकि वन क्षेत्र में आवंटित बजट जी0एस0डी0पी0 का 0.27 प्रतिशत से 1.05 प्रतिशत के मध्य रहा है।

वर्ष 2005–06 में वन क्षेत्र में कुल बजट आंवटन का लगभग 3.98 प्रतिशत है। वर्ष 2022–23 एवं 2023–24 में उतार'चढाव देखने को मिला है। जबकि वर्ष 2024–25 में यह बढ़कर लगभग 1.44 प्रतिशत तथा वर्ष 2025–26 में घटकर लगभग 1.41 प्रतिशत रहा है तथा वर्ष 2005–06 से 2025–26 के मध्य वन क्षेत्र में बजट आवंटन कुल बजट लगभग 1.35 प्रतिशत से 3.98 प्रतिशत के मध्य रहा है। वर्ष 2024–25 में यह लगभग 0.36 प्रतिशत तथा वर्ष 2025–26 में लगभग 0.37 प्रतिशत तक पहुंच गया।

चार्ट 2.19

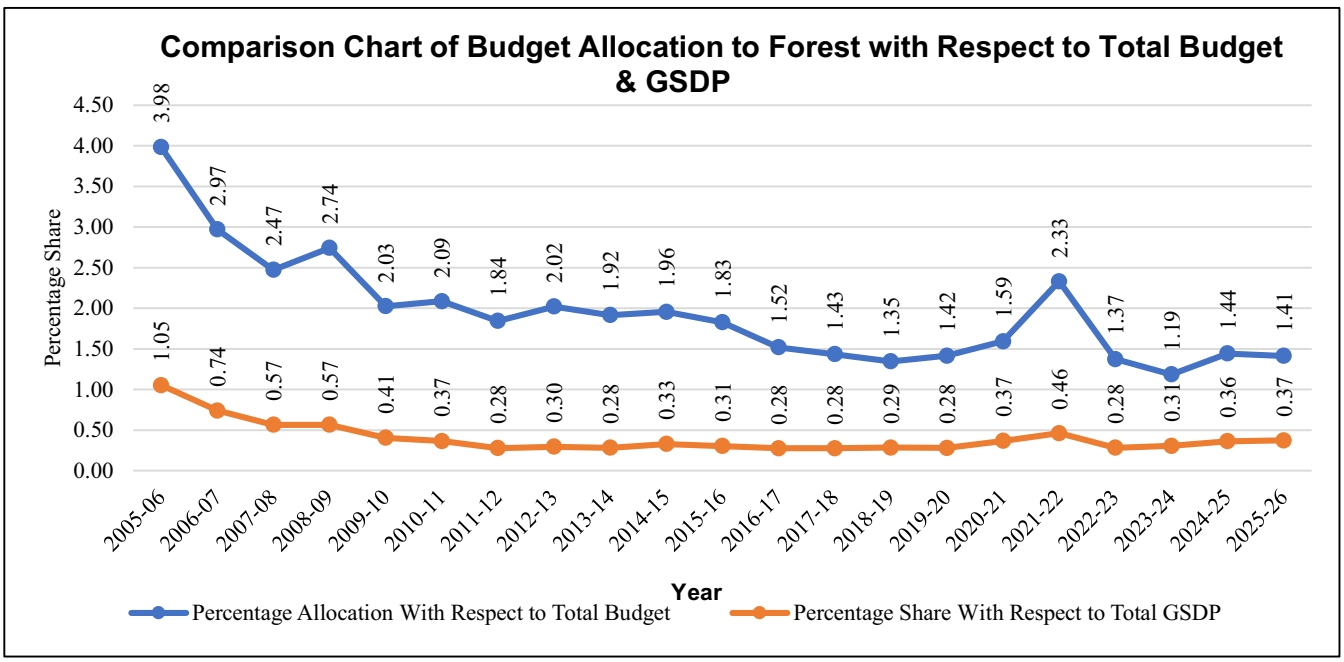

स्रोतः–अर्थ एवं संख्या निदेशालय उत्तराखण्ड

3. पर्यटन विभाग वर्ष 2005–06 में पर्यटन विभाग का बजट परिव्यय कुल बजट का 0.73 प्रतिशत था जो कि वर्ष 2024–25 में घटकर 0.49 प्रतिशत है । GSDP में पर्यटन विभाग का योगदान वर्ष 2005–06 में 0.19 प्रतिशत था जो कि वर्ष 2025–26 में घटकर 0.13 प्रतिशत है।

वर्ष 2005–06 से 2007–08 में पर्यटन विभाग का परिव्यय कुल बजट का 0.73 से 0.18 प्रतिशत था। वर्ष 2022–23 से 2025–26 के बीच इसमें सुधार हुआ है और 2025–26 में यह लगभग 0.13 प्रतिशत है।

चार्ट 2.20

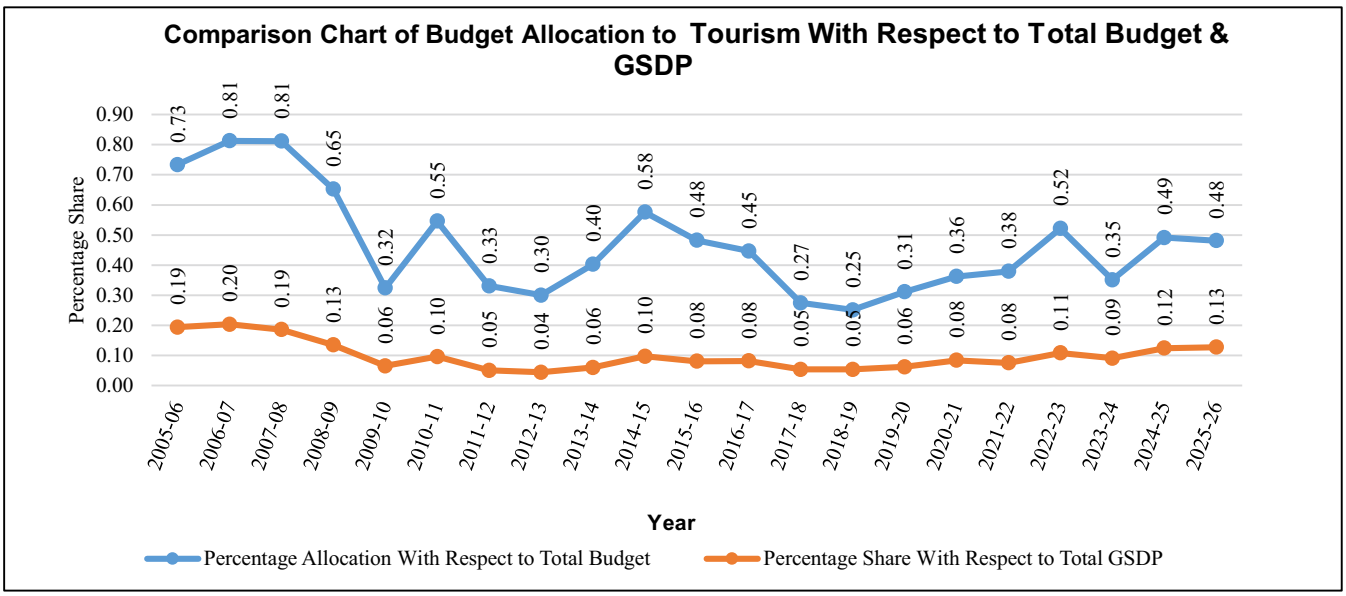

स्रोतः—अर्थ एवं संख्या निदेशालय उत्तराखण्ड

4. उद्योग विभाग के बजट परिव्यय का कुल बजट एवं GSDP से प्रतिशतः— वर्ष 2005—06 में पर्यटन विभाग का बजट परिव्यय कुल बजट का 0.68 प्रतिशत था जोकि वर्ष 2024—25 में घटकर 0.53 प्रतिशत है । GSDP में **उद्योग** विभाग का योगदान वर्ष 2005—06 में 0.18 प्रतिशत था जो कि वर्ष 2025—26 में घटकर 0.14 प्रतिशत है।

चार्ट 2.21

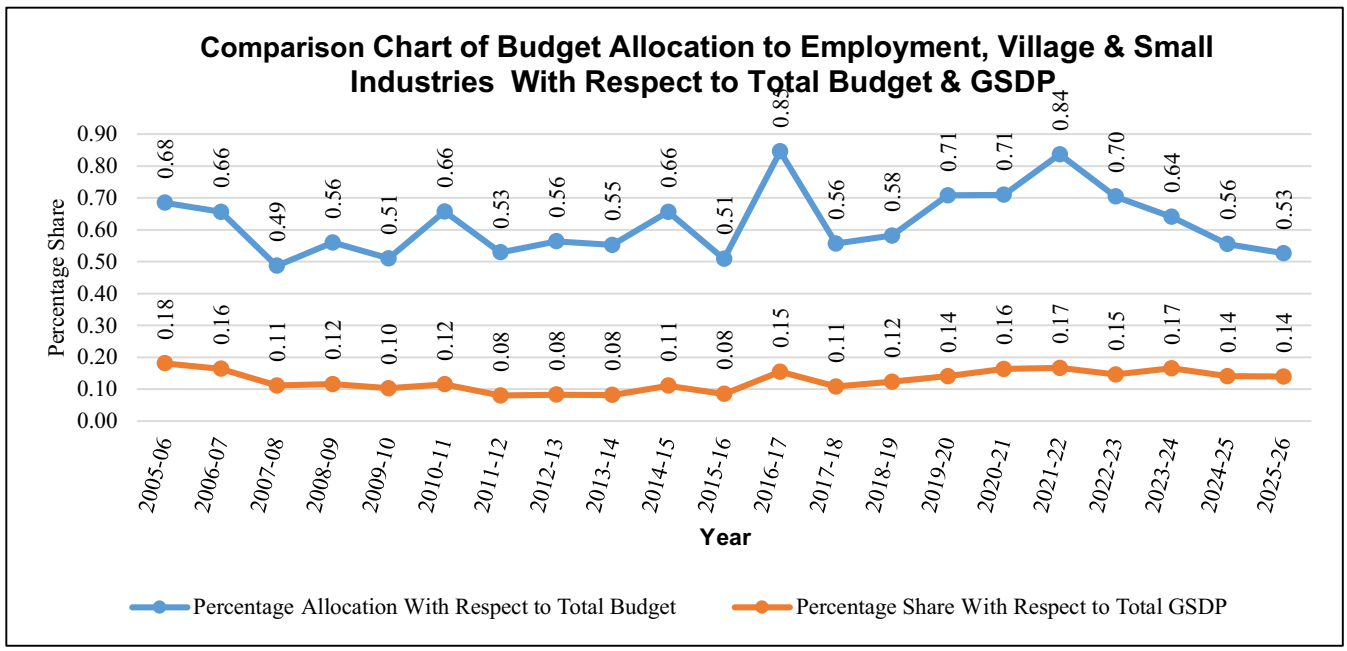

स्रोतः—अर्थ एवं संख्या निदेशालय उत्तराखण्ड

5. समाज कल्याण विभाग का बजट परिव्यय वर्ष 2005—06 में कुल बजट का 1.56 प्रतिशत था जोकि वर्ष 2024—25 में बढ़कर 3.07 प्रतिशत है । GSDP में **समाज** विभाग का योगदान वर्ष 2005—06 में 0.41 प्रतिशत था जो कि वर्ष 2025—26 में बढ़कर 0.81 प्रतिशत है।

चार्ट 2.22

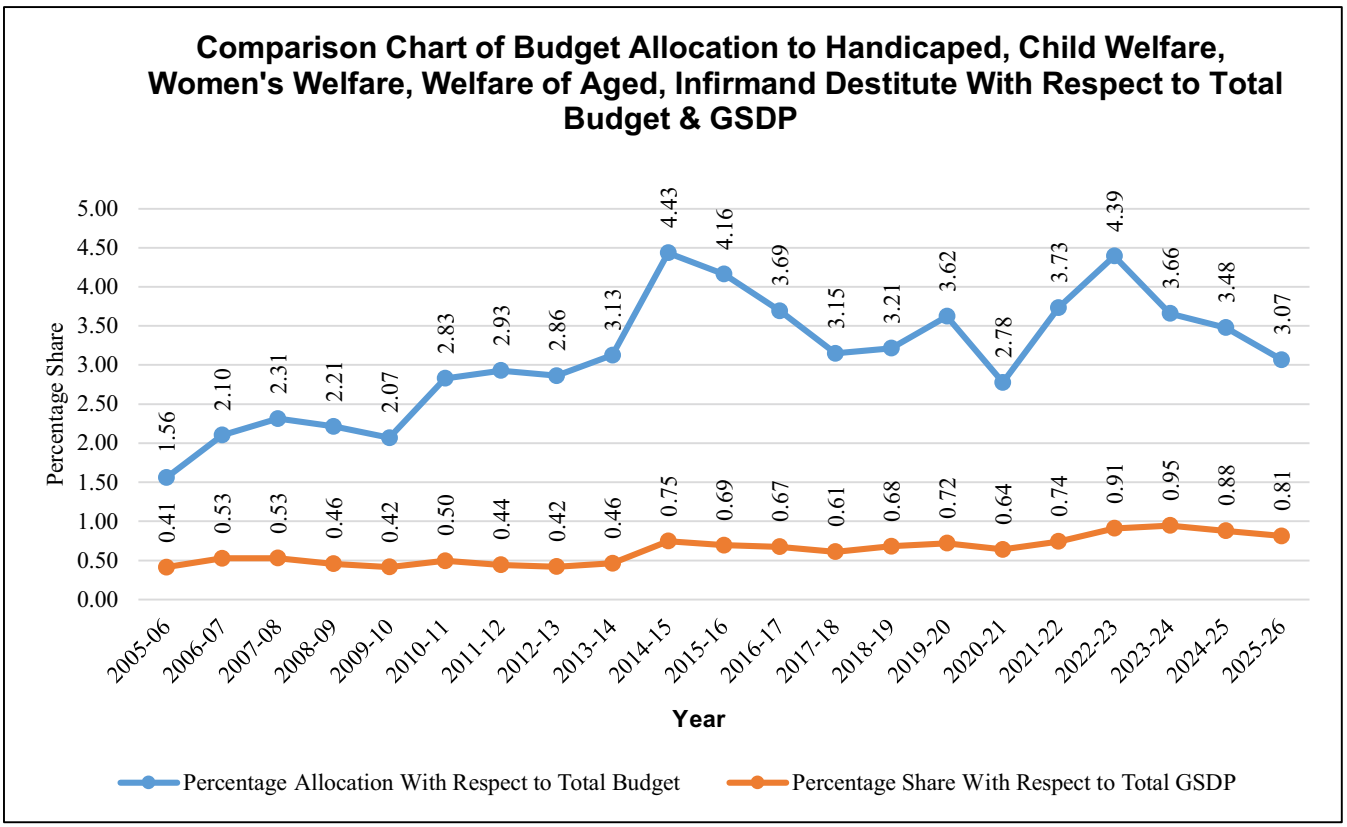

स्रोतः—अर्थ एवं संख्या निदेशालय उत्तराखण्ड

अध्याय–3
कराधान
Taxation

राज्य कर (State Tax)

राज्य कर विभाग, उत्तराखण्ड राज्य के वित्त विभाग के अन्तर्गत कार्य करता है। राज्य की सकल कर प्राप्तियों में माल एवं सेवा कर (जी0एस0टी0) तथा मूल्यवर्धित कर (वैट) का योगदान लगभग 50 प्रतिशत होने के कारण यह राज्य की आय का प्रमुख एवं महत्वपूर्ण स्रोत है।

3.1 कर संग्रहः–दिनांक 09 नवम्बर, 2000 को राज्य के अस्तित्व में आने के पश्चात वर्ष 2000–2001 में प्राप्त कर संग्रह ₹ 233 करोड़ था, जो कि वर्ष 2024–25 तक लगभग 51 गुना बढ़कर ₹ 11,862.39 करोड़ (₹ 55.82 करोड़ प्रतिकर धनराशि सहित) हो गया है। वर्ष 2025–26 में माह दिसम्बर, 2025 तक कुल राजस्व संग्रह ₹ 9,179.80 करोड़ रहा है। इसे चार्ट–3.1 में दर्शाया गया है–

चार्ट–3.1

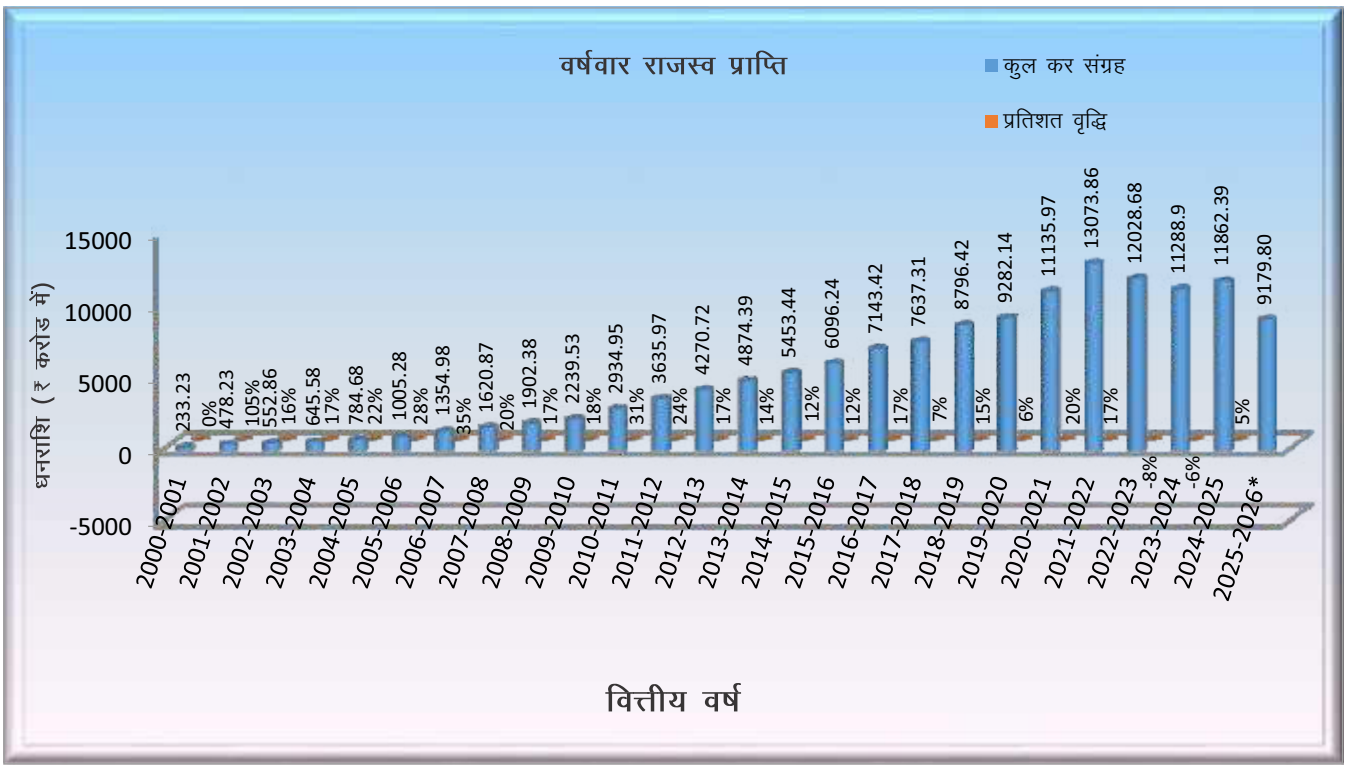

स्रोतः राज्य कर विभाग उत्तराखण्ड

3.2 राज्य कर विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2024–25 में (पेट्रोल/डीजल/पेट्रोलियम प्रोडक्ट एवं शराब पर प्राप्त कर को छोड़ते हुए) माह दिसम्बर, 2024 तक कुल ₹ 6,934.85 करोड़ (₹ 55.82 करोड़ प्रतिकर धनराशि सहित) का राजस्व अर्जित किया गया था, जबकि इसके सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2025–26 में (पेट्रोल/डीजल/पेट्रोलियम प्रोडक्ट एवं शराब पर प्राप्त कर को छोड़ते हुए) माह दिसम्बर, 2025 तक विभाग द्वारा कुल ₹ 7,301.12 करोड़ का राजस्व प्राप्त किया गया है, जिसे तालिका–3.1 में दर्शाया गया है–

तालिका–3.1

गत वर्ष के सापेक्ष पेट्रोल/डीजल/पेट्रोलियम प्रोडक्ट एवं शराब पर प्राप्त कर को छोड़ते हुए राजस्व प्राप्तियां(SGST)

(धनराशि ₹ करोड़ में)

माह	वर्ष 2024–25							वर्ष 2025–26							
	SGST	माह में प्राप्त IGST Settlement	योग (1+2)	कुल GST वापसी (Refund)	कुल संग्रह (3-4)	प्रतिकर अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त प्रतिकर धनराशि सहित	कुल प्राप्त राजस्व (5+6)	SGST	माह में प्राप्त IGST Settlement	योग (8+9)	कुल GST वापसी (Refund)	कुल संग्रह (10-11)	प्रतिकर अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त प्रतिकर धनराशि सहित	कुल प्राप्त राजस्व (12+13)	गत वर्ष के सापेक्ष कमी/वृद्धि का प्रतिशत
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
अप्रैल	636.26	280.76	917.02	15.26	901.76	0.00	901.76	720.70	162.98	883.68	23.52	860.16	0.00	860.16	-5%
मई	475.89	237.76	713.65	18.21	695.44	0.00	695.44	518.64	359.88	878.52	50.29	828.23	0.00	828.23	19%
जून	472.33	237.51	709.84	24.85	684.99	0.00	684.99	549.19	243.48	792.67	23.53	769.14	0.00	769.14	12%
जुलाई	490.49	324.65	815.14	14.06	801.08	0.00	801.08	523.96	379.38	903.34	32.04	871.30	0.00	871.30	9%
अगस्त	432.22	291.63	723.85	27.27	696.58	55.82	752.40	493.37	340.03	833.40	16.52	816.88	0.00	816.88	9%
सितम्बर	399.73	275.37	675.10	33.18	641.92	0.00	641.92	486.56	285.25	771.81	18.02	753.79	0.00	753.79	17%
अक्टूबर	485.96	308.75	794.71	11.64	783.07	0.00	783.07	506.49	370.88	877.37	19.08	858.29	0.00	858.29	10%
नवम्बर	521.67	404.19	925.86	29.75	896.11	0.00	896.11	443.73	403.65	847.38	29.87	817.51	0.00	817.51	-9%
दिसम्बर	439.24	363.13	802.37	24.29	778.08	0.00	778.08	391.31	366.08	757.39	31.57	725.82	0.00	725.82	-7%
योग	**4353.79**	**2723.75**	**7077.54**	**198.51**	**6879.03**	**55.82**	**6934.85**	**4633.95**	**2911.61**	**7545.56**	**244.44**	**7301.12**	**0.00**	**7301.12**	**5%**

स्रोतः राज्य कर विभाग उत्तराखण्ड

3.3 राज्य कर विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2024–25 में जी0एस0टी0 की परिधि से बाहर रखे गये वस्तुओं (पेट्रोल, डीजल, एटीएफ, नैचुरल गैस तथा शराब) पर माह दिसम्बर, 2024 तक कुल ₹ 1,940.58 करोड़ का राजस्व अर्जित किया गया है, जबकि इसके सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2025–26 में माह दिसम्बर, 2025 तक उक्त वस्तुओं पर कुल ₹ 1,878.68 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ है, जिसे तालिका–3.2 में दर्शाया गया है–

तालिका– 3.2

राज्य कर विभाग द्वारा गत वर्ष के सापेक्ष राजस्व प्राप्तियां (Non-GST)

(धनराशि ₹ करोड़ में)

माह का नाम	वर्ष 2024–25	वर्ष 2025–26	वृद्धि/कमी का प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)
अप्रैल	226.81	212.40	-6.35%
मई	218.27	215.60	-1.22%
जून	246.18	230.47	-6.38%
जुलाई	240.83	233.48	-3.05%
अगस्त	196.78	193.00	-1.92%
सितम्बर	193.93	181.84	-6.23%
अक्टूबर	182.99	183.02	0.02%
नवम्बर	216.78	209.85	-3.20%
दिसम्बर	218.01	219.02	0.46%
योग	**1940.58**	**1878.68**	**-3.19%**

नोट :– विभाग द्वारा गत वर्ष 2024–25 में प्रेषित डाटा में वैट एरियर से सम्बन्धित धनराशि को तालिका 3.1 के अन्तर्गत पृथक कॉलम में दर्शाया गया था, जिसे वर्तमान में तालिका 3.2 के अन्तर्गत कुल वैट/नॉन–जी0एस0टी0+वैट एरियर प्राप्तियों में सम्मिलित करते हुए दर्शाया गया है। इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2024–25 व 2025–26 की प्राप्तियों में वैट एरियर की धनराशि क्रमशः ₹ 3.76 करोड़ एवं ₹ 34.42 करोड़ भी सम्मिलित करते हुए दर्शाया गया है।

स्रोतः राज्य कर विभाग उत्तराखण्ड

3.4 राज्य कर विभाग उत्तराखण्ड को वित्तीय वर्ष 2024–25 में माह दिसम्बर तक कुल ₹ 8,875.43 करोड़ (₹ 55.82 करोड़ प्रतिकर धनराशि सहित) का राजस्व प्राप्त हुआ है, जबकि इसके सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2025–26 में माह दिसम्बर तक विभाग द्वारा कुल ₹ 9,179.80 करोड़ का राजस्व प्राप्त किया गया है, जिसे तालिका–3.3 में दर्शाया गया है–

तालिका– 3.3

राज्य कर विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा माहवार प्राप्त कुल राजस्व (GST+Non GST+Compensation)का विवरण

(धनराशि ₹ करोड़ में)

माह का नाम	वर्ष 2024–25	वर्ष 2025–26	वृद्धि/कमी का प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)
अप्रैल	1128.57	1072.56	-4.96%
मई	913.71	1043.83	14.24%
जून	931.17	999.61	7.35%
जुलाई	1041.91	1104.78	6.03%
अगस्त	949.18	1009.88	6.39%
सितम्बर	835.85	935.63	11.94%
अक्टूबर	966.06	1041.31	7.79%
नवम्बर	1112.89	1027.36	-7.69%
दिसम्बर	996.09	944.84	-5.15%
योग	**8875.43**	**9179.80**	**3.43%**

स्रोतः राज्य कर विभाग उत्तराखण्ड

3.5 राज्य कर विभाग द्वारा जी0एस0टी0 की परिधि से बाहर रखी गयी वस्तुओं पर कर संग्रह :–

3.5.1 राज्य कर विभाग द्वारा जी0एस0टी0 की परिधि से बाहर रखी गयी वस्तुओं (पेट्रोल व डीजल) पर कर संग्रह का विवरण तालिका–3.4 में दर्शाया गया है–

तालिका– 3.4

पेट्रोल–डीजल पर प्राप्त कर का विवरण

(धनराशि ₹ करोड़ में)

माह का नाम	वर्ष 2024–25			वर्ष 2025–26			वृद्धि/कमी का प्रतिशत		
	पेट्रोल पर प्राप्त कर	डीजल पर प्राप्त कर	पेट्रोल एवं एवं डीजल पर प्राप्त कर (2+3)	पेट्रोल पर प्राप्त कर	डीजल पर प्राप्त कर	पेट्रोल एवं एवं डीजल पर प्राप्त कर (5+6)	पेट्रोल पर गत वर्ष के सापेक्ष कमी/वृद्धि का प्रतिशत	डीजल पर गत वर्ष के सापेक्ष कमी/वृद्धि का प्रतिशत	पेट्रोल एवं डीजल पर गत वर्ष के सापेक्ष कमी/वृद्धि का प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
अप्रैल	70.21	110.50	180.71	75.61	101.70	177.31	7.69%	-7.96%	-1.88%
मई	72.80	111.46	184.26	78.67	111.04	189.71	8.06%	-0.38%	2.96%
जून	81.46	124.84	206.30	88.96	118.00	206.96	9.21%	-5.48%	0.32%
जुलाई	85.25	119.15	204.40	84.47	110.98	195.45	-0.91%	-6.86%	-4.38%
अगस्त	72.43	90.52	162.95	80.12	87.25	167.37	10.62%	-3.61%	2.71%
सितम्बर	77.34	86.61	163.95	76.74	81.02	157.76	-0.78%	-6.45%	-3.78%
अक्टूबर	69.79	80.57	150.36	72.35	83.16	155.51	3.67%	3.21%	3.43%
नवम्बर	78.42	102.15	180.57	84.96	99.75	184.71	8.34%	-2.35%	2.29%
दिसम्बर	80.30	102.14	182.44	82.67	108.63	191.30	2.95%	6.35%	4.86%
योग	**688.00**	**927.94**	**1615.94**	**724.55**	**901.53**	**1626.08**	**5.31%**	**-2.85%**	**0.63%**

स्रोतः राज्य कर विभाग उत्तराखण्ड

3.5.2 राज्य कर विभाग द्वारा जी0एस0टी0 की परिधि से बाहर रखी गयी वस्तुओं (शराब) पर कर संग्रह का विवरण तालिका–3.5 में दर्शाया गया है–

तालिका– 3.5

शराब (सैस सहित) पर प्राप्त कर

(धनराशि ₹ करोड़ में)

माह का नाम	वर्ष 2024–25	वर्ष 2025–26	वृद्धि/कमी का प्रतिशत
	शराब पर प्राप्त कर	शराब पर प्राप्त कर	
(1)	(2)	(3)	(4)
अप्रैल	38.90	27.78	-28.59%
मई	35.25	18.65	-47.09%
जून	34.87	21.09	-39.52%
जुलाई	31.09	20.63	-33.64%
अगस्त	26.46	18.21	-31.18%
सितम्बर	25.69	18.13	-29.43%
अक्टूबर	26.51	16.11	-39.23%
नवम्बर	30.06	16.65	-44.61%
दिसम्बर	32.44	21.04	-35.14%
योग	**281.27**	**178.29**	**-36.61%**

नोट :–उत्तराखण्ड आबकारी नीति, 2024–25 और इससे पूर्व जारी सभी आबकारी नीतियों में आबकारी शुल्क (Excise Duty)को Manufacture या Importer के स्तर पर निर्धारित किया गया था, परन्तु उत्तराखण्ड आबकारी नीति, 2025–26 में Manufacture या Importer के द्वारा दिए जाने वाले वैट और सैस को निर्धारित किये जाने के लिए आबकारी शुल्क को टर्नओवर में सम्मिलित नहीं किया गया है। जिसके फलस्वरूप शराब पर प्राप्त कर में कमी परिलक्षित हो रही है।

स्रोतः राज्य कर विभाग उत्तराखण्ड

3.5.3 राज्य कर विभाग द्वारा जी0एस0टी0 की परिधि से बाहर रखी गयी वस्तुओं (नैचुरल गैस एवं एवियेशन टरबाईन फ्यूल) पर कर संग्रह का माहवार विवरण तालिका–3.6 में दर्शाया गया है–

तालिका– 3.6

नैचुरल गैस एवं एवियेशन टरबाईन फ्यूल पर प्राप्त कर

(धनराशि ₹ करोड़ में)

माह का नाम	वर्ष 2024–25	वर्ष 2025–26	वृद्धि/कमी का प्रतिशत	वर्ष 2024–25	वर्ष 2025–26	वृद्धि/ कमी का प्रतिशत
	नैचुरल गैस पर प्राप्त कर	नैचुरल गैस पर प्राप्त कर		एवियेशन टरबाईन फ्यूल पर प्राप्त कर	एवियेशन टरबाईन फ्यूल पर प्राप्त कर	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
अप्रैल	3.27	4.23	29.36%	0.40	0.46	15.00%
मई	3.39	4.64	36.87%	0.40	0.58	45.00%
जून	4.13	4.12	-0.24%	0.56	0.64	14.29%
जुलाई	4.67	3.18	-31.91%	0.50	0.60	20.00%
अगस्त	4.03	4.35	7.94%	0.39	0.34	-12.82%
सितम्बर	3.99	3.83	-4.01%	0.43	0.34	-20.93%
अक्टूबर	4.04	3.80	-5.94%	0.46	0.35	-23.91%
नवम्बर	4.14	3.22	-22.22%	0.47	0.45	-4.26%
दिसम्बर	3.99	4.33	8.52%	0.35	0.43	22.86%
योग	**35.65**	**35.70**	**0.14%**	**3.96**	**4.19**	**5.81%**

स्रोतः राज्य कर विभाग उत्तराखण्ड

3.6 वित्तीय वर्ष 2025–26 में राज्य कर विभाग द्वारा जी0एस0टी0(SGST) व वैट (Non-GST) के अन्तर्गत क्रमशः ₹11,221 करोड़ तथा ₹2,501 करोड़, इस प्रकार कुल ₹13,722 करोड़ राजस्व प्राप्ति का अनुमान लगाया गया है। जिसके सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2025–26 में माह दिसम्बर, 2025 तक जी0एस0टी0 व वैट के अन्तर्गत क्रमशः ₹7,301.12 करोड़ तथा ₹1,878.68 करोड़, इस प्रकार कुल ₹9,179.80 करोड़ का राजस्व राज्य कर विभाग को प्राप्त हो चुका है।

3.7 जी0एस0टी0 लागू होने के उपरान्त 01 जुलाई, 2017 से 31 दिसम्बर, 2025 तक की अवधि में कुल 2,22,461 नये व्यापारी पंजीकृत हुए हैं। इसके अतिरिक्त 56,582 पंजीकृत व्यापारियों को वैट प्रणाली से जी0एस0टी0 में प्रवर्तित किया जा चुका है। इस प्रकार वर्तमान तक राज्य में कुल पंजीकृत व्यापारियों की संख्या **2,79,043** हो चुकी है।

Number of Registerd Dealer in GST (Data as of 31 December,2025)		
Sr.No.	**Dealers**	**Number**
1	**Number of Migrated Dealers (State)**	45495
2	**Number of Migrated Dealers (Centre)**	11087
3	**New Registration (State)**	100361
4	**New Registration (Centre)**	122100
5	**Total Dealers (State+Centre)**	**279043**
6	**Composition Dealer (State)**	25832
7	**Composition Dealer (Centre)**	18338
8	**Total Composition Dealer**	**44170**

स्रोतः राज्य कर विभाग उत्तराखण्ड
Source:-CTD

3.8 राज्य कर विभाग की प्रवर्तन इकाईयों द्वारा करापवंचनरोधी प्रयासः–

राज्य कर विभाग की सचलदल इकाईयों द्वारा वित्तीय वर्ष 2025–26 में माह दिसम्बर, 2025 तक वाहनों की जांच/रोड–चेकिंग के दौरान कुल ₹ 49.79 करोड़ कर/अर्थदण्ड के रूप में जमा कराये गये है। इसी प्रकार राज्य कर विभाग की प्रवर्तन/विशेष कार्यबल इकाईयों द्वारा वित्तीय वर्ष 2025–26 में माह दिसम्बर, 2025 तक कुल 236

सर्वेक्षण करते हुये लगभग ₹ 228.79 करोड़ का अपवंचित कर प्रकाश में लाया गया तथा सुनवाई के दौरान ही ₹ 124.20 करोड़ जमा कराये गये।

3.9 वित्तीय वर्ष 2024–25 में माह दिसम्बर, 2024 तक राज्य कर विभाग द्वारा कुल ₹ 15,617.74 करोड़ का कर (CGST+IGST+SGST+CESS) संग्रह किया गया, जिसके सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2025–26 मे माह दिसम्बर, 2025 तक विभाग द्वारा कुल (CGST+IGST+SGST+CESS) ₹ 15,018.48 करोड़ का संग्रहण किया गया है। राज्य कर विभाग द्वारा कुल कर (CGST+IGST+SGST+CESS) संग्रह का माहवार विवरण तालिका–3.7 में दर्शाया गया है–

तालिका–3.7

वित्तीय वर्ष 2024–25 एवं 2025–26 का तुलनात्मक GST (CGST+IGST+SGST+CESS)संग्रह विवरण

(धनराशि ₹ करोड़ में)

माह	CGST			SGST			IGST			CESS			Total		
	2024-25	2025-26	%+/-	2024-25	2025-26	%+/-	2024-25	2025-26	%+/-	2024-25	2025-26	%+/-	2024-25	2025-26	%+/-
अप्रैल	460.53	541.21	18%	636.26	720.70	13%	1132.22	1312.52	16%	10.02	17.20	72%	2239.03	2591.63	16%
मई	322.98	346.9	7%	475.89	518.64	9%	1025.25	728.71	-29%	12.62	11.11	-12%	1836.74	1605.36	-13%
जून	323.15	360.45	12%	472.33	549.19	16%	897.87	778.36	-13%	11.70	11.43	-2%	1705.05	1699.43	0%
जुलाई	342.54	376.06	10%	490.49	523.96	7%	854.05	861.6	1%	12.62	11.99	-5%	1699.70	1773.61	4%
अगस्त	291.65	295.42	1%	432.22	493.37	14%	617.77	647.38	5%	9.09	11.73	29%	1350.73	1447.90	7%
सितम्बर	273.50	301.81	10%	399.73	486.56	22%	900.05	876.84	-3%	8.48	9.75	15%	1581.76	1674.96	6%
अक्टूबर	343.01	336.12	-2%	485.96	506.49	4%	995.35	759.13	-24%	9.42	2.64	-72%	1833.74	1604.38	-13%
नवम्बर	337.15	287.93	-15%	521.67	443.73	-15%	951.34	583.25	-39%	13.44	0.36	-97%	1823.60	1315.27	-28%
दिसम्बर	295.68	271.95	-8%	439.24	391.31	-11%	803.69	640.07	-20%	8.78	2.61	-70%	1547.39	1305.94	-16%
योग	**2990.19**	**3117.85**	**4%**	**4353.79**	**4633.95**	**6%**	**8177.59%**	**7187.86**	**-12%**	**96.17**	**78.82**	**-18%**	**15617.74**	**15018.48**	**-4%**

स्रोतः राज्य कर विभाग उत्तराखण्ड

3.10 वित्तीय वर्ष 2024–25 में माह दिसम्बर, 2024 तक राज्य को IGST Settlement के अन्तर्गत कुल ₹ 2,723.65 करोड़ राजस्व प्राप्त हुआ था, जब कि वित्तीय वर्ष 2025–26 की इसी अवधि में कुल IGST Settlement ₹ 2,911.66 करोड़ रहा, जो कि गत वर्ष के सापेक्ष लगभग 07 प्रतिशत अधिक है। राज्य कर विभाग द्वारा कुल IGST Settlement का विवरण तालिका–3.8 में दर्शाया गया है–

तालिका–3.8
Sanction of provisional Settlement of IGST for the Return Filing

(Fig in ₹Crore)

Months	IGST Liability adjusted against SGST/ UTGST I TC (ITC Cross Utilization) 2024-25(outward)	IGST Liability adjusted against SGST/ UTGST ITC (ITC Cross Utilization) 2025-26(outward)	%+/-	SGST/ UTGST Liability adjusted against IGST ITC (ITC Cross Utilization) 2024-25(inward)	SGST/UTGST Liability adjusted against IGST ITC (ITC Cross Utilization) 2025-26(inward)	%+/-	Apportio-nment of IGST to the State /UT 2024-25	Apportion-ment of IGST to the State /UT 2025-26	%+/-	Adjustment of Adv. Apportion-ment of IGST to State/UT 2024-25	Adjustment of Adv. Apportionment of IGST to State/UT 2025-26	Total 2024-25	Total 2025-26	%+/-
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13) =(2+11) - (5+8)	(14) =(3+12) - (6+9)	(15)
April	502.52	463.41	-7.78%	626.95	700.47	11.73%	156.33	210.59	34.71%	0.00	284.66	-280.76	-162.99	-41.95%
May	388.70	407.46	4.83%	511.43	561.49	9.79%	115.03	205.86	78.96%	0.00	0.00	-237.76	-359.89	51.37%
June	434.62	481.48	10.78%	556.25	586.61	5.46%	115.89	138.35	19.38%	0.00	0.00	-237.52	-243.48	2.51%
July	409.75	402.29	-1.82%	604.09	622.97	3.13%	130.31	158.70	21.79%	0.00	0.00	-324.65	-379.38	16.86%
August	343.69	355.73	3.50%	510.47	541.57	6.09%	124.84	154.20	23.52%	0.00	0.00	-291.62	-340.04	16.60%
September	356.22	377.88	6.08%	512.11	523.36	2.20%	119.40	139.77	17.06%	0.00	0.00	-275.29	-285.25	3.62%
October	435.59	396.29	-9.02%	583.58	594.96	1.95%	160.76	172.21	7.12%	0.00	0.00	-308.75	-370.88	20.12%
November	392.96	343.61	-12.56%	621.06	620.74	-0.05%	176.08	126.53	-28.14%	0.00	0.00	-404.18	-403.66	-0.13%
December	416.26	332.41	-20.14%	506.61	567.14	11.95%	272.77	131.36	-51.84%	0.00	0.00	-363.12	-366.09	0.82%
Total	**3680.31**	**3560.56**	**-3.25%**	**5032.55**	**5319.31**	**5.70%**	**1371.41**	**1437.57**	**4.82%**	**0.00**	**284.66**	**-2723.65**	**-2911.66**	**6.90%**

Note–(1) Inter head transfer of amount by tax payer within the cash ledger- ₹ 569355314 (₹ 56.93 Cr.) is also included in the IGST Settlement amount of ₹ 359.89 Cr. in May-2025.
(2) Apprortionment = Apportionment of IGST to the State + Apprortionment of IGST Interest to the State + Apportionment of IGST Penalty to the State.

स्रोत– :राज्य कर विभाग,उत्तराखण्ड।

3.11 व्यापारी दुर्घटना बीमा योजनाः—जनहित में शासन/विभाग द्वारा व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना दिनांक 19.11.2025 से दिनांक 18.11.2026 तक के लिए लागू की गयी है, जिसमें विभाग में पंजीकृत व्यापारियों की दुर्घटना में मृत्यु की दशा में मृतक आश्रित को तात्कालिक आर्थिक सहायता के रूप में ₹ 10.00 लाख का भुगतान बीमा कम्पनी के माध्यम से करने की व्यवस्था की गयी है।

3.12 राज्य कर विभाग उत्तराखण्ड द्वारा वर्तमान एवं आगामी वर्ष के लिए राजस्व प्राप्ति का अनुमान निम्न तालिका–3.9 में दर्शाया गया है।

तालिका– 3.9

(वर्तमान एवं आगामी वर्ष के लिए राजस्व प्राप्ति का अनुमान)

(धनराशि ₹ करोड़ में)

S.N.	Financial year	Achieved/ Projected GST	Achieved/ Projected Non-GST	Total Achieved/ Projected Tax
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)= (3+4)
1.	2024-25	9,265	2,541	11,806
2.	2025-26	10,000	2,501	12,501
3.	2026-27	10,074	2,696	13,043

स्रोतः राज्य कर विभाग उत्तराखण्ड

3.13 राज्य कर विभाग द्वारा प्रचालित किये गये नवाचारः–

3.13.1 वर्तमान में राज्य कर विभाग में ''डिजिटल फॉरेंसिक लैब'' स्थापित किए जाने का प्रस्ताव गतिमान है। यह लैब समीपवर्ती राज्यों में पहली होगी। इसे नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी, गाँधीनगर के सहयोग से स्थापित किया जा रहा है।

3.13.2 कार्यक्षमता में वृद्धि के दृष्टिगत् ''ए0आई0'' आधारित रेवेन्यू इंटेलीजेंस प्रणाली आरम्भ किया जाना प्रस्तावित है।

3.13.3 विभाग द्वारा आई0एफ0एम0एस0 पोर्टल पर एक यूटिलिटी विकसित की गयी है, जिसके फलस्वरूप राज्य कोषागार के माध्यम से किसी करदाता को केवल उसी स्थिति में भुगतान किया जायेगा, जबकि उसके द्वारा अपनी समस्त देयताएं विभाग में जमा करा दी गयी हों। पंजीयन निरस्त होने की दशा में किसी भी करदाता को भुगतान नहीं होगा। इस प्रकार 'राजस्व सुरक्षा' को प्राथमिकता देते हुए, राजस्व सुरक्षा के समुचित प्रयास किए जा रहे हैं।

3.14 'बिल लाओ, इनाम पाओ योजना' :—ग्राहकों को खरीद का बीजक/बिल लेने हेतु प्रोत्साहन दिये जाने एवं बिक्री पर बीजक/बिल नहीं देने की प्रवृत्ति पर रोक लगाने के उद्देश्य से राज्य कर विभाग के द्वारा ''बिल लाओ, ईनाम पाओ'' योजना लागू की गयी थी। 01 सितम्बर, 2022 से 31 मार्च, 2024 तक प्रभावी इस योजना के अन्तर्गत BLIPUK App पर बिलों को अपलोड करने वाले उपभोक्ताओं को दिनांक 31.10.2025 को मेगा पुरस्कारों के विजेताओं के नामों की घोषणा की गयी। मेगा पुरस्कारों के अन्तर्गत 1888 विभिन्न पुरस्कार जैसे कार, इलैक्ट्रिक स्कूटर, मोटर साइकिल, लैप टॉप, स्मार्ट टीवी, टेबलेट और माइक्रोवेव दिए जाने की घाषणा की गयी है। पुरस्कारों का वितरण किया जा रहा है।

3.15 जी0एस0टी0 2.0 :— मा0 प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के द्वारा 15 अगस्त, 2025 को घोषित अगली पीढ़ी के जी0एस0टी0 सुधारों की घोषणा की गयी। इसी क्रम में जी0एस0टी0 परिषद की 56वीं बैठक में 03 सितम्बर, 2025 को लिए गए निर्णयों के तहत कर की दरों को सरलीकृत करने की प्रक्रिया शुरू की गयी तथा 22 सितम्बर, 2025 से कर की परिवर्तित दरें प्रभावी हुयी। कर की दरों में परिवर्तन के फलस्वरूप मौजूदा चार स्तरीय

कर– संरचना, यथा; 05, 12, 18 व 28 प्रतिशत के स्थान पर इसे दो स्तरीय यथा; 05 प्रतिशत व 18 प्रतिशत किया गया। कतिपय वस्तुओं और सेवाओं के लिए 40 प्रतिशत की विशेष दर रखी गयी है। इस प्रकार 22 सितम्बर, 2025 से अगली पीढ़ी के जी0एस0टी0 सुधारों की शुरूआत की गयी है, जो ऐतिहासिक कर ढांचे के रणनीतिक, सैद्धान्तिक और नागरिक–केन्द्रित विकास का प्रतिनिधित्व करते हैं। शुरूआती चरण में जी0एस0टी0 की दरों को कम किये जाने से राज्य के राजस्व पर प्रभाव पड़ सकता है, परन्तु उपभोग बढ़ने तथा आम जन की क्रय शक्ति बढ़ने के फलस्वरूप मांग में वृद्धि होगी, जिससे राजस्व कमी की भरपाई की जानी सम्भव हो पाएगी।

3.16 स्टाम्प एवं निबन्धन (Stamp and Registration):– स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग, उत्तराखण्ड राज्य सरकार की एक प्रमुख राजस्व शाखा है, जो नागरिकों के विभिन्न संपत्ति संबंधी लेनदेन की रिकॉर्डिंग और सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी के साथ कार्यरत है। ई–पंजीकरण पहल के साथ स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग हितधारकों को नागरिक अनुकूल, परेशानी मुक्त और पारदर्शी सेवायें प्रदान कर रहा है। पंजीकरण के कानून का मुख्य उद्देश्य दस्तावेज की वास्तविकता का एक निर्णायक प्रमाण प्रदान करना , लेनदेन के लिए प्रचार करना और धोखाधड़ी को रोकना है। विभाग एक ''रॉयल रिकॉर्ड कीपर'' के रूप में कार्य कर रहा है, जो पुराने रिकॉर्डों को संरक्षित करता है और विधि न्यायालय में वास्तविकता के प्रमाण के रूप में प्रदान करने के लिए इसके द्वारा रखे गए रिकॉर्ड की प्रतियां प्रदान करता है।

3.16.1 वित्तीय वर्ष 2024–25 में माह दिसम्बर, 2024 तक स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग को प्राप्त आय (कोषागार से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर) ₹1983.21 करोड़ थी, जबकि वित्तीय वर्ष 2025–26 में माह दिसम्बर, 2025 तक प्राप्त आय ₹ 2024.92 करोड़ रही, जो कि गत वर्ष की तुलना में **2.1 प्रतिशत** अधिक है।

3.16.2 स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग उत्तराखण्ड द्वारा वर्ष 2013–14 से वर्ष 2025–26(अनन्तिम) तक वित्तीय वर्षवार आवंटित लक्ष्य के सापेक्ष प्राप्त आय का विवरण निम्न तालिका–3.10 में दर्शाया गया है।

तालिका–3.10

स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग, उत्तराखण्ड को वित्तीय वर्षवार आवंटित लक्ष्य के सापेक्ष प्राप्त आय का प्रतिशत विवरण

(धनराशि ₹करोड़ में)

क्र0 सं0	वित्तीय वर्ष	आवंटित लक्ष्य	प्राप्त आय (कोषागार से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर)	लक्ष्य के सापेक्ष प्राप्ति प्रतिशत	गत वर्ष के सापेक्ष प्राप्ति प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	2013–2014	640.00	686.60	107.28	(+) 5.89
2	2014–2015	708.79	713.78	100.70	(+) 3.95
3	2015–2016	777.21	872.17	112.21	(+) 22.19
4	2016–2017	1203.00	779.50	64.80	(–) 10.61
5	2017–2018	1100.00	860.16	78.19	(+) 10.34
6	2018–2019	1195.00	1035.35	86.64	(+) 20.37
7	2019–2020	1340.73	1071.49	79.92	(+) 3.49
8	2020–2021	1249.23	1107.04	88.61	(+) 3.31
9	2021–2022	1200.00	1487.89	123.99	(+)34.40
10	2022–2023	1590.05	1992.64	125.31	(+)33.92
11	2023–2024	2062.93	2461.04	119.29	(+)23.50
12	2024–2025	2665.00	2638.19	99.00	(+)7.20
13	2025–2026*	2798.00	**2024.92** (01 अप्रैल, 2025 से 31 दिसम्बर, 2025 तक प्राप्त आय)	72.37	गत वित्तीय वर्ष 2024–25 में 01 अप्रैल, 2024 से 31 दिसम्बर, 2024 तक प्राप्त आय ₹1983.21 करोड़ के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2025–26 में दिनांक 31 दिसम्बर 2025 की तुलना में **2.1 प्रतिशत** अधिक है।

नोटः–*वास्तविक प्राप्तियाँ दि0 31.12.2025 तक।

स्रोतः– स्टाम्प एवं निबंधन विभाग, उत्तराखण्ड

3.16.3 Ease of Doing Business (EODB) के मानको के अन्तर्गत व जनहित में प्रचलित किये गये नवाचारः— भारत सरकार की Ease of Doing Business (EODB) नीति के मानको के अन्तर्गत सरलीकरण, समाधान एवं त्वरित निस्तारण तथा आमजन को मूलभूत जनसुविधाएं उपलब्ध कराने की शासन की प्रतिबद्धता के दृष्टिगत स्टाम्प एवं निबंधन विभाग, उत्तराखण्ड में निम्नलिखित नवाचार प्रचलित किये गये हैं जो आम जन हेतु अत्यधिक उपयोगी होंगे—

- विलेखों के पंजीकरण हेतु वर्तमान प्रवृत्त व्यवस्था के साथ—साथ **Paperless Registry** की व्यवस्था लागू की गयी है, जिससे आमजन घर बैठे स्वयं नियत समय पर ऑनलाईन स्टाम्प एवं निबंधन शुल्क जमा करते हुये, लेखपत्र पंजीकृत करा सकते है और पंजीकृत लेखपत्र ऑनलाईन ई—मेल व WhatsApp के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं।
- **Swabhoomi App** के माध्यम से सम्पत्ति की Geo Tagging तथा विभागीय पोर्टल का शहरी विकास, पेयजल व ऊर्जा विभाग तथा राजस्व विभाग के साथ एकीकरण किया गया है, जिससे सम्पत्ति के स्वामित्व का सामान्य अवलोकन सम्भव है।
- विभागीय **CRS** (Civil Registration System) Portal पर **PDE** (Public Data Entry) में Preview Button को Click करके पक्षकारों हेतु प्रश्नगत सम्पत्ति के पूर्ववर्ती अन्तरण के विवरण उपलब्ध होंगे, जिससे धोखाधड़ी पर अंकुश के साथ—साथ विभागीय कार्य में पारदर्शिता आयेगी।
- लेखपत्रों की सत्यापित प्रतियां **e-Nakal** के माध्यम से (घर बैठे कम्प्यूटर व मोबाईल से) प्रदान की जा रही है।
- उत्कृष्ट जन सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने के दृष्टिगत स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग के 18 उप निबंधक कार्यालयों के अनुरक्षण/जीर्णोद्धार, रिकार्ड रूम मार्डनाईजेशन के निर्माण का कार्य गतिमान है।
- स्टाम्प एवं निबंधन विभाग, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत जनपद स्तर पर स्थित कार्यालयों में शास्वत काल तक अनुरक्षित समस्त अभिलेखों को केन्द्रीकृत मॉनीटरिंग के साथ संरक्षित किये जाने हेतु जनपद—देहरादून, हरिद्वार, ऊधमसिंहनगर व नैनीताल में अत्याधुनिक केन्द्रीय अभिलेखागार के निर्माण की प्रक्रिया गतिमान है।
- पंजीकरण के पश्चात नामान्तरण हेतु Scanned Document एवं Live Data तत्काल राजस्व विभाग के RCMS (Revenue Court Management System) Portal पर प्रेषित हो रहा है। जिससे नामान्तरण की प्रक्रिया में गतिशीलता आयी है।

आबकारी (Excise)

3.17 आबकारी विभाग की मौलिक नीति मादक वस्तुओं के अनौषधियाँ उपयोग के निषेध का उन्नीयन, प्रवर्तन एवं प्रभावीकरण है। मद्यनिषेध की इस बात को प्रमुखता देते हुए आबकारी विभाग ये सुनिश्चित करता है कि उपर्युक्त पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण द्वारा मादक वस्तुओं की वैधानिक बिक्री से अधिकतम राजस्व प्राप्त किया जाये।

चार्ट–3.2

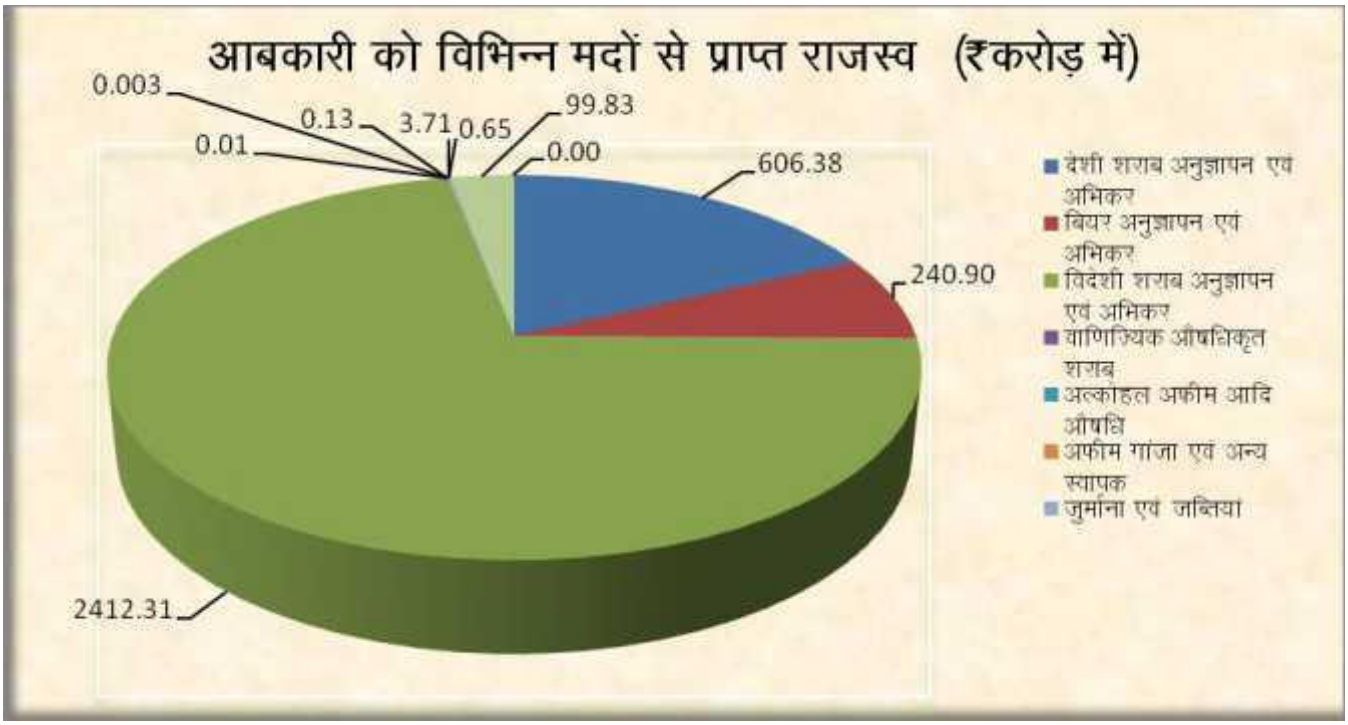

स्रोत– आबकारी विभाग,उत्तराखण्ड

3.18 आबकारी नीति में गुणात्मक सुधार करने के लिए वर्ष 2025–26 के लिए आबकारी नीति दिनांक 05.03.2025 को जारी की गयी।

3.19 वर्ष 2024–25 के अन्तर्गत आबकारी विभाग द्वारा ₹ 4,357.68 करोड़ का राजस्व संग्रह किया गया। वर्ष 2025–26 में निर्धारित वार्षिक लक्ष्य ₹ 5,060.00 करोड़ के सापेक्ष माह दिसम्बर 2025 तक ₹ 3,363.92 करोड़ का संग्रह किया जा चुका है। आबकारी विभाग द्वारा संग्रह किये जाने वाला राजस्व उत्तराखण्ड राज्य को प्राप्त राजस्व का 18 से 19 प्रतिशत के मध्य रहता है।

3.19.1 आबकारी विभाग को देशी शराब अनुज्ञापन एवं अभिकर से माह दिसम्बर 2025 तक ₹ 606.38 करोड़ से अधिक राजस्व प्राप्त हुआ है।

3.19.2 बियर अनुज्ञापन एवं अभिकर से माह दिसम्बर 2025 तक ₹ 240.90 करोड़ से अधिक राजस्व प्राप्त हुआ है।

3.19.3 लीकर–1 से माह दिसम्बर 2025 तक ₹ 64.75 लाख से अधिक राजस्व प्राप्त हुआ है।

3.19.4 विदेशी शराब अनुज्ञापन एवं अभिकर से माह दिसम्बर 2025 तक ₹ 2,412.30 करोड़ से अधिक राजस्व प्राप्त हुआ है।

3.19.5 अफीम गांजा एवं अन्य स्वापक से माह दिसम्बर 2025 तक ₹ 12.55 लाख से अधिक राजस्व प्राप्त हुआ है।

3.19.6 जुर्माना एव जब्तियां से माह दिसम्बर 2025 तक ₹ 3.71 करोड़ से अधिक राजस्व प्राप्त हुआ है।

3.19.7 अन्य प्राप्तियों से माह दिसम्बर 2025 तक ₹ 99.83 करोड़ से अधिक राजस्व प्राप्त हुआ है।

चार्ट–3.3

राजस्व बढोत्तरी आबकारी विभाग (₹ करोड़ में)

नोटः–* दि0 31.12.2025 तक।

स्रोत– :आबकारी विभाग,उत्तराखण्ड।

तालिका– 3.11

राजस्व बढोत्तरी आबकारी विभाग (₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	निर्धारित वार्षिक लक्ष्य	प्राप्त राजस्व
(1)	(2)	(3)
2001–02	222.38	231.69
2002–03	256.36	246.46
2003–04	286.05	272.69
2004–05	292.76	292.09
2005–06	357.96	292.81
2006–07	360.00	372.84
2007–08	417.00	441.71
2008–09	501.00	528.32
2009–10	598.21	703.71
2010–11	686.93	755.98
2011–12	727.67	843.57
2012–13	942.00	1117.80
2013–14	1150.00	1269.04
2014–15	1500.00	1486.80
2015–16	1800.00	1736.60
2016–17	2100.00	1906.00
2017–18	2310.00	2262.02

2018–19	2650.00	2705.38
2019–20	3047.50	2729.15
2020–21	3461.37	3017.34
2021–22	3202.00	3260.35
2022–23	3600.00	3501.93
2023–24	4000.00	4038.68
2024–25	4439.00	4357.68
2025–26*	5060.00	3363.92

नोटः–*वास्तविक प्राप्तियाँ दि0 31.12.2025 तक।

स्रोत– ःआबकारी विभाग,उत्तराखण्ड।

अध्याय–4
भाव संचलन
Price Movement

भूमिकाः– धन के मूल्य स्थिर न रहकर समय के साथ निरंतर परिवर्तित होते रहते हैं। कीमतों में आने वाला यह उतार–चढ़ाव न केवल समग्र आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित करता है, बल्कि व्यक्तियों और समाज की क्रयशक्ति पर भी प्रत्यक्ष प्रभाव डालता है। मूल्य स्तर, समय के सापेक्ष वस्तुओं एवं सेवाओं के दामों में होने वाले औसत परिवर्तन को मापने वाला एक महत्त्वपूर्ण सांख्यिकीय साधन है, जो आर्थिक नीतियों के निर्माण में प्रमुख मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है। वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों में होने वाली सतत वृद्धि, जिसे मुद्रास्फीति कहा जाता है, आर्थिक व्यवस्था के विकास तथा स्थिरता को प्रभावित करने वाला एक केंद्रीय नियामक तत्व है।

4.1 मुद्रास्फीति मापने के सूचकांक–

मुद्रास्फीति को मापने के लिए विभिन्न सूचकांको का प्रयोग किया जाता है। थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यू0पी0आई0) उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डी0पी0आई0आई0टी) के आर्थिक सलाहकार कार्यालय द्वारा संकलित किया जाता है। सी0पी0आई0 (सी, आर, यू) संयुक्त, ग्रामीण, शहरी को भारत सरकार के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा संकलित किया जाता है, (सी0पी0आई0 –आई0डब्ल्यू0) औद्योगिक श्रमिक, (सी0पी0आई– ए0एल0) कृषि मजदूर (सी0पी0आई0–आर0एल0) ग्रामीण मजदूरों को श्रम ब्यूरो द्वारा संकलित किया जाता है।

थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यू0पी0आई0)
उपभोक्ता मूल्य सूचकांक–ग्रामीण (सी0पी0आई0–आर0)
उपभोक्ता मूल्य सूचकांक–शहरी (सी0पी0आई0–यू0)
उपभोक्ता मूल्य सूचकांक–संयुक्त (सी0पी0आई0–सी0)
उपभोक्ता मूल्य सूचकांक–औद्योगिक श्रमिक (सी0पी0आई0–आई0डब्ल्यू0)
उपभोक्ता मूल्य सूचकांक–कृषि मजदूर (सी0पी0आई0–,ए0एल0)
उपभोक्ता मूल्य सूचकांक–ग्रामीण मजदूर (सी0पी0आई0–आर0,एल0)

वर्तमान में उत्तराखण्ड राज्य में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) तैयार किया जा रहा है। उत्तराखण्ड में वर्ष 2017–18 को आधार वर्ष निर्धारित करते हुए राज्य के कुल 74 चयनित बाजारों (34 ग्रामीण एवं 40 नगरीय) से नगरीय बाजारों हेतु 190 एवं ग्रामीण बाजारों हेतु 192 वस्तुओं का भाव संग्रह करते हुए उपभोक्ता भाव सूचकांक तैयार किया जा रहा है।

4.2 CPI तैयार करने के लिए सभी वस्तुओं को छह उप–समूहों (sub-groups) में वर्गीकृत कर उन पर भार (weights) निर्धारित किए गए हैं। इनमें खाद्य एवं पेय पदार्थ, मादक पदार्थ एवं तंबाकू, वस्त्र एवं जूते–चप्पल, आवास, ईंधन एवं प्रकाश तथा अन्य वस्तुएँ एवं सेवाएँ शामिल हैं, जिनके कुल भार क्रमशः 36.32%, 7.80%, 3.19%, 8.84%, 6.30% और 37.55% निर्धारित किए गए हैं। सूचकांक निर्माण में खाद्य एवं पेय पदार्थों का भार सर्वाधिक होने के कारण, इनकी कीमतों में होने वाला परिवर्तन समग्र मूल्य स्तर तथा महँगाई दर के निर्धारण में निर्णायक और अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

चार्ट–4.1

सी0पी0आई0 की टोकरी में विभिन्न समूहों की वस्तुओं का प्रतिशत हिस्सा

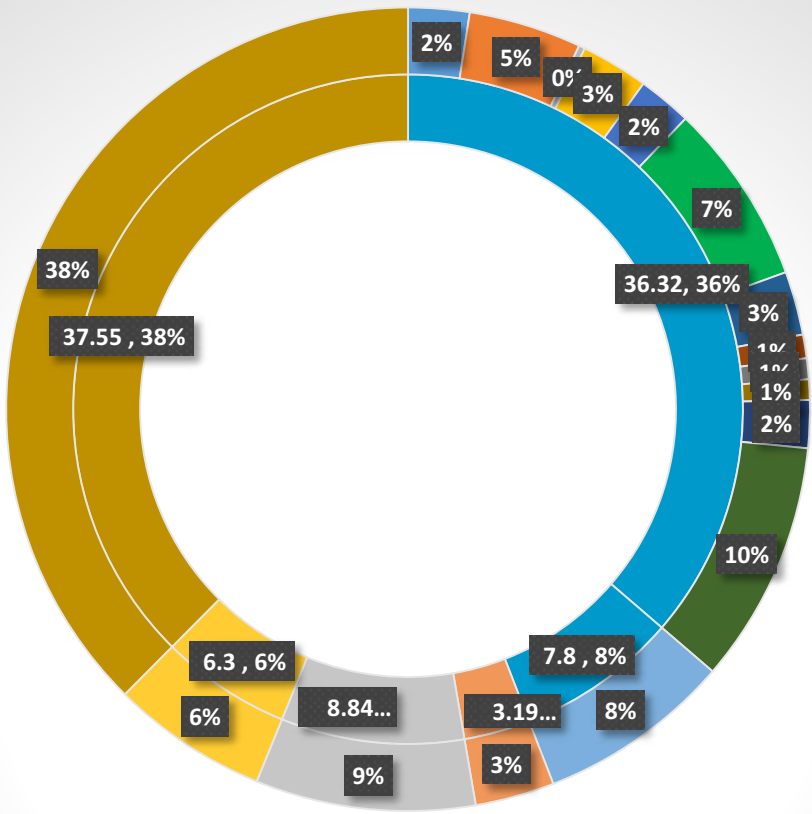

- अनाज एवं उसके उत्पाद व सम्बन्धित सेवाए
- मांस व मछल
- अण्डा
- दुग्ध व उसके उत्पाद
- खाद्य तेल
- फल व मेवा
- साख भाजी, सब्जी इत्यादि
- दालें व उसके उत्पाद
- चीनी, शहद आदि
- नमक व मसालें
- चाय व कॉफी
- चाय नास्ता / जलपान
- धूम्रपान आदी धूम्रपान आदी
- वस्त्र, जूते इत्यादि वस्त्र, जूते इत्यादि
- भवन, किराया, गैरिज किराया आदि भवन, किराया, गैरिज किराया आदि
- विद्युत एवं ईधन विद्युत एवं ईधन
- अन्य मिश्रित अन्य मिश्रित

तालिका–4.1

माह जनवरी 2025 से दिसम्बर 2025 का नगरीय उपभोक्ता भाव सूचकांक निम्नवत् है :–

नगरीय उपभोक्ता भाव सूचकांक आधार वर्ष (2017–18=100)

राज्य– उत्तराखण्ड			जनवरी 2025	फरवरी 2025	मार्च 2025	अप्रैल 2025	मई 2025	जून 2025	जुलाई 2025	अगस्त 2025	सितम्बर 2025	अक्टूबर 2025	नवम्बर 2025	दिसम्बर 2025	
क0 सं0	समूह / उप समूह	उप समूह	भार	भाव सूचकांक											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	**(1) खाद्य वस्तुऐं समस्त**		**44.12**	**146.25**	**145.90**	**146.35**	**145.79**	**146.01**	**146.32**	**148.30**	**152.39**	**153.54**	**152.01**	**154.73**	**154.75**
(1)	**खाद्य वस्तुऐं**		**36.31**	**147.32**	**146.89**	**147.41**	**146.81**	**146.90**	**147.25**	**149.65**	**154.07**	**155.56**	**153.70**	**157.02**	**156.41**
	(I) अनाज, उसके उत्पाद व सम्बन्धित सेवायें	**(I)** अनाज, उसके उत्पाद व सम्बन्धित सेवायें	2.46	147.91	148.58	149.26	149.14	148.26	147.69	147.61	148.73	149.39	149.44	152.01	151.09
	(II) मांस व मछली	**(II)** मांस व मछली	4.54	139.71	138.30	137.83	137.81	138.44	137.78	137.53	138.74	139.91	139.90	140.61	140.37
	(III) अण्डा	**(III)** अण्डा	0.25	132.17	127.88	126.60	121.70	121.92	122.03	120.25	124.66	124.99	124.99	132.52	145.86
	(IV) दुग्ध व उसके उत्पाद	**(IV)** दुग्ध व उसके उत्पाद	2.71	138.49	138.68	138.68	138.67	140.05	140.49	141.08	141.06	140.82	140.74	143.91	144.07
	(V) खाद्य तेल	**(V)** खाद्य तेल	2.17	137.13	137.13	137.13	137.13	137.13	137.13	137.13	137.13	137.13	137.13	137.13	137.13
	(VI) फल व मेवा	**(VI)** फल व मेवा	7.33	132.75	135.42	140.06	140.10	141.52	140.60	148.86	165.20	171.57	159.39	177.41	179.69
	(VII) शाक–भाजी, सब्जी / तरकारी व उनसे तैयार अचार आदि	**(VII)** शाक–भाजी, सब्जी / तरकारी व उनसे तैयार अचार आदि	2.56	155.10	146.42	143.97	137.18	133.68	142.74	153.69	160.59	170.70	175.92	160.62	143.19
	(VIII) दालें व उसके उत्पाद	**(VIII)** दालें व उसके उत्पाद	0.95	154.05	149.70	149.15	145.55	144.37	143.71	142.11	146.17	141.19	141.10	139.20	137.60
	(IX) चीनी, शहद आदि	**(IX)** चीनी, शहद आदि	0.84	118.25	118.63	118.74	118.63	118.49	118.39	116.98	120.03	119.46	119.65	121.41	123.50
	(X) नमक व मसाले	**(X)** नमक व मसाले	0.82	157.05	157.40	157.56	158.42	158.79	159.31	160.56	160.64	160.55	161.79	161.54	163.78
	(XI) चाय व काफी	**(XI)** चाय व काफी	1.92	136.95	136.94	137.09	137.50	137.37	137.52	137.67	137.80	137.85	137.85	138.98	137.77

	(XII) चाय–नाश्ता / जलपान	**(XII)** चाय–नाश्ता / जलपान	9.76	165.82	165.83	166.04	166.03	166.15	166.16	166.14	166.89	165.97	165.97	167.00	168.02
(2)	**धूम्रपान आदि**		7.80	141.37	141.37	141.45	141.05	141.80	141.94	141.92	144.42	144.17	144.17	144.02	147.02
(2)	**अखाद्य वस्तुयें**		**55.88**	**168.58**	**168.51**	**168.91**	**169.09**	**169.22**	**169.31**	**169.46**	**170.72**	**170.29**	**170.29**	**171.43**	**171.58**
	(III) वस्त्र, जूते इत्यादि	**(III)** वस्त्र, जूते इत्यादि	3.19	118.22	118.41	118.52	118.53	118.71	118.87	118.88	119.84	119.76	119.80	121.00	121.29
	(IV) भवन किराया / गैराज किराया आदि	**(IV)** भवन किराया / गैराज किराया आदि	8.84	137.05	137.05	137.74	137.74	137.74	137.83	137.83	138.22	138.92	138.92	142.00	143.47
	(V) विद्युत व ईंधन	**(V)** विद्युत व ईंधन	6.30	162.97	161.44	161.47	162.38	163.48	163.99	164.23	164.74	164.42	164.42	164.57	164.36
	(VI) मिश्रित व अन्य	**(VI)** मिश्रित व अन्य	37.55	180.79	180.81	181.19	181.37	181.45	181.49	181.69	183.24	182.50	182.50	183.25	183.11
भाव सूचकांक			**100.00**	**158.63**	**158.43**	**158.78**	**158.62**	**158.73**	**158.89**	**159.87**	**162.41**	**162.77**	**162.08**	**163.91**	**164.00**

स्रोत –अर्थ एंव संख्या निदेशालय, उत्तराखण्ड

राज्य स्तर पर, फरवरी 2025 में सूचकांक में गिरावट दर्ज की गई, अप्रैल माह को छोड़कर, मई 2025 से सितम्बर 2025 तक सूचकांक में लगातार वृद्धि देखी गई। अक्टूबर में पुनः हल्की कमी परिलक्षित हुई, जबकि नवंबर व दिसम्बर माह में दोबारा वृद्धि दर्ज की गयी।

4.3 भारत की मुद्रास्फीति –

वर्ष 2024 (दिसम्बर) की तुलना में वर्ष 2025 (दिसम्बर (अनन्तिम)) में भारत की हेडलाइन मुद्रास्फीति, जिसका आकलन उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) द्वारा किया जाता है, में गिरावट दर्ज की गई है। इस गिरावट का मुख्य कारण हेडलाइन मुद्रास्फीति में 3.89 प्रतिशत अंकों की महत्वपूर्ण कमी है, जो विशेष रूप से मुख्य सेवा मुद्रास्फीति में आई कमी से प्रेरित थी, जो मुख्य वस्तुओं की मुद्रास्फीति से बेहतर प्रदर्शन कर रही थी। जिससे परिवारों पर वित्तीय बोझ कम हुआ है।

4.4 उत्तराखण्ड में मुद्रास्फीति के उतार चढ़ाव– प्रदेश में मुद्रास्फीति की दर में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक-संयुक्त (CPI-C) पर आधारित मुद्रास्फीति जो वर्ष 2024 में 6.05 प्रतिशत थी, वह वर्ष 2025 (दिसम्बर अनन्तिम)) में घटकर 0.67 प्रतिशत पर आ गई। इसी अवधि के दौरान, ग्रामीण उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI-ग्रामीण) पर आधारित मुद्रास्फीति 5.82 प्रतिशत से गिरकर 0.21 प्रतिशत रह गई, जबकि शहरी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI-C) पर आधारित मुद्रास्फीति 6.41 प्रतिशत से घटकर 1.53 प्रतिशत दर्ज की गई।

यह भी उल्लेखनीय है कि वर्ष 2025 के दौरान उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (संयुक्त) पर आधारित मुद्रास्फीति में 0.67 प्रतिशत और 4.9 प्रतिशत के बीच उतार-चढ़ाव देखा गया।

राज्य गठन के बाद से अब तक उत्तराखंड का सफर–

राज्य गठन के बाद से अब तक उत्तराखंड का सफर अनेक महत्वपूर्ण प्रशासनिक, आर्थिक और सांख्यिकीय परिवर्तनों से होकर गुजरा है। इन्हीं में से एक महत्वपूर्ण पहल राज्य स्तरीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) की स्वतंत्र और सटीक व्यवस्था का विकास है।

राज्य गठन के बाद से वर्ष 2017 तक उत्तराखंड में CPI के लिए भाव–संग्रहण तथा सूचकांक निर्माण का कार्य उत्तर प्रदेश के तत्कालीन प्रपत्रों और पद्धति के अनुसार किया जाता रहा। इस कारण, सूचकांक में उत्तराखंड की विशिष्ट भौगोलिक, आर्थिक और उपभोक्ता संरचना पूरी तरह परिलक्षित नहीं हो पाती थी। परिणामस्वरूप स्थानीय स्तर पर महंगाई के सटीक आकलन और नीतिगत निर्णय लेने में कुछ व्यावहारिक कठिनाइयाँ सामने आती थीं।

इन चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए अप्रैल 2017 से अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, उत्तराखंड स्तर पर नया उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 2011–12) तैयार किया जाने लगा। इस नई व्यवस्था में राज्य के चुनिंदा नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों से 125 वस्तुओं एवं सेवाओं के भावों का नियमित और व्यवस्थित संग्रहण तथा संकलन शुरू किया गया। इससे राज्य की उपभोक्ता आदतों, क्षेत्रीय विशेषताओं और वास्तविक मूल्य प्रवृत्तियों को CPI में बेहतर ढंग से समाहित किया जा सका।

समय के साथ उपभोक्ता व्यवहार, खपत के ढाँचे और आर्थिक गतिविधियों में आए बदलावों को ध्यान में रखते हुए, अप्रैल 2022 से राज्य स्तरीय CPI के आधार वर्ष को अद्यतन कर 2017–18 कर दिया गया। इस अद्यतन के अंतर्गत–

- वस्तुओं एवं सेवाओं की टोकरी (basket) का विस्तार किया गया।
- कुल 125 से बढ़ाकर अब नगरीय बाजारों हेतु 190 वस्तुओं एवं ग्रामीण बाजारों हेतु 192 वस्तुओं के भावों का संग्रहण एवं सूचकांक–निर्माण किया जा रहा है।

- नई टोकरी में आधुनिक खपत पैटर्न, सेवाओं और बदली हुई जीवनशैली को बेहतर रूप से शामिल किया गया है।

इस विस्तृत और अद्यतन डेटा के आधार पर उत्तराखंड का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक प्रतिमाह तैयार किया जाता है। तैयार CPI को अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, उत्तराखंड की आधिकारिक वेबसाइट पर नियमित रूप से प्रकाशित किया जाता है, जिससे–

- आर्थिक संकेतकों में पारदर्शिता बढ़ती है।
- नागरिकों, शोधकर्ताओं, योजनाकारों एवं नीति–निर्माताओं को राज्य की महंगाई की वास्तविक स्थिति समझने में मदद मिलती है।
- बजट निर्माण, वेतन/भत्तों के समायोजन और विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लिए अधिक तर्कसंगत एवं साक्ष्य–आधारित निर्णय लिए जा सकते हैं।

चार्ट–4.2

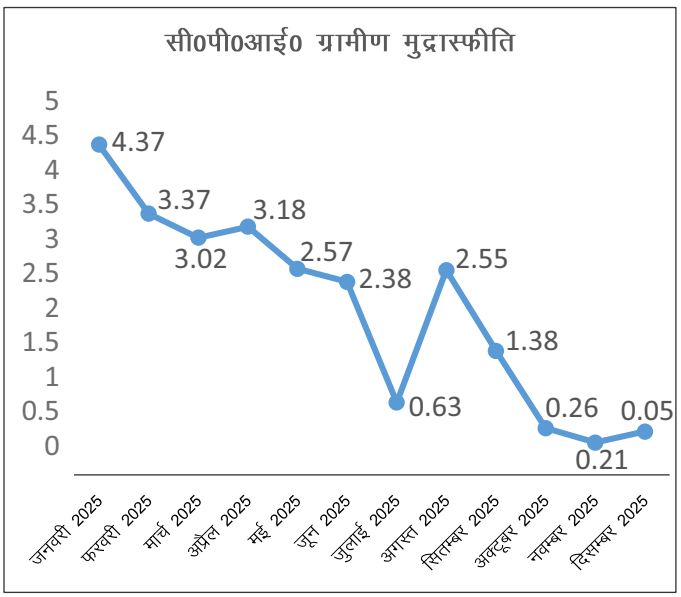

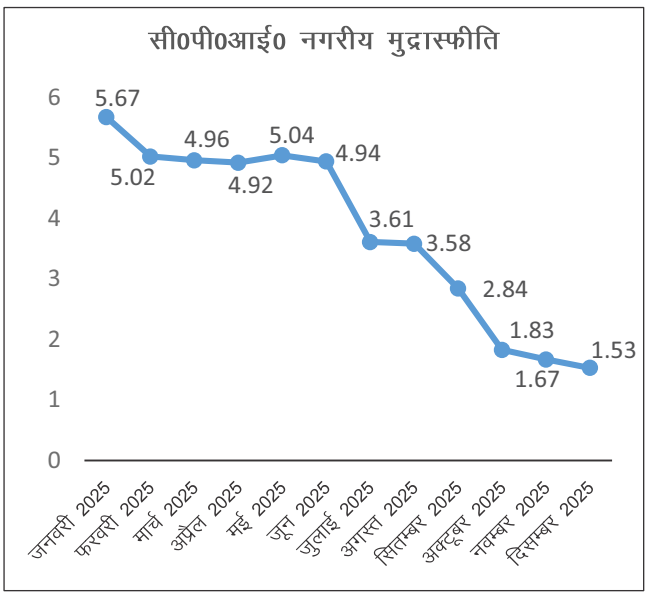

चार्ट–4.3

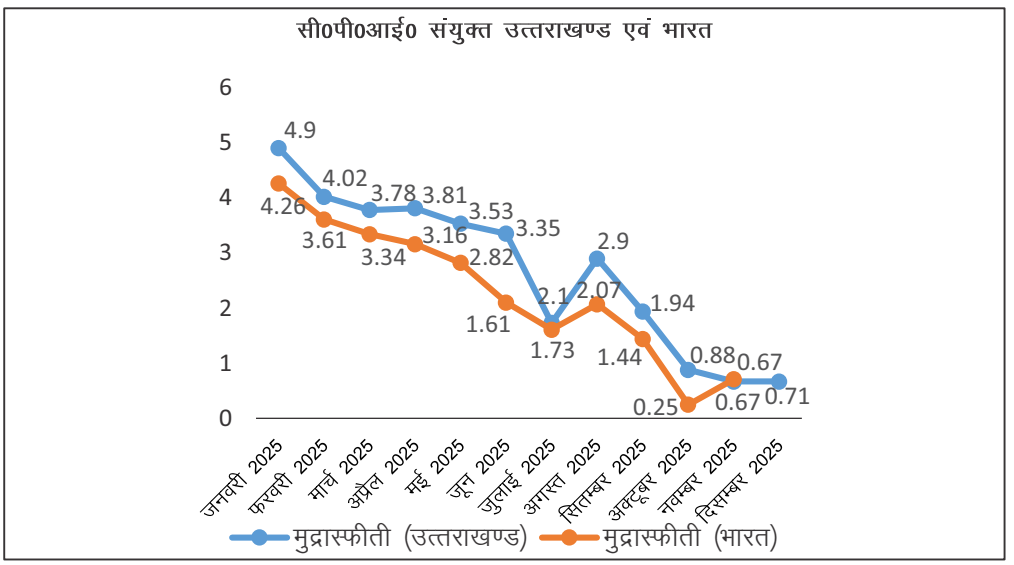

स्रोत – CSO, MoSPI, GoI (माह दिसम्बर, 2025 में अनन्तिम आंकडों का प्रकाशन किया गया है।)

4.5 मुद्रास्फीति के कारण–

वर्ष 2025 में भारत में मुद्रास्फीति कम होने के प्रमुख कारण इस प्रकार हैं: सब्जियों, दालों और मसालों जैसी खाद्य वस्तुओं की कीमतों में गिरावट, कच्चे तेल की कीमतों में कमी, अनुकूल कृषि गतिविधियाँ तथा सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की प्रभावी नीतियाँ। इन्हीं कारकों के परिणामस्वरूप उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) भारतीय रिजर्व बैंक के निर्धारित लक्ष्य के भीतर रहा, जिससे आम जनता की क्रय शक्ति में वृद्धि हुई है।

मुख्य कारण

4.5.1 खाद्य पदार्थों की कीमतों में कमी– सब्जियों (जैसे प्याज), दालों और मसालों के दाम घटने से महंगाई काफी कम हुई है, क्योंकि खाने–पीने की वस्तुओं का CPI में बड़ा हिस्सा होता है।

4.5.2 कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट– जुलाई 2025 से कच्चे तेल की कीमतों में लगातार कमी (लगभग 12.3%) आई, जिससे ईंधन और पावर सेक्टर पर दबाव कम हुआ।

4.5.3 कृषि गतिविधियों में सुधार – अच्छी फसल और अनुकूल मौसम के कारण कृषि उत्पादन बढ़ा, जिससे खाद्य महंगाई नियंत्रित रही।

4.5.4 कम आधार प्रभाव– पिछले साल (2024) की तुलना में कम कीमतों के कारण इस साल महंगाई दर कम दिख रही है, क्योंकि पिछले साल के नकारात्मक आंकड़े इस साल की दर को और घटा रहे हैं.

4.5.5 सरकारी नीतियां और RBI के कदम– GST दरों में कटौती और RBI की मौद्रिक नीतियों (Monetary Policies) ने भी महंगाई को नियंत्रित करने में मदद की है।

कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र

अध्याय–5
कृषि गन्ना एवं उद्यान
AGRICULTURE,SUGAR CANE AND HORTICULTURE

राज्य गठन के समय राज्य की आर्थिकी का प्रमुख आधार कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था था। प्रदेश गठन के समय कुल खाद्य उत्पादकता **17.12 कुन्तल प्रति हैक्टेयर** थी, जो वर्तमान में **26.64 कुन्तल प्रति हैक्टेयर** है। राज्य गठन के समय निम्न मूल्य फसल (Low Value Crops) पर ही फोकस था, परन्तु कृषकों को अधिक से अधिक लाभ दिये जाने हेतु उच्च मूल्य फसल (High Value Crops) पर फोकस किया जा रहा है, जिस हेतु राज्य सरकार द्वारा कृषि एवं उद्यान सम्बन्धित विभिन्न नीतियां लायी गयी हैं, जिनमें मुख्य रूप से **मिलेट पॉलिसी, कीवी पॉलिसी, एप्पल मिशन,** Scheme for upgradation of post harvest apple logistic (SUPHAL) **प्रमुख है,** जिसके क्रियान्वयन से कृषकों के आय में प्रभावी वृद्धि सम्भव है। राज्य में सगन्ध पौध उत्पादन की अपार सम्भावनाओं को देखते हुए महक क्रान्ति के रूप में एरोमैटिक पॉलिसी लायी गयी है, जिससे आगामी 05–06 वर्षों में लगभग **23,000 हैक्टेयर** में कृषि कर **एक लाख कृषक** लाभान्वित होंगे। इन विभिन्न नीतियों में कृषि तथा औद्यानीकरण को लाभप्रद बनाने हेतु उच्च गुणवत्ता परक बीज वितरण से लेकर फल तथा खाद्य प्रसंस्करण व्यवस्था तथा कृषकों को बाजार उपलब्ध कराने तक की व्यवस्था की गयी है। सरकार द्वारा कृषि को प्रोत्साहित करने हेतु विभिन्न जन कल्याण कारी योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। प्रदेश गठन के समय कुल खाद्यान्न उत्पादन 16.47 लाख मैट्रिक टन था, जो कि वर्ष 2023–24 में 2.19 हैक्टेयर कृषि क्षेत्रफल में कमी होने के उपरान्त भी खाद्यान्न उत्पादन 17.97 लाख मैट्रिक टन है। यह उत्पादन विभिन्न केन्द्र एवं राज्य पोषित योजनाओं, गुणवत्तायुक्त कृषि निवेशों का वितरण कृषि में नवाचार को बढ़ावा आदि के माध्यम से सम्भव हो पाया है।

5.1 कृषि क्षेत्र का समग्र परिदृष्य

उत्तराखण्ड राज्य में कृषि जोतों का आकार छोटा एवं बिखरा हुआ है, जिससे परम्परागत कृषि को अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। राज्य की लगभग 70 प्रतिशत ग्रामीण आबादी कृषि एवं सहवर्गीय गतिविधियों जैसे उद्यानिकी, दुग्ध उत्पादन, पशुपालन, मत्स्य पालन, औषधीय एवं सुगन्ध पौध उत्पादन, मधुमक्खी पालन, जैविक खेती तथा कृषि आधारित लघु उद्योगों पर निर्भर है।

5.1.1 कृषि एवं सहवर्गीय क्षेत्र में कार्यबल की स्थिति

वर्ष 2001 की तुलना में वर्ष 2011 में राज्य के कुल कार्यबल में कृषि एवं सहवर्गीय क्षेत्र की भागीदारी 27.48 प्रतिशत से बढ़कर 30.98 प्रतिशत हो गई है, जो यद्यपि राष्ट्रीय औसत से कम है, तथापि इसमें निरन्तर वृद्धि की प्रवृत्ति परिलक्षित होती है।

5.1.2 बजट आवंटन एवं सकल राज्य घरेलू उत्पाद में योगदान

वर्ष 2011–12 से 2024–25 के मध्य कृषि एवं सहवर्गीय क्षेत्र हेतु कुल बजट का 3.80 से 3.93 प्रतिशत आवंटन किया गया, जो राज्य सरकार द्वारा कृषि को प्राथमिकता दिये जाने का द्योतक है। वर्ष 2024–25 में इस क्षेत्र का सकल राज्य घरेलू उत्पाद में योगदान 8.45 प्रतिशत रहा।

5.1.3 भूमि जोत संरचना

वर्ष 2021–22 की कृषि गणना के अनुसार प्रदेश में कुल 9,94,163 क्रियात्मक जोतें विद्यमान हैं। सामाजिक वर्ग एवं आकार वर्ग के अनुसार जोतों की संख्या एवं क्षेत्रफल का विवरण तालिका 5.1 में प्रस्तुत है।

तालिका सं0–5.1

सामजिक वर्ग	आकार वर्ग	2021.22		
		कियात्मक जोतों की संख्या	कियात्मक जोत का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	कुल क्षेत्रफल में जोत के क्षेत्रफल का प्रतिशत
अनुसूचित जाति	सीमान्त	97697	21795.940	3.16
	लघु	8277	11476.410	1.66
	अर्द्ध मध्यम	3095	8090.990	1.17
	मध्यम	588	3168.120	0.46
	बृहत	64	1026.880	0.15
	योग	109721	45558.340	6.6
अनुसूचित जनजाति	सीमान्त	21424	6715.611	0.97
	लघु	4733	6853.900	0.99
	अर्द्ध मध्यम	4442	12611.980	1.83
	मध्यम	2595	14848.720	2.15
	बृहत	153	2180.010	0.32
	योग	33347	43210.230	6.26
अन्य	सीमान्त	672252	168907.280	24.47
	लघु	101522	143856.690	20.84
	अर्द्ध मध्यम	57411	156411.570	22.66
	मध्यम	17248	94913.990	13.75
	बृहत	1480	27270.520	3.95
	योग	849913	591360.050	85.66
संस्थागत	सीमान्त	664	209.390	0.03
	लघु	160	228.470	0.03
	अर्द्ध मध्यम	139	397.230	0.06
	मध्यम	112	675.190	0.1
	बृहत	107	8694.670	1.26
	योग	**1182**	**10204.940**	**1.48**
समस्त आकार वर्ग	**सीमान्त**	**792037**	**197628.210**	**28.63**
	लघु	**114692**	**162415.470**	**23.53**
	अर्द्ध मध्यम	**65087**	**177511.780**	**25.71**
	मध्यम	**20543**	**113606.020**	**16.46**
	बृहत	**1804**	**39172.080**	**5.67**
	योग	**994163**	**690333.560**	**100**

स्रोतः कृषि विभाग उत्तराखण्ड

5.1.4 फसल प्रतिरूप (Cropping Pattern)

वर्ष 2024–25 में कुल बोये गये क्षेत्रफल का 30 प्रतिशत भाग गेहूँ, 25 प्रतिशत धान तथा शेष क्षेत्र मोटे अनाज, दलहन, तिलहन, फल–सब्जियों एवं अन्य फसलों के अन्तर्गत है। फसल–वार क्षेत्रफल का विवरण तालिका 5.2 में दर्शाया गया है।

तालिका सं0–5.2

क0सं0	फसल का नाम	क्षेत्रफल प्रतिशत में
1	गेहूं	30
2	धान	25
3	मण्डुवा	7
4	सांवा	4

5	गन्ना	11
6	मक्का	2
7	जौ	2
8	कुल दालें	5
9	कुल तिलहन	3
10	फल तथा सब्जियां	6
11	चारा	3
12	अन्य फसलें	2

स्रोतः कृषि विभाग उत्तराखण्ड

चार्ट 5.1

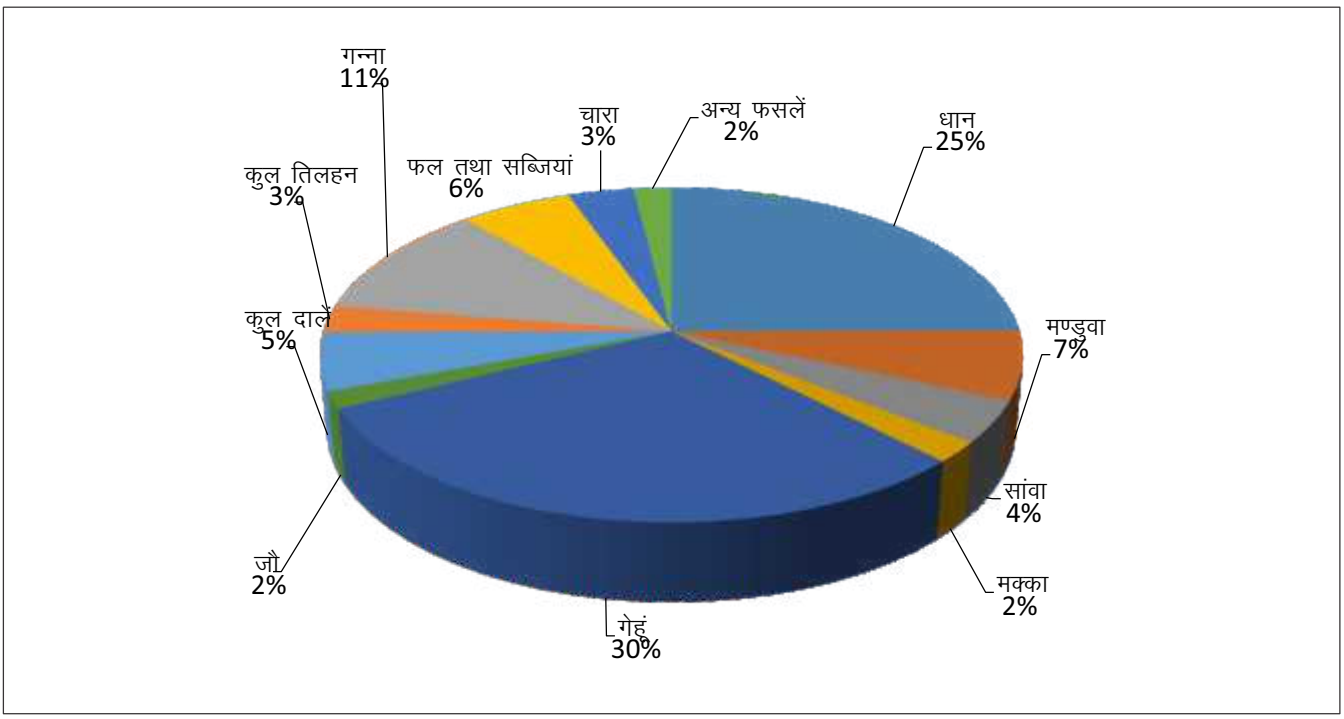

5.1.5 खाद्यान्न उत्पादन एवं उत्पादकता

विगत वर्षों में कृषि भूमि में कमी के बावजूद खाद्यान्न उत्पादकता में निरन्तर वृद्धि दर्ज की गई है, जिसका प्रमुख कारण उन्नत बीजों का प्रयोग, तकनीकी हस्तक्षेप एवं कृषक प्रशिक्षण है (तालिका 5.3)।

तालिका– 5.3

वर्ष	क्षेत्र ('000हैक्टेयर)	उत्पादन ('000मी.टन)	उत्पादकता('000कु./हैक्टेयर)
2011–12	909.305	1804.03	1.98
2012–13	898.974	1811.84	2.02
2013–14	872.75	1775.08	2.03
2014–15	875.38	1612.96	1.84
2015–16	866.78	1756.38	2.03
2016–17	867.88	1874.50	2.16
2017–18	842.389	1920.590	2.28

2018–19	814.833	1860.206	2.28
2019–20	806.681	1892.029	2.35
2020–21	782.969	1976.631	2.53
2021–22	751.384	1886.52	2.51
2022–23	753.014	1774.73	2.36
2023–24	688.103	1796.87	2.61
2024–25*	661.853	1801.01	2.72

स्रोतः कृषि विभाग उत्तराखण्ड

चार्ट 5.2.1

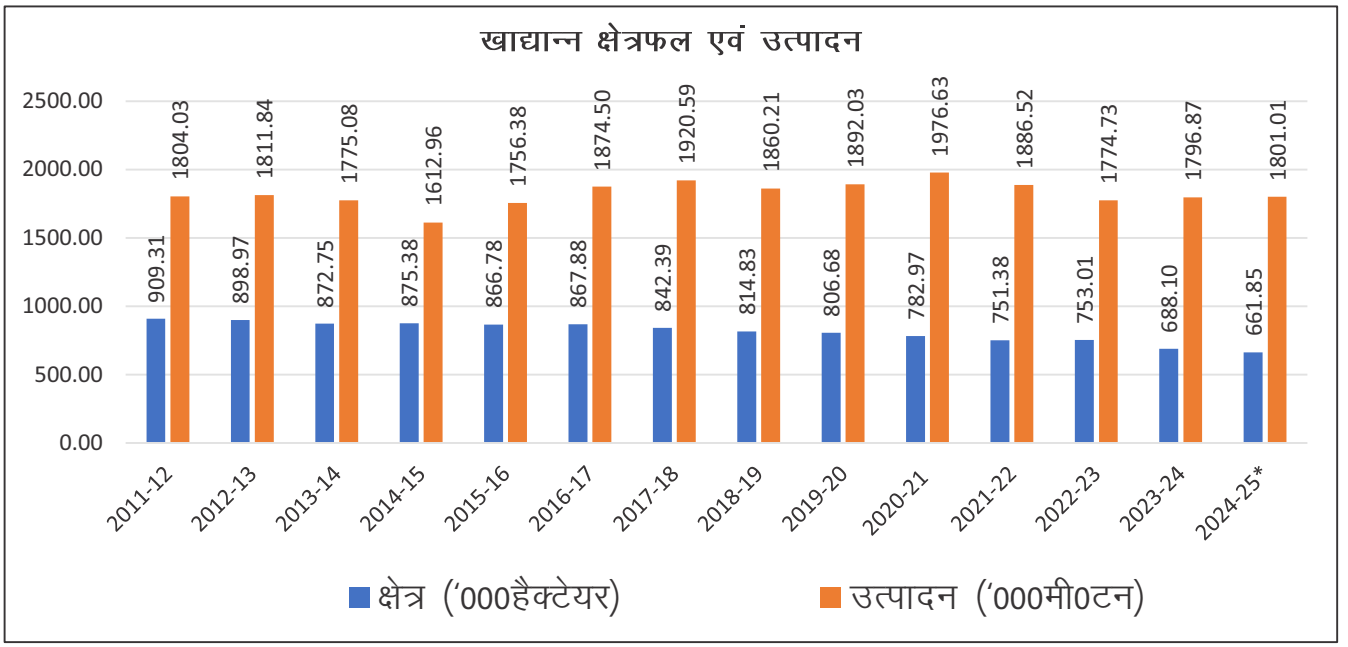

चार्ट 5.2.2

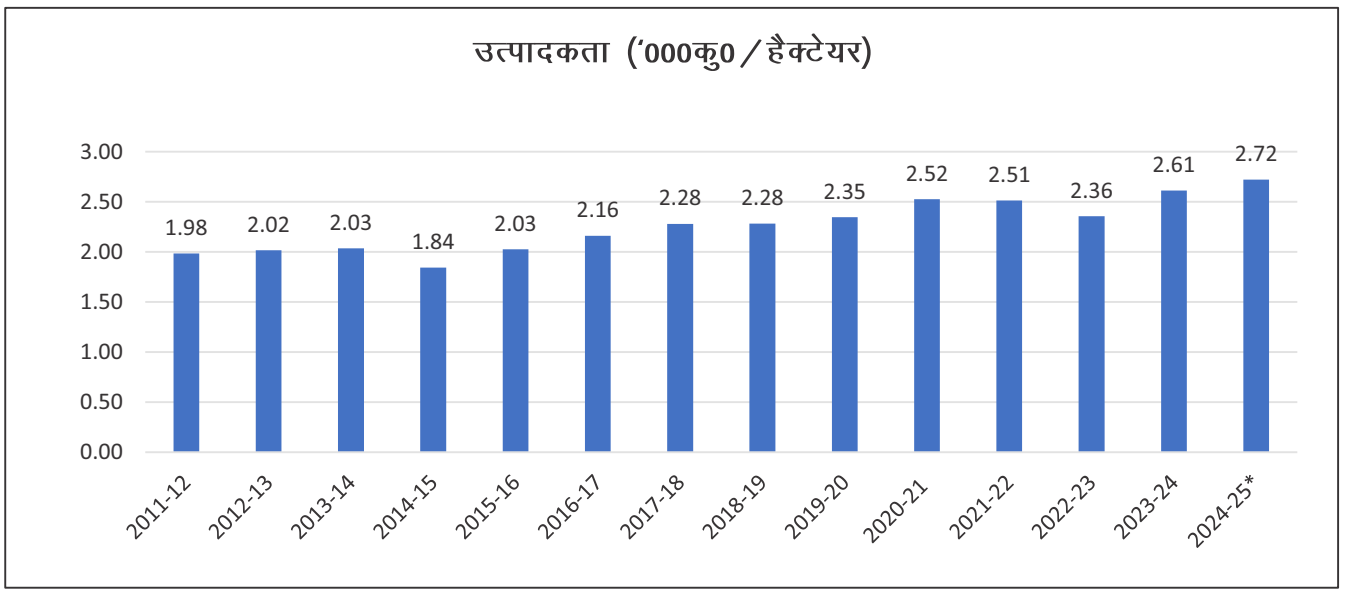

खाद्यान्न के अंतर्गत कुल क्षेत्रफल में निरंतर कमी आई है, इसके बावजूद औसत उत्पादकता में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है, जो वर्ष 2011–12 में 1.98 कु./हेक्टेयर से बढ़कर वर्ष 2024–25 में 2.72 कु./हेक्टेयर हो गई है।

यह प्रवृत्ति इस तथ्य को रेखांकित करती है कि उन्नत बीजों के वितरण, आधुनिक कृषि तकनीकों, यंत्रीकरण एवं बेहतर प्रबंधन पद्धतियों के माध्यम से उत्पादकता में वृद्धि संभव हुई है।

5.1.5 केन्द्रपोषित योजनाएँ

कृषि क्षेत्र में आय संवर्धन, जोखिम प्रबन्धन एवं उत्पादकता वृद्धि हेतु विभिन्न केन्द्रपोषित योजनाएँ संचालित की जा रही हैं, जिनमें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, न्यूनतम समर्थन मूल्य, ई–नाम, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, परम्परागत कृषि विकास योजना, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, कृषि यंत्रीकरण, प्राकृतिक खेती मिशन आदि प्रमुख हैं। इन योजनाओं की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति सम्बन्धित उप–अनुभागों में तालिकाओं सहित प्रस्तुत की गई है।

5.1.6 प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN)

भारत सरकार द्वारा किसानों को आय सम्बन्धी सहायता दिये जाने हेतु शत–प्रतिशत सहायता के साथ दिनांक **01 दिसम्बर, 2018 से ''प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पी.एम–किसान)'' योजना** लागू की गई है जिसके अन्तर्गत पात्र किसान परिवारों के बैंक खातों में प्रति वर्ष ₹ 6000 (रूपये छः हजार मात्र) की धनराशि ₹ 2000 (रूपये दो हजार मात्र) की तीन समान किश्तों में प्रदान की जा रही है। योजना की किश्तों हेतु निर्धारित समयावधि निम्नानुसार है :–

- प्रथम किश्त की समयावधि –01 अप्रैल से 31 जुलाई
- द्वितीय किश्त की समयावधि – 01 अगस्त से 30 नवम्बर
- तृतीय किश्त की समयावधि – 01 दिसम्बर से 31 मार्च

प्रदेश में योजना के संचालन हेतु शासनादेश संख्याः 232 दिनांक 08 फरवरी, 2019 के द्वारा कृषि विभाग को नोडल विभाग तथा शासनादेश संख्याः 233 दिनांक 08 फरवरी, 2019 के द्वारा आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद उत्तराखण्ड को नोडल अधिकारी नामित किया गया है।

1. योजना के उदेश्य–

(1) देश में समस्त किसानों को प्रत्यक्ष आय सम्बन्धी सहायता दिए जाने के प्रयोजनार्थ एक सुव्यवस्थित कार्य व्यवस्था कायम करने के लिए भारत सरकार द्वारा केन्द्र से शतप्रतिशत सहायता के साथ (पीएम–किसान) नाम की एक योजना आरम्भ की गई है।

(2) यह योजना समस्त किसानों को उनके निवेश और अन्य जरूरतों के लिए एक सुनिश्चित आय सहायता सुनिश्चित करते हुए पूरक आय प्रदान करेगी, जिससे उनकी उभरती जरूरतों को तथा विशेष रूप से फसल कटाई के पश्चात सम्भावित आय प्राप्त होने से पूर्व होने वाले संभावित व्ययों की पूर्ति सुनिश्चित होगी।

(3) यह योजना उन्हें ऐसे खर्चो को पूरा करते हुए उन्हें साहूकारों के चंगुल में पड़ने से भी बचाएगी और खेती के कार्यकलापों में उनकी निरंतरता सुनिश्चित करेगी। यह योजना उन्हें अपनी कृषि पद्धतियों के आधुनिकीकरण के लिए सक्षम बनाएगी और उनके लिए सम्मानजनक जीवनयापन करने का मार्ग प्रशस्त करेगी।

2. योजना की प्रगति–

प्रदेश में दिनांकः 31 दिसम्बर, 2025 तक 9.15 लाख कृषक पंजीकृत है तथा ₹ 3457.73 करोड धनराशि निम्नानुसार उपलब्ध करायी जा चुकी है।

तालिका 5.4
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN)

क्र. सं.	वित्तीय वर्ष	आंवटित धनराशि (करोड़ रुपयें में)
1.	2018–19	82.82
2.	2019–20	432.03
3.	2020–21	522.16
4.	2021–22	547.77
5.	2022–23	481.10
6.	2023–24	513.28
7.	2024–25	532.30
8.	2025–26	346.27
कुल योग		**3457.73**

स्रोतः कृषि विभाग उत्तराखण्ड

तालिका 5.5
वर्ष 2025–26 में योजना से लाभान्वित कृषकों का जनपदवार विवरण

क्र. सं.	जनपद का नाम	कुल पंजीकृत कृषक (31.12.2025)	प्रथम ट्राईमेस्टर (अप्रैल से जुलाई 2025)		द्वितीय ट्राईमेस्टर (अगस्त से नवम्बर 2025)		कुल आंवटित धनराशि (लाख रुपये में)
			कृषकों की संख्या	देय किश्तों की संख्या	कृषकों की संख्या	देय किश्तों की संख्या	
1	अल्मोडा	114537	105088	118091	101763	101789	4397.60
2	बागेश्वर	43776	40982	43393	39994	40023	1668.32
3	चमोली	48960	47262	48838	46679	46681	1910.38
4	चम्पावत	40425	37699	41062	35908	35908	1539.40
5	देहरादून	51031	44873	60337	43480	43517	2077.08
6	हरिद्वार	125778	103062	115172	101360	101589	4335.22
7	नैनीताल	58582	54849	60275	53140	53143	2268.36
8	पौड़ी गढ़वाल	60983	58532	64682	57110	57116	2435.96
9	पिथौरागढ	65610	60822	66339	59793	59795	2522.68
10	रूद्रप्रयाग	43817	39987	45035	39340	39350	1687.70
11	टिहरी गढ़वाल	120396	109570	121307	108217	108233	4590.80
12	उधमसिंहनगर	82476	76592	82542	74181	74194	3134.72
13	उत्तरकाशी	54286	49469	54171	48745	48761	2058.64
महायोगः–		910657	828787	921244	809710	810099	34626.86

स्रोतः कृषि विभाग उत्तराखण्ड

चार्ट 5.3

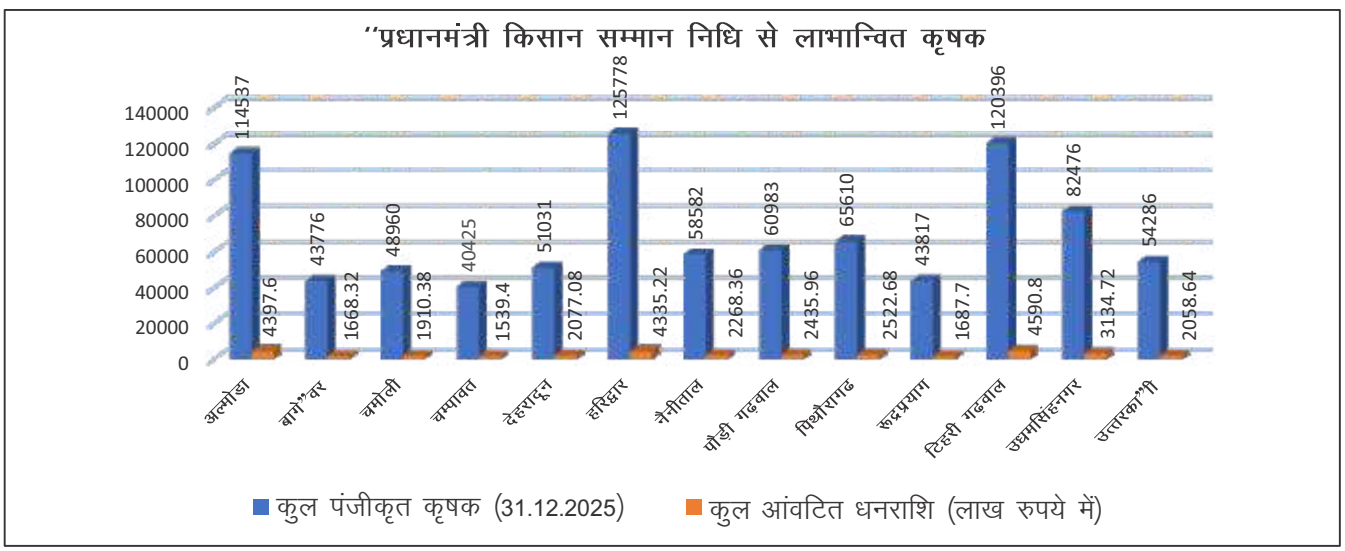

5.1.7 प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (पी. एम.के.एम.वाई.)—भारत सरकार द्वारा देश के सभी भू–धारक लघु एवं सीमान्त किसानों के लिए एक सामाजिक सुरक्षा कवच सृजित करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (PM-KMY) नामक वृद्धावस्था पेंशन योजना शुरु की गई है, जो एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन स्कीम है तथा इसमें शामिल होने की आयु 18 से 40 वर्ष है। यह योजना 09 अगस्त, 2019 से प्रभावी है। योजनान्तर्गत प्रदेश में कुल 2169 कृषक पंजीकृत है।

5.1.8 प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना–

वर्ष 2024–25 सीजन खरीफ एवं रबी में कुल 74625 कृषकों का बीमा किया गया। वर्ष 2024–25 में 19744.18 हे. क्षेत्रफल के अन्तर्गत ₹ 137.08 करोड़ का बीमा किया गया है। वर्ष 2024–25 में 9433 कृषकों को ₹ 77.58 लाख का क्षतिपूर्ति बांटी गयी।

वर्ष 2025–26 में माह दिसम्बर, 2025 तक 83097 कृषकों का बीमा किया गया। वर्ष 2025–26 में 18365.18 हे. क्षेत्रफल के अन्तर्गत ₹ 136.73 करोड़ का बीमा किया गया है। माह फरवरी में बीमा कम्पनी द्वारा औसत उपज के आंकड़ों के आधार खरीफ 2025 की क्षति का आंकलन कर क्षतिपूर्ति की जायेगी। खरीफ 2025 में योजना मैदानी जनपदों में न्यापंचायत/न्यापंचायत समूह एवं पर्वतीय जनपदों में तहसील/तहसील समूह स्तर पर संचालित की जा रही है।

किसान क्रेडिट कार्ड (KCC)- किसान क्रेडिट कार्ड योजना कृषि के लिए ऋण वितरण का सरल माध्यम है जिसे अगस्त 1998 से शुरू किया गया है इसमें वित्तीय संस्थाओं द्वारा किसानों को जमीन तथा फसल के आधार पर फसल से सम्बन्धित समस्त व्यय हेतु ऋण दिया जाता है जिसे किसान अपनी आवश्यकता के अनुसार धनराशि निकाल सकता है। के0सी0सी0 कार्ड की ऋण सीमा 3 से 5 वर्ष (वित्तीय संस्थावार पृथक–पृथक) होती है। वित्तीय संस्थाओं द्वारा ₹ 3 लाख तक के लिए 7 प्रतिशत (वित्तीय संस्थाओं के द्वारा निर्धारित पृथक–पृथक) ब्याज पर ऋण वितरित किया जाता है। निर्धारित समयावधि मे ऋण भुगतान पर भारत सरकार द्वारा 2 से 3 प्रतिशत तक वार्षिक ब्याज सहायता प्रदान की जाती है। किसान क्रेडिट कार्ड धारक के लिए व्यक्तिगत जीवन बीमा/दुर्घटना बीमा की सुविधा भी उपलब्ध है। कार्ड धारक की मृत्यु/स्थायी विकलांगता की स्थिति में ₹ 50 हजार एवं आंशिक विकलांगता की स्थिति में ₹ 25 हजार का बीमा प्रदान किया जाता है। भारत सरकार द्वारा पी0एम0–किसान योजना के समस्त लाभार्थियों को किसान क्रेडिट कार्ड जारी किये जाने हेतु दिशा–निर्देश निर्गत किये गये हैं तथा ₹ 3.00 लाख रूपये तक के ऋण पर प्रोसेसिंग, डाक्यूमेन्टेशन, इन्सपेक्शन, लेजर फोलियो चार्जेज तथा सर्विस चार्जेज नही लिये जाने का निर्णय लिया गया है। 30 सितम्बर, 2025 तक प्रदेश में 5.77 लाख किसान क्रेडिट कार्ड वितरित किये गये है।

5.1.9 न्यूनतम समर्थन मूल्य (Minimum Support price):- रबी फसलों के वर्ष 2022–23 से 2025–26 में विपणन हेतु भारत सरकार द्वारा निम्नानुसार न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी किया गया है।

तालिका –5.6

खाद्य सामाग्री	एम0एस0पी0 2022–23	एम0एस0पी0 2023–24	एम0एस0पी0 2024–25	एम0एस0पी0 2025–26
गेहूँ	2125	2275	2425	2585
जौ	1735	1850	1980	2150
चना	5335	5440	5650	5875
मसूर	6000	6425	6700	7000
सरसों/तोरिया	5450	5650	5950	6200
कुसुम (Safflower)	5650	5800	5940	6540

वर्ष 2025–26 में मुख्य केन्द्रीय पोषित योजना से लाभान्वित कृषकों/व्यय धनराशि का विवरण

क्र. सं.	योजना का नाम	उपलब्धि वर्ष 2025–26 अनन्तिम
1.	प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना	2169 कृषक पंजीकृत
2.	प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना	83097 कृषकों का बीमा
3.	किसान क्रेडिट कार्ड	5.77 लाख के0सी0सी0 वितरित
4.	ई–नाम	27281 कृषकों को 175.05 करोड़ का भुगतान
5.	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	1307.32 लाख व्यय
6.	वर्षा आधारित क्षेत्र विकास कार्यक्रम	890 कृषक लाभान्वित
7.	मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता योजना	लक्ष्यों के सापेक्ष 96 प्रतिशत की पूर्ति
8.	परम्परागत कृषि विकास योजना	1322.38 लाख व्यय
9.	पर ड्रॉप मोर क्राप	1129.88 लाख व्यय
10.	कृषि यन्त्रीकरण	2150.00 लाख व्यय
11.	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिषन	2744 कु0 उन्नत बीज वितरण
12.	उर्वरक उपभोग	138510 मै0टन उर्वरक वितरित
कुल योग		**3457.73**

स्रोतः कृषि विभाग उत्तराखण्ड

5.1.10 राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई–नाम) (E-National Agricultural Market (e-NAM):- राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई–नाम) एक पैन इण्डिया इलैक्ट्रानिक व्यापार पोर्टल है, जो कृषि से सम्बन्धित उपजों के लिए एक एकीकृत बाजार का निर्माण करने के लिए मौजूदा ए0पी0एम0सी0 मण्डी का एक प्रसार है। ई–नाम पोर्टल सभी ए0पी0एम0सी0 (Agriculture Produce Marketing Committee) से सम्बन्धित सूचनाओं एवं सेवाओं के लिए सेवा प्रदान करता है। कृषि बाजार को राज्यों द्वारा उनके कृषि व्यवसाय विनियमन द्वारा संचालित किया जाता है। वर्तमान में कुल 20 मण्डी समितियां ई–नाम पोर्टल से जुड़ी हैं। माह दिसम्बर, 2025 तक कुल 92349 कृषक, 6276 व्यापारियों एवं 2727 कमिशन एजेंटो का पंजिकरण ई–नाम पोर्टल पर किया जा चुका है। ई–नाम के अर्न्तगत अभी तक कुल ₹ 1493.04 करोड़ मूल्य की 97.62 लाख कुन्तल कृषि उत्पाद का ई–ट्रेड किया गया है। वर्तमान तक कुल 402232 लाट की लैब टेस्टिंग की गयी है। कुल 27281 डिजिटल पेमेन्ट के माध्यम से ₹ 175.05 करोड़ का ई–भुगतान किये गये हैं।

अ) ग्रोथ सेन्टर (GROWTH CENTRE)- उत्तराखण्ड शासन सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग विभाग की अधिसूचना संख्या–1800, दिनांक 28 सितम्बर, 2018 के द्वारा ग्रोथ सेन्टर के सम्बन्ध में अधिसूचना जारी की गयी है। ग्रोथ सेन्टर हेतु MSME विभाग नोडल विभाग घोषित है।

वर्तमान में कृषि विभाग एवं आजीविका के सहयोग से जनपद बागेश्वर में एक ग्रोथ सेन्टर संचालित किया जा रहा है।

5.1.11 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (DPR):- योजना में कृषि, उद्यान, रेशम उत्पादन, सगंध पौध की खेती, एन0आई0आर0डी0 आदि विभागों की परियोजनायें सम्मिलित हैं। वर्ष 2025–26 हेतु भारत सरकार द्वारा ₹ 2775.00 लाख का प्राविधान किया गया है। योजनान्तर्गत प्रथम किस्त की धनराशि ₹ 1541.67 लाख प्राप्त हुई, जिसके सापेक्ष ₹ 1307.32 लाख का व्यय किया गया है।

उत्पादन में क्रांतिकारी वृद्धि– खेत से थाली तक

उत्तराखंड आज खाद्यान्न में आत्मनिभर राज्य है भारत सरकार द्वारा खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि हेतु उत्तराखंड राज्य को लगातार दो वर्ष पुरस्कृत किया गया है। यह किसानों की मेहनत और सरकार की नीतियों का परिणाम है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अन्तर्गत, अब तक तीन हजार चार सौ सत्तावन करोड़ रुपये की धनराशि किसानों के खातों में हस्तांतरित की जा चुकी है जो उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करती है। औद्यानीकी के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय प्रगति हुई है। फलों की उत्पादकता एक दशमलव बयासी मीट्रिक टन प्रति हेक्टेयर थी, जो ढाई गुना बढ़कर चार दशमलव बावन मीट्रिक टन प्रति हेक्टेयर प्राप्त कर ली गई है, जिससे इकाई क्षेत्रफल में अधिक उत्पादन से कृषकों को आर्थिक लाभ हुआ है। सेब की अति सघन बागवानी को वृहद स्तर पर बढ़ावा देने हेतु कृषकों को साठ प्रतिशत अनुदान पर आठ वर्ष में पांच हजार हेक्टेयर सेब के अति सघन बागान स्थापना के लिए वर्ष 2023–24 में योजना स्वीकृत कर संचालित की जा रही है। योजनांतगत कुल आठ सौ नौ करोड़ रुपये व्यय किया जाएगा ,जिससे लगभग पैंतालीस हजार से पचास हजार रोजगार सृजन होंगे। कीवी की बढ़ती मांग एवं जंगली जानवरों से कम नुकसान के दृष्टिगत उत्तराखण्ड कीवी पॉलिसी का शुभारम्भ किया गया, जिसके अन्तर्गत आठ सौ चौरानवें करोड़ की लागत से तीन हजार पांच सौ हेक्टेयर क्षेत्रफल आच्छादित किये जाने का लक्ष्य है।

राज्य स्थापना के समय मशरूम का उत्पादन लगभग पांच सौ मीट्रिक टन था, जिसमें सतत् वृद्धि करते कर वर्तमान में लगभग सत्ताईस हजार तीन सौ नब्बे मैट्रिक टन मशरूम का उत्पादन किया जा रहा है। मशरूम उत्पादन की दृष्टि से उत्तराखण्ड का देश में पांचवां स्थान है। राज्य स्थापना के समय शहद का उत्पादन नगण्य था, जो कि वर्तमान में लगभग तीन हजार तीन सौ बीस मैट्रिक टन हो गया है तथा शहद उत्पादन की दृष्टि से उत्तराखण्ड का देश में आठवां स्थान है।

हर्बल और विशेष क्षेत्र मे सगंध पौधा केंद्र द्वारा सगंध फसलों यथा लेमनग्रास, मिन्ट, डेमस्क गुलाब, तेजपात, कैमोमिल की शुरुआत वर्ष 2002 में इस उद्देश्य से की गई, कि उत्तराखण्ड में जंगली जानवरों एवं असिंचित क्षेत्रों हेतु सुरक्षित वैकिल्पक फसलें किसानों को मिल सकें। इस क्रम में कैप द्वारा विगत 23 वर्ष में नौ हजार पांच सौ हेक्टेयर क्षेत्रफल में सगंध फसलों का कृषिकरण कराया गया, जिससे अठाईस हजार कृषक, 109 ऐरोमा क्लस्टरों में सगंध फसलों की खेती कर रहे हैं। चाय विकास एवं रेशम विकास के संबंध में भी उल्लेखनीय प्रगति हुई है। राज्य गठन के समय मात्र 196 हेक्टेयर में कुमाऊं मण्डल विकास निगम द्वारा चाय की खेती की जा रही थी, वर्ष 2004 में उत्तराखण्ड चाय विकास बोड के गठन के उपरांत वर्तमान में राज्य में लगभग 1585 हेक्टेयर क्षेत्रफल में चाय के बागान स्थापित किये गये हैं, जिनमें लगभग छह लाख किलोग्राम हरी पत्तियों का उत्पादन की जा रही है। राज्य की स्थापना के समय राज्य में चार हजार दो सौ रेशम कीटपालकों द्वारा लगभग 90 मीट्रिक टन रेशम कोया उत्पादन किया जा रहा था। वर्तमान में लगभग दस हजार पांच सौ कृषकों द्वारा 320 मीट्रिक टन रेशम कोया उत्पादन सफलतापूर्वक किया जा रहा है।

5.1.12 वर्षा आधारित क्षेत्र विकास कार्यकम (Rainfed Area Development)-

प्रदेश में वर्षा आधारित कृषि क्षेत्रों में कृषि उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से एकीकृत खेती प्रणाली, जल उपयोग दक्षता, उचित मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण पर केन्द्रित, राष्ट्रीय सत्त कृषि मिशन वर्ष 2014–15 से निरन्तर संचालित है। दिनांक 23 मार्च, 2023 को भारत

सरकार द्वारा निर्गत "New Operational Guidelines" में दिशा निर्देश उपलब्ध कराया गया है। इसके अन्तर्गत विभिन्न समेकित फसल प्रणालियों के प्रदर्शन, मौन पालन, वर्मी कम्पोस्ट संरचनायें, साइलेज इकाईयों का निर्माण, क्षमता निर्माण प्रशिक्षण आदि कार्यक्रम संचालित है। इसके अन्तर्गत निम्न कार्यक्रम है–

वर्षा सिंचित क्षेत्रों मे सतत् कृषि उत्पादकता को बढ़ाने के लिए पी.एम. राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत वर्षा आधारित क्षेत्र विकास कायक्रम के तहत भारत सरकार द्वारा वर्ष 2025–26 हेतु कुल 82 क्लस्टर हेतु ₹ 1515.11 लाख की कार्ययोजना अनुमोदित की गयी हैं तथा ₹ 1250.92 लाख का केन्द्रांश एलोकेशन प्राप्त हुआ है। अनुमोदित कार्ययोजना के सापेक्ष राज्यांश सहित कुल ₹ 613.89 लाख अवमुक्त किये गये है, जिसके सापेक्ष ₹ 481.40 लाख SNA-Sparsh मोड्यूल के माध्यम से माह नवम्बर, 2025 तक व्यय किया गया। योजना के अन्तर्गत एकीकृत फसल पद्धतियों आधारित 3520 हे0 प्रदर्शनों के लक्ष्य निर्धारित है, जिसके सापेक्ष 840 हे0 क्षेत्रफल में कार्य किये गये है तथा 890 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया है।

5.1.13 मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता योजना (Soil Health & Fertility-SH&F)-(90 प्रतिशत, केन्द्रपोषित)

योजनान्तर्गत मृदा स्वास्थ्य में सुधार हेतु प्रदेश के समस्त कृषकों के खेतों की मिट्टी की जांच करते हुये उन्हें निःशुल्क मृदा स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध कराये जाते हैं। वर्ष 2024–25 में ₹ 405.56 लाख धनराशि की अनुमोदित कार्ययोजना के सापेक्ष 1,00,570 मृदा नमूनों के एकत्रण एवं विश्लेषण करते हुए कृषकों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किये गये है। वर्ष 2025–26 में 1,12,783 मृदा नमूनों के लक्ष्यों के सापेक्ष लगभग 96% की पूर्ति कर ली गयी है।

5.1.14 परम्परागत कृषि विकास योजना (PKVY):-

परम्परागत कृषि को बढावा देने के लिये एवं जैविक उत्पादन प्राप्त करने हेतु विगत वर्षों से योजना प्रदेश के 10 जनपदों के 2500 कलस्टरों में संचालित की जा रही है। जिसके अन्तर्गत 50,000 है0 में जैविक कृषि कार्यक्रम योजनान्तर्गत जैविक खेती पर प्रशिक्षण, पी0जी0एस0 प्रमाणीकरण, एकीकृत खाद प्रबन्धन, मृदा परीक्षण, जैविक उत्पादों का विपणन एवं कृषि यंत्रों हेतु वित्तीय सहायता दी जा रही है। वर्ष 2025–26 में ₹ 2025.56 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी है। जिसके सापेक्ष ₹ 1322.38 लाख का उपयोग कर लिया गया है।

5.1.15 कृषि यन्त्रीकरण (Sub Mission on Agricultural Mechanization- SMAM):- इस योजना के अन्तर्गत किसानों में नए कृषि यंत्र/मशीनों को लोकप्रिय बनाया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2024–25 मे भारत सरकार द्वारा योजनान्तर्गत ₹ 2930.00 लाख अवमुक्त के सापेक्ष ₹ 2153.31 लाख का उपयोग कर 20– ट्रैक्टर, 3165– पावर विडर तथा 1260– अन्य पॉवर चालित एवं 50– मानव चालित आदि यंत्र अनुदान पर कृषकों को उपलब्ध कराया किया गया है। योजनान्तर्गत वर्ष 2025–26 हेतु ₹ 4791.00 लाख धनराशि का प्राविधान किया गया तथा प्रथम किस्त ₹ 2395.50 लाख प्राप्त के सापेक्ष ₹ 2150.00 लाख का व्यय किया किया गया है।

ब) नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल –ऑयलसीड (NMEO) – तिलहनी फसलों में खाद्य तेलों के आयात पर निर्भरता को कम करने एवं भारत को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा वर्ष 2024–25 से 2030–31 तक 07 वर्षों के लिये नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल–ऑयलसीड योजना प्रारम्भ की गयी है। यह योजना उत्तराखण्ड प्रदेश में भी संचालित है।

योजनान्तर्गत वर्ष 2025–26 मे प्रदेश के 03 जनपदों के 1300 हेक्टेयर क्षेत्रफल में सोयाबीन एवं सरसों के वैल्यू चैन क्लस्टर बनाये गये हैं। इसके अतिरिक्त तिलहनी फसलों का क्षेत्राच्छादन बढ़ाने हेतु 1727 हेक्टेयर क्षेत्रफल में विभिन्न तिलहनी फसलों के ब्लॉक प्रदर्शन क्लस्टर मोड में आयोजित किए गये है।

5.1.16 सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ''सपोर्ट टू स्टेट एक्सटेंशन प्रोग्राम फॉर एक्सटेंशन रिफार्मस आतमा'':–

कृषि प्रसार के सुदृढ़ीकरण के उददेश्य से वर्ष 2025–26 हेतु भारत सरकार द्वारा ₹ 2083.33 लाख की योजना स्वीकृत की गयी है। जिसमें वर्ष 2025–26 में अवमुक्त ₹ 1041.77 लाख एवं पूर्व में अवशेष ₹ 14.11 लाख कुल ₹ 1055.78 लाख की धनराशि के सापेक्ष ₹ 786.48 लाख की धनराशि का व्यय माह नवम्बर, 2025 तक कर लिया गया है। योजनान्तर्गत माह दिसम्बर, 2025 तक 5822– मानव दिवस प्रशिक्षण, 4207 –प्रदर्शन तथा 2767– मानव दिवस भ्रमण कार्यक्रम, 94– क्षमता विकास कार्यक्रम तथा 162– फार्म स्कूल आयोजित किये गये हैं।

5.1.17 बीज एवं रोपण सामग्री– (Sub Mission for Seed Planting material SMSP):-

अ) बीज ग्राम कार्यक्रमः– प्रदेश में वर्ष 2009–10 से संचालित केन्द्रपोषित बीज ग्राम योजना वर्ष 2014–15 से सब मिशन ऑन सीड्स एण्ड प्लांटिग मैटिरियल के अन्तर्गत संचालित की जा रही है। योजना के बीज वितरण मद में एक एकड़ क्षेत्रफल में बीजोत्पादन के लिये 50 प्रतिशत अनुदान पर धान्य फसलों एवं 60 प्रतिशत अनुदान पर दलहन एवं तिलहन फसलों के उन्नतशील प्रजातियों के आधारीय/प्रमाणित बीज कृषकों को उपलब्ध कराया जाता है। उत्पादित बीज को किसान द्वारा अन्य किसानों के साथ विनिमय किये जाते हैं, जिससे उन्नत बीजों का प्रसार हो रहा है। बीज ग्राम योजनान्तर्गत निःशुल्क कृषक प्रशिक्षण एवं बीज भण्डारण के लिए अनुदानित मूल्य पर बुखारियों का वितरण कृषकों को किया जा रहा है। वर्तमान में 32776.00 कुं0 गुणवत्तायुक्त बीज कृषकों को अनुदान पर वितरित किये गये है।

ब) बीज प्रमाणीकरण (Seed Certification) -

कृषि मौसमीय स्थिति राज्य में बीज उत्पादन के लिए काफी उपयुक्त है। बीज की गुणवता को बनाए रखने के लिए तथा उत्पादकों को बीज की कीमतें उपलब्ध कराने के लिए बीज प्रमाणीकरण योजना को अधिक महत्व दिया गया। राज्य के विभिन्न भागों में बीज उत्पादन तथा उनके उत्पादन के प्रमाणीकरण के लिए ''उत्तराखण्ड राज्य बीज एवं जैविक प्रमाणीकरण एजैंसी'' उत्पादकों को पंजीकृत कर रही है।

5.1.18 उर्वरक उपभोग –

उर्वरक ही एक ऐसा आदान है जो काफी हद तक उत्पादन को बढ़ाने में योगदान देता है। वर्ष 2024–25 में 271000 मै0टन उर्वरक वितरण के लक्ष्यों के सापेक्ष 147500 मै0टन रूप में वितरित किया गया है। वर्ष 2025–26 में 158000 के सापेक्ष 138510 मै0टन (सम्भावित) उर्वरक के रूप में वितरित किया गया है।

5.1.19– नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग (Natural Farming)

प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से केन्द्रपोषित योजना नेश्नल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग के अन्तर्गत 11 जनपदों पौड़ी, देहरादून, हरिद्वार, उत्तरकाशी, चमोली, नैनीताल, बागेश्वर, चम्पावत, पिथौरागढ़ अल्मोड़ा एवं ऊधमसिंह नगर के 10,000 हे0 में वर्ष 2024–25 से योजना का संचालन किया जा रहा है। वर्तमान में योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा अवमुक्त धनराशि कुल ₹ 12.239 लाख का शत्प्रतिशत उपयोग किया गया है। उक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत कृषि लागत में कमी करके किसानों की शुद्ध आय में वृद्धि कर खेती को व्यवहारिक एवं अनुकूल बनाने के साथ ही मृदा स्वास्थ्य एवं पर्यावरण

संरक्षण पर विशेष बल दिया जायेगा।

5.1.20 राज्य सेक्टर योजनायें:–

(क) अनुसूचित जाति एवं जनजाति बाहुल्य ग्रामों में वित्तीय वर्ष 2025–26 हेतु 86– अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों एवं 16– अनुसूचित जन–जाति बाहुल्य ग्रामों के लगभग 920 परिवारों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है। योजनान्तर्गत वर्ष 2025–26 हेतु कुल ₹ 700.00 लाख की कार्य योजना स्वीकृत की गई है।

(ख) स्वच्छता ऐक्शन प्लान– नमामि गंगें क्लीन अभियान

उत्तराखण्ड राज्य में ''स्वच्छता ऐक्शन प्लान–नमामि गंगें क्लीन अभियान'' का क्रियान्वयन वर्ष 2017–18 से प्रथम चरण में गंगा बेसिन पर बसे प्रदेश के 05 जनपदों यथा चमोली (220 है0), उत्तरकाशी (300 है0), पौड़ी (80 है0), रूद्रप्रयाग (120 है0) एवं टिहरी (120 है0) में चिन्हीत 42 ग्राम पंचायतो मे परम्परागत कृषि विकास की गाईडलाईन के अनुसार किया गया है। भारत सरकार द्वारा दिये गये दिशा निर्देशानुसार प्रत्येक चयनित ग्राम पंचायत को एक कलस्टर के रूप में विकसित किया जा रहा है। योजना का मुख्य उद्देश्य कलस्टर अप्रोच के आधार पर चयनित गंगा बेसिन पर बसे ग्राम पंचायतो में पी0जी0एस0 सर्टिफिकेशन के अन्तर्गत जैविक कृषि का प्रोत्साहित करना है, जिससे की कृषि में प्रयोग किये जाने वाले रसायनों से होने वाले जल प्रदूषण से गंगा नदी के जल को प्रदूषित होने से रोका जा सके।

भारत सरकार द्वारा द्वितीय चरण में योजनान्तर्गत कुल 50000.00 है0 क्षेत्रफल में योजना संचालित की जा रही है। जिसके अन्तर्गत वर्ष 2020–21 से जनपद हरिद्वार में 10000 है0, टिहरी में 20000 है0, चमोली में 5000 है0, उत्तरकाशी में 5000 है0, रूद्रप्रयाग में 5000 है0, पौड़ी में 5000 है0 एवं देहरादून में 500 है0 क्षेत्रफल आच्छादित किया जा रहा है। योजनान्तर्गत उत्पादित जैविक उत्पादों का विपणन नमामि गंगे ब्रांड के अन्तर्गत किया जा रहा है। योजनान्तर्गत जैविक कृषि के साथ–साथ औद्यौनिकी, सूक्ष्म–सिचाई एवं कृषि वानिकी से सम्बन्धित कार्यो को भी सम्मलित कर फसलों के उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्वि करते हुए कृषकों की आय बढाने का प्रयास किया जा रहा है। उत्तराखण्ड को जैविक प्रदेश बनाने की दिशा में इस कार्यक्रम का महत्वपूर्ण योगदान है।

(ग) मुख्यमंत्री राज्य कृषि विकास योजना

राज्य सरकार द्वारा शत प्रतिशत वित्त पोषित यह योजना वर्ष 2020–21 से संचालित की जा रही है। वर्ष 2024–25 हेतु ₹ 3500.00 लाख का बजट आवंटन हुआ है, जिसके सापेक्ष ₹ 2507.72 लाख का व्यय किया गया है। वर्ष 2025–26 हेतु ₹ 3500.00 लाख की धनराशि प्रस्तावित है।

(घ) उत्तराखण्ड स्टेट मिलेट मिशन

भारत सरकार द्वारा मंडुवा, सांवा आदि फसलों को पौष्टिक अनाज श्रेणी में अधिसूचित किया गया है तथा भारत सरकार के प्रस्ताव के क्रम में वर्ष 2023–24 को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष के रूप में मनाया गया।

पोषण संबंधी असुरक्षा विश्व की आबादी के लिए एक बड़ा खतरा है एवं अधिकतर जनसंख्या अनाज आधारित आहार पर निर्भर है, जिनमें सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी होती है, जिसकी पूर्ति मिलेट फसलों (मंडुवा/ झंगोरा (सांवा)/ रामदाना/ कौणी/ चीना) से की जा सकती है। क्योंकि मिलेट (मंडुवा/ झंगोरा (सांवा)/ रामदाना/ कौणी/ चीना) पौष्टिक रूप से धनी है, इनमें उच्च मात्रा में प्रोटीन आवश्यक अमीनो एसिड खनिज और विटामिन होते है। मिलेट फसलें जलवायु के अनुकूल कठोर और शुष्क भूमि वाली फसलें है, जिन्हें पौष्टिक अनाज भी कहा जाता है, जो खाद्य और पोषण सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण योगदान देते है। आम तौर पर ये असिंचित क्षेत्रों में तथा कम वर्षा

वाले क्षेत्रों में उगाई जाने वाली फसलें है। ये फसलें टिकाऊ खेती और खाद्य सुरक्षा के लिए अत्याधिक महत्वपूर्ण है। प्रमुख मिलेट फसलों में मण्डुवा/ कांगनी/सांवा/कुटकी/कोदो आदि सम्मिलित है। ये सभी मिलेट पोषक तत्वों से भरपूर है तथा 2 से 4 महीनों में परिपक्व हो जाती है, जो व्यापक अनुकूलन शिफ्टिंग कल्टीवेशन तथा प्रकृति की अप्रत्याशित अनियमितताओं के साथ तालमेल बिठाने योग्य है।

वर्तमान में उत्तराखण्ड में मिलेट्स के तहत क्षेत्रफल लगभग 1,10,000 हेक्टेयर और उत्पादकता 1.5 मिट्रिक टन/हेक्टेयर है। अधिक उपज देने वाली मिलेट्स किस्मों और बेहतर कृषि पद्धतियों पर ध्यान केंद्रित करके उत्तराखण्ड में उत्पादकता और कृषकों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि की जा सकती है।

यह कार्यक्रम राज्य में मंडुवा/ झंगोरा (सांवा)/ रामदाना/ कौणी/ चीना के उत्पादन में दृष्टव्य वृद्धि और मिलेट्स मूल्य श्रृंखला में विभिन्न क्रियाकलापों के माध्यम से कृषकों की आय में दृष्टव्य वृद्धि का कारक होगा, जिसके लिए स्टेट मिलेट पॉलिसी में उत्तराखण्ड सरकार द्वारा संचालित मिलेट्स मिशन–2023 को सम्मिलित कर और आर्कषक रूप में जोड़कर प्रारूपित करना है।

इस कार्यक्रम द्वारा एक ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र बनाना है, जो मिलेट्स उत्पादक कृषकों को लाभ पहुंचा सके और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उत्तराखण्ड के मिलेट्स ब्रांड को स्थापित कर सके।

मिलेट पॉलिसी का संचालन दो चरणों में किया जा रहा है। प्रथम चरण वर्ष 2025–26 से 2027–28 तक एवं द्वितीय चरण वर्ष 2028–29 से 2030–31 तक किया जायेगा। पॉलिसी के अन्तर्गत चयनित फसल मंडुवा/ झंगोरा (सांवा)/ रामदाना/ कौणी/ चीना हैं।

क्षेत्र– 68 विकासखण्डों में दो चरणों में लागू किया जायेगा।

प्रथम चरण– 24 विकासखण्डों (30,000 हे0)

द्वितीय चरण– 44 विकासखण्डों (40,000 हे0)

पात्रता– चयनित विकासखण्डों में मिलेट्स की खेती करने वाले कृषक स्वयं सहायता समूह, गैर सरकारी संस्था, एफ0पी0ओ0 आदि।

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा कुल ₹ 134.188 करोड़ की उत्तराखण्ड स्टेट मिलेट पॉलिसी की संचालन हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है।

अ) मिलेट पॉलिसी अन्तर्गत बुवाई पर प्रोत्साहन की व्यवस्था की गयी है। पॉलिसी के प्रथम वर्ष में सीधी बुवाई करने पर ₹ 4000.00 हे0 की दर से प्रोत्साहन कृषकों को उपलब्ध कराया जायेगा।

ब) समूहों को कृषकों से मिलेट्स अन्तग्रहण पर ₹ 2300.00 प्रति कुं0 दिया जायेगा। कृषकों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर मंडुवा अन्तग्रहण का कार्य किया जायेगा।

स) मिलेट्स के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 02 समूहों/ कृषकों को ₹ 10,000 पुरस्कार दिया जाना प्रस्तावित है।

ग) मिलेट फसलों के मूल्य संर्वद्धन हेतु विकासखण्ड स्तर पर 01 प्राथमिक प्रसंस्करण इकाई स्थापित करने हेतु उक्त पॉलिसी के अन्तर्गत प्रस्तावित है।

घ) स्टेट मिलेट पॉलिसी अन्तर्गत श्री अन्न पार्क विकसित किया जायेगा, जिसमें विभिन्न एकीकृत घटकों के माध्यम से मिलेट्स को बढ़ावा दिया जायेगा।

मिशन का प्रमुख उद्देश्य

1. मंडुवा/ झंगोरा (सांवा)/ रामदाना/ कौणी/ चीना मिलेट्स की खेती के तहत क्षेत्रफल को बढ़ावा देना।
2. पर्वतीय क्षेत्रों में अन्य फसलों के स्थान पर मंडुवा/ झंगोरा (सांवा)/ रामदाना/ कौणी/ चीना के फसलोत्पादन को प्रोत्साहित करना।
3. मंडुवा/ झंगोरा (सांवा)/ रामदाना/ कौणी/ चीना मिलेट्स की उत्पादकता वृद्धि करना।

4. मिलेट्स प्रसंस्करण इकाई की स्थापना करना जिससे सफाई ग्रेडिंग, डीहलिंग आदि तकनीक से लेकर पैकेजिंग, लेबलिंग के कार्य में आत्मनिर्भरता कायम की जा सके।
5. मिलेट्स फसलों में कृषकों को फसलोत्पादन से प्रसंस्करण एवं विपणन तक सभी क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्रदान कर क्षमता निर्माण करना।
6. मिलेट्स खेती को प्रोत्साहित करना तथा विपणन सुविधा विकसित करना।
7. आजीविका के नए स्रोत उपलब्ध कराकर पर्वतीय क्षेत्रों के गांवों से पलायन को कम करना।

उत्तराखण्ड को उच्च गुणवत्ता वाले मंडुवा/ झंगोरा (सांवा)/ रामदाना/कौणी/ चीना मिलेट्स के अग्रणी उत्पादक के रूप में बढ़ावा देना।

5.1.21 राज्य क्षेत्र योजनाएँ

राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री राज्य कृषि विकास योजना, अनुसूचित जाति/जनजाति बाहुल्य ग्राम कृषि विकास योजना, स्वच्छता एक्शन प्लान–नमामि गंगे तथा उत्तराखण्ड स्टेट मिलेट मिशन जैसी योजनाओं के माध्यम से कृषि क्षेत्र को सुदृढ़ किया जा रहा है।

5.2 गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग

राज्य में गन्ना एवं चीनी उद्योग ग्रामीण अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण घटक है। पेराई सत्र 2025–26 में राज्य में कुल 8 चीनी मिलें संचालित हैं। गन्ना पेराई, चीनी उत्पादन, औसत परता तथा गन्ना मूल्य भुगतान की स्थिति तालिका 5.9 एवं 5.10 में प्रस्तुत है।

तालिका 5.9

क्र0 सं0	विवरण	इकाई	पे0स0 2025–26 (14.01.2026 तक)	पेराई सत्र 2024–25	पेराई सत्र 2023–24	पेराई सत्र 2022–23	पेराई सत्र 2021–22
1	गन्ना पेराई	लाख कुन्तल	183.73	391.40	305.80	484.06	436.42
2	चीनी उत्पादन	लाख कुन्तल	16.48	37.44	31.12	48.76	44.18
3	औसत चीनी परता	प्रतिशत	8.97	9.57	10.18	10.07	10.12

स्रोतः गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग उत्तराखण्ड

2– राज्य की चीनी मिलों के विरूद्व पेराई सत्र 2025–26 एवं विगत पेराई सत्रों के अवशेष गन्ना मूल्य की धनराशि का विवरण निम्नवत प्रस्तुत हैः–

तालिका 5.10

क्र0 सं0	पेराई सत्र	गन्ना मूल्य की धनराशि (लाख रूपये में)			अवशेष प्रतिशत	अभ्युक्ति
		देय	भुगतान	अवशेष		
1	2025-26	73171.14	49558.36	23612.78	67.72	दि0 14.01.2026 तक
2	2024-25	144996.5	143482.83	1513.72	98.95	दि0 03.12.2025 तक
3	2023-24	113302.21	113302.21			
4	2022-23	169717.82	169717.82			
5	2021-22	153077.00	153077.00			
6	2020-21	121935.93	121935.93			
7	2019-20	131618.83	131618.83			
8	2018-19	117059.61	106555.35	10604.26	9.12	मात्र निजी क्षेत्र की चीनी मिल इकबालपुर के विरूद्व अवशेष।
9	2017-18	129257.45	129257.45			मात्र निजी क्षेत्र के बन्द हो चुकी चीनी मिल काशीपुर के विरूद्व अवशेष/ प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल में विचाराधीन है।
10	2011-12	90546.51	88172.15	2374.36	2.62	

स्रोतः गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग उत्तराखण्ड

4– आयोजनेत्तर कार्यक्रमों के अन्तर्गत प्रगतिः

(अ) बजट प्रस्ताव (लाख रूपये में)	3639.87
(ब) बजट स्वीकुत (लाख रूपये में)	3639.87
(स) व्यय (लाख रूपये में)	2469.01

5.2.1 चीनी मिलें– पेराई सत्र 2025–26 में राज्य में कुल 08 चीनी मिले (02 सहकारी क्षेत्र, 02 सार्वजनिक क्षेत्र एवं 04 निजी क्षेत्र) संचालित है। चीनी मिलों द्वारा पेराई सत्र 2024–25 हेतु कुल 391.40 लाख कुन्तल गन्ने की पेराई करते हुऐ 37. 44 लाख कुन्तल चीनी का उत्पादन किया गया। पेराई सत्र 2024–25 में राज्य की समरत चीनी मिलों का औसत चीनी परता 09.48 प्रतिशत है।

पेराई सत्र 2025–26 हेतु अध्यावधिक तक कुल 183.73 लाख कुन्तल गन्ने की पेराई करते हुऐ 16. 48 लाख कुन्तल चीनी का उत्पादन किया गया, तथा अंकन ₹ 731.71 करोड़ के सापेक्ष अकन ₹ 495.58 करोड गन्ना मूल्य का भुगतान किया जा चुका है।

5.2.2 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन–राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025–26 हेतु अकन ₹ 50.00 लाख के सापेक्ष अंकन ₹ 29.36 लाख की धनराशि प्राविधानित की गई है। जिसके सापेक्ष विभाग को प्रथम किस्त के रूप में अंकन ₹ 14.68 लाख अवमुक्त किये गये, जिसका उपयोग योजनान्तर्गत शत्प्रतिशत कर लिया गया है।

5.2.3 मुख्यमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना– राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025–26 हेतु अकन 506.63 लाख के सापेक्ष अंकन ₹ 178.21 लाख की कार्ययोजना की SLSC समिति द्वारा सहमति प्रदान की गयी है। जिसके सापेक्ष विभाग को आतिथि तक धनराशि अप्राप्त है।

5.2.4 गन्ना कृषकों को ऋण वितरण– वित्तीय वर्ष 2024–25 में ऋण विवरण अकन ₹ 10.35 करोड़ कृषि निवेश यथा उर्वरक, रसायन, कृषि यत्र, गन्ना बीज आदि नावार्ड ऋण में वितरित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2025–26 हेतु सहकारी गन्ना विकास समितियों के माध्यम से कृषि निवेशों के रूप में अकन ₹ 11.91 करोड़ का नाबार्ड ऋण कृषकों को वितरित किया गया है। (31.12.2025 तक)

5.2.5 ग्रन्ना कृषकों एवं कर्मचारियों को प्रशिक्षण– गन्ना विकास विभाग द्वारा संचालित गन्ना किसान संस्थान एवं प्रशिक्षण केन्द्र काशीपुर द्वारा गन्ना शोध से सम्बन्धित विशेषज्ञ वैज्ञानिकों के द्वारा वित्तीय वर्ष 2025–28 में अध्यावधिक तक ग्राम स्तरीय 55 कृषक प्रशिक्षण कर 2527 कृषकों को एवं 55 कर्मचारी प्रशिक्षण कर 684 कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया है। एक शरदकालीन गोष्ठी में 105 कृषक एवं 141 कर्मचारी/अधिकारी कुल 246 को प्रशिक्षित किया गया है।

5.2.6 शरदकालीन गन्ना बुवाई हेतु प्रजनक बीज गन्ना का आवंटन– वित्तीय वर्ष 2025–26 के वित्तीय वर्ष 2026–27 हेतु गन्ना शोध केन्द्रों से प्रजनक गन्ना बीज की चीनी मिल परिक्षेत्रों द्वारा उपलब्ध कराई गई माग 22121.00 कुन्तल के सापेक्ष गन्ना शोध केन्द्रों पर गन्ना बीज की उपलब्धता के अनुसार 4348.00 कुन्तल प्रजनक गन्ना बीज का आवंटन किया गया है। वित्तीय वर्ष 2025–26 एवं 2026–27 हेतु राज्य में गन्ना क्षेत्रफल 1.15 लाख हेक्टेयर किये जाने का लक्ष्य है।

5.2.7 Issues

- कृषि जोतों का अत्यधिक विखंडन एवं सीमांत कृषकों की अधिकता
- वर्षा आधारित खेती पर अत्यधिक निर्भरता
- विपणन एवं मूल्य संवर्धन अवसंरचना की सीमाएँ
- पर्वतीय क्षेत्रों से निरन्तर पलायन
- जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभाव

5.2.8 Way Forward

- एकीकृत एवं सहवर्गीय कृषि प्रणालियों का विस्तार

- मिलेट्स, जैविक एवं प्राकृतिक खेती को रणनीतिक बढ़ावा
- एफपीओ, ई–नाम एवं प्रसंस्करण इकाइयों के माध्यम से बाजार एकीकरण
- सूक्ष्म सिंचाई, जल संरक्षण एवं जल उपयोग दक्षता में वृद्धि
- कृषि आधारित आजीविका सृजन द्वारा पलायन में कमी

निष्कर्षात्मक दृष्टिकोण

राज्य में घटते कृषि क्षेत्रफल के बावजूद उत्पादकता में वृद्धि यह दर्शाती है कि तकनीक–आधारित एवं विविधीकृत कृषि मॉडल भविष्य की दिशा है। सतत विकास लक्ष्य–2 (Zero Hunger) की प्राप्ति हेतु राज्य एवं केंद्र सरकार द्वारा संचालित योजनाएँ ग्रामीण आजीविका को सुदृढ़ करने, प्रवासी श्रमिकों के पुनर्वास तथा कृषि–आधारित अर्थव्यवस्था को स्थायित्व प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।

उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभागः–

उत्तराखण्ड राज्य की विविध जलवायु एवं भौगोलिक परिस्थितियाँ उद्यानिकी विकास के लिए अत्यन्त अनुकूल हैं। राज्य में फल, सब्जी, मसाला, पुष्प, मशरूम एवं मौनपालन जैसी औद्यानिक गतिविधियाँ व्यापक रूप से की जाती हैं। उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा विभिन्न केन्द्रीय एवं राज्य पोषित योजनाओं के माध्यम से इस क्षेत्र के समग्र विकास हेतु निरन्तर प्रयास किए जा रहे हैं।

5.2.9 क्षेत्रफल, कृषक एवं आर्थिक योगदानः–

राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 53.48 लाख हेक्टेयर है, जिसमें से 6.96 लाख हेक्टेयर क्षेत्र कृषि फसलों के अंतर्गत आता है। इनमें से लगभग 1.71 लाख हेक्टेयर क्षेत्र औद्यानिकी फसलों के अंतर्गत आच्छादित है।

औद्यानिकी क्षेत्र से लगभग 4.50 लाख कृषक जुड़े हुए हैं, जिनमें से लगभग 88 प्रतिशत लघु एवं मझोले कृषक हैं। राज्य में औद्यानिकी फसलों का वार्षिक व्यवसाय लगभग ₹ 3350 करोड़ का है तथा कृषि क्षेत्र के सकल घरेलू उत्पाद में औद्यानिकी (खाद्य प्रसंस्करण सहित) की भागीदारी 30 प्रतिशत से अधिक है।

5.3 औद्यानिकी उत्पादन की स्थिति (वर्ष 2024–25)

राज्य में कुल 1.71 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में औद्यानिकी फसलें की जा रही हैं, जिससे लगभग 11.15 लाख मीट्रिक टन उत्पादन प्राप्त हो रहा है।

तालिका 5.11

जनपदवार फल, सब्जी, आलू, मसाला तथा पुश्पों के अन्तर्गत आच्छादित क्षेत्रफल एवं उत्पादन के आंकड़े (वर्श 2023–24 एवं 2024–25)

(क्षेत्रफल है0 में, उत्पादन–मै0टन में, स्पाईक/कटफ्लावर लाख संख्या में)

क्र सं	जनपद	2023–24											2024–25										
		फल		सब्जी		आलू		मसाला		पुश्प			फल		सब्जी		आलू		मसाला		पुश्प		
		क्षे0	उत्पादन	क्षे0	उत्पादन	क्षे0	उत्पादन	क्षे0	उत्पादन	क्षे0	उत्पादन		क्षे0	उत्पादन	क्षे0	उत्पादन	क्षे0	उत्पादन	क्षे0	उत्पादन	क्षे0	उत्पादन	
											स्पाईक	लूज										स्पाईक	लूज
1.	नैनीताल	9744	86610	5396	41636	1444	16215	2346	12491	54	85	198	9748	85850	5458	41367	1443	16210	2346	12443	5	63	194
2.	उधमसिंह नगर	8142	63593	8825	106679	2446	50776	1437	12014	149	90	686	8190	63971	8585	103554	2446	50779	1416	11723	8	71	589
3.	अल्मोड़ा	8040	27856	3637	17244	762	7998	1884	6798	20	2	55	7835	26359	3617	15931	777	8108	1909	6564	3	2	69
4.	बागेश्वर	2483	7639	1272	6527	737	4576	449	2756	8	0.11	4	2480	7842	1304	6771	741	4619	461	2819	6	0	5
5.	पिथौरागढ़	5913	15996	3217	27621	1122	9446	683	4329	18	3	12	5847	14451	3212	27635	1123	9449	681	3628	5	2	12
6.	चम्पावत	4123	7503	2389	15684	900	8642	1227	6427	6	8	11	4126	7497	2390	15693	902	8695	1226	6223	5	7	9
7.	देहरादून	8672	30292	4973	35080	587	11293	2446	13522	71	95	103	8675	30946	5044	34309	602	11321	2243	12256	5	27	83
8.	पौड़ी	6567	14909	3073	19862	676	4865	1427	7258	38	3	53	6547	14544	3133	18551	682	4868	1460	7143	5	5	55
9.	टिहरी	5099	20973	5782	53280	1833	16809	2016	15340	67	2	336	5109	21017	5795	53371	1833	16811	1915	15043	8	2	34
10	चमोली	3465	6781	1882	9750	706	4801	600	1567	25	0.50	23	3536	6916	1589	7629	709	4822	632	1551	2	0	31
11	रूद्रप्रयाग	2050	2651	1294	1876	710	885	664	549	12	0	11	2037	2643	1297	1922	712	4314	667	773	1	0	14
12	उत्तरकाशी	8799	39749	11015	58015	4022	32166	1709	3886	4	0	4	8991	40056	11084	58152	4024	32228	1723	3892	2	2	4
13	हरिद्वार	6599	35462	4961	84203	1227	23050	977	7873	169	87	764	6630	35873	4974	84019	1220	22785	959	7635	8	89	855
	योग	**79695**	**360014**	**57716**	**477456**	**17171**	**191522**	**17866**	**94810**	**644**	**375**	**2260**	**79750**	**357966**	**57483**	**468906**	**17214**	**195009**	**17639**	**91694**	**63**	**272**	**1953**

स्रोतः उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उत्तराखण्ड

5.3.1 फल उत्पादन

फल फसलों के अंतर्गत 0.79 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में 3.58 लाख मीट्रिक टन उत्पादन, सब्जियों के अंतर्गत 0.57 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में 4.69 लाख मीट्रिक टन उत्पादन, आलू की खेती 0.17 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में की जा रही है, जिससे 1.95 लाख मीट्रिक टन उत्पादन तथा मसालों के अंतर्गत 0.17 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में 0.92 लाख मीट्रिक टन उत्पादन किया जा रहा है।

5.3.2 पुष्प, मशरूम एवं मौनपालन

राज्य में 656 हेक्टेयर क्षेत्र में पुष्प उत्पादन किया जा रहा है, जिससे 1953 मीट्रिक टन खुले पुष्प एवं 272 लाख डंडी/बल्बयुक्त पुष्पों का उत्पादन होता है। इसके अतिरिक्त राज्य में 1886 मीट्रिक टन शहद तथा लगभग 20,000 मीट्रिक टन मशरूम का उत्पादन किया जा रहा है।

5.4. शीतोष्ण फल

राज्य में सेब, आड़ू, नाशपाती, अखरोट, प्लम, खुबानी एवं कीवी प्रमुख शीतोष्ण फल हैं। जलवायु परिवर्तन को दृष्टिगत रखते हुए सेब की नवीन स्पर प्रजातियों, अखरोट एवं अन्य गिरीदार फलों, रंगीन नाशपाती एवं आड़ू को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

5.4.1 समशीतोष्ण फल

आम, लीची, अमरूद, आंवला, अनार एवं नींबू वर्गीय फल प्रमुख समशीतोष्ण फल हैं। इसके अतिरिक्त ड्रैगन फ्रूट, स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, रंगीन आम/अमरूद एवं पपीता जैसी नई फसलों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है।

5.5 पुष्प उत्पादन

राज्य में पुष्प उत्पादन का मुख्य उद्देश्य निकटवर्ती महानगरों (दिल्ली/चंडीगढ़) की बढ़ती मांग की पूर्ति करना है। इसके अंतर्गत कट फ्लावर एवं लूज फ्लावर दोनों प्रकार की खेती की जा रही है।

5.6 संरक्षित खेती

कम जोत में अधिक एवं गुणवत्तायुक्त उत्पादन हेतु पॉलीहाउस एवं शेडनेट हाउस के माध्यम से संरक्षित खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। वर्तमान में लगभग 18.15 लाख वर्गमीटर क्षेत्र में पॉलीहाउस स्थापित हैं।

5.7मौनपालन विकास

शहद उत्पादन एवं पर–परागण द्वारा फसल उत्पादकता बढ़ाने हेतु मौनपालन कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। राज्य में 7826 मौनपालकों द्वारा लगभग 0.95 लाख मौनवंशों से 1886 मीट्रिक टन शहद का उत्पादन किया जा रहा है।

5.8 मशरूम उत्पादन

मशरूम उत्पादन लघु एवं सीमान्त कृषकों के लिए लाभकारी गतिविधि है। राज्य में बटन, ऑयस्टर एवं मिल्की मशरूम उत्पादन की इकाइयाँ स्थापित हैं तथा लगभग 20,000 मीट्रिक टन उत्पादन किया जा रहा है।

5.9 कीवी उत्पादन

कीवी की बढ़ती मांग एवं जंगली जानवरों से कम नुकसान के दृष्टिगत उत्तराखण्ड कीवी पॉलीसी का शुभारम्भ किया गया है। वर्तमान में उत्तराखण्ड में लगभग 722.40 है0 क्षेत्रफल में कीवी की बागवानी करते हुए 385 मै0टन उत्पादन किया जा रहा है।

5.10 औद्यानिकी से संबंधित प्रमुख योजनाएँः–

5.10.1 पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजनाः– वर्तमान वित्तीय वर्ष में अब तक लगभग 2.20 लाख कृषकों द्वारा अपनी फसलों का बीमा कराया गया है।

5.10.2 राष्ट्रीय उद्यान मिशन (HMNEH):– वित्तीय वर्ष 2025–26 में भारत सरकार द्वारा ₹ 6250.00 लाख की कार्य योजना स्वीकृत की गयी है, जिसके अन्तर्गत मुख्य रूप से 1222 है0 में फलों, 914 है0 में सब्जियों, 336 है0 में मसाला व 302 है0 में पुष्पों का क्षेत्रफल विस्तार, 2015 है0 क्षेत्रफल में प्लास्टिक मल्चिंग, 02 मशरूम उत्पादन इकाई स्थापना, 338 औद्यानिक यन्त्रीकरण का वितरण, 767 व्यक्तियों को प्रशिक्षण, 4500 वर्गमी0 शेडनेट

हाउस, 14000 वर्गमी0 में संरक्षित खेती, 2500 वर्गमी0 पॉलीहाउस में उन्नत पुष्प रोपण सामग्री, 10.00 लाख वर्गमीटर एन्टी हेलनेट की स्थापना भी की गई है।

5.10.3 प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजनाः— Per Drop More Crop घटक के अन्तर्गत वर्श 2025—26 में लगभग 693.00 है0 क्षेत्र में टपक/फब्बारा सिंचाई की व्यवस्था की गयी।

- **मुख्यमंत्री एकीकृत बागवानी विकास योजनाः**— वर्ष 2025—26 में लगभग 0.74 लाख फल पौध, 180.92 कुन्तल सब्जी, 130.00 कु0 आलू बीज, 147.20 कु0 लहसुन/मशाला बीज, 176 कि0/ली0 पौध रक्षा रसायन का वितरण किया गया है।

- **प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना (PMFME):**— योजना अन्तर्गत लगभग 2520 व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त हो रहा है। वर्ष 2025—26 में योजनान्तर्गत 1000 सूक्ष्म खाद्य इकाईयों की स्थापना किये जाने का लक्ष्य है, जिसके सापेक्ष लगभग 211 इकाई स्थापित हो चुकी है।

- **उत्तराखण्ड एकीकृत औद्यानिक विकास परियोजनाः**— आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा ₹ 526.00 करोड़ की "उत्तराखण्ड एकीकृत औद्यानिक विकास परियोजना" स्वीकृत की गई है। वर्ष 2024—25 में ₹ 15.44 करोड़ की धनराशि अवमुक्त की गई है। जिसका कियान्वयन जनपद उत्तरकाशी, टिहरी, नैनीताल तथा पिथौरागढ़ में किया जा रहा है।

5.11 अन्य उपलब्धियॉ :—

- राज्य में औद्यानिक उत्पादों के सग्रंहण, ग्रेडिंग/पैकिंग व्यवस्था हेतु लगभग 958 पैक हाउस स्थापित किये गये हैं।

- उत्तराखण्ड राज्य में वर्तमान में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से कुल 25 कोल्ड चैन इकाईया (जनपद उधमसिंहनगर में 17, नैनीताल में 02, हरिद्वार में 02 व देहरादून में 02) स्थापित हैं। इन कोल्ड चैन इकाईयों में 21 इकाईयॉ औद्यानिकी आधारित हैं, जिनकी वार्षिक क्षमता लगभग 64508 मै0टन है एवं दुग्ध आधारित 02 कोल्ड चैन इकाईयों की क्षमता 187.60 कि0लीटर प्रतिदिन है।

- राज्य में स्थापित सामुदायिक फल संरक्षण केन्द्रों एवं प्रशिक्षण केन्द्र पर लगभग 2991 कुन्तल फल एवं सब्जी प्रसंस्करण किया गया, 27523 प्लास्टिक क्रेट्स का वितरण, 3840 किल्टा वितरण तथा 2247 व्यक्तियों को इस विषय में प्रशिक्षण दिया गया।

- विभाग द्वारा औद्यानिक निवेशों के वितरण हेतु लगभग 2951 किसानों को उद्यान कार्डों का वितरण कर पंजीकरण किया गया।

- निःशुल्क वृहद् वृक्षारोपण के अन्तर्गत वर्ष 2025—26 (वर्षाकाल) एवं शीतकाल में 6. 92 लाख निःशुल्क फल पौध वितरण किया गया है। शीतकालीन में लगभग 9. 00 लाख पौध वितरण का लक्ष्य है।

- प्रदेश में उच्च गुणवत्तायुक्त मशाला मिर्च(लाल मिर्च) की खेती को बढ़ावा देने हेतु राज्य सरकार द्वारा ₹ 7.00 प्रति किग्रा0 की दर से कास्तकारो/कृषकों को प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराई जा रही है। उक्त योजनान्तर्गत वर्ष 2025—26 में 104.00 कु0 मसाला मिर्च का उत्पादन किया गया है।

5.12 सगन्ध पौधा केन्द्र (CAP) दृ ऐरोमेटिक सेक्टर

सगन्ध पौधा केन्द्र (कैप) उत्तराखण्ड में सगन्ध

(Aromatic) फसलों के संरक्षण, उत्पादन, प्रसंस्करण, गुणवत्ता नियंत्रण एवं विपणन हेतु एक प्रमुख संस्थान है। इसका उद्देश्य शोध एवं प्रसार आधारित मॉडल के माध्यम से सगन्ध पौधों का टिकाऊ उपयोग सुनिश्चित करते हुए स्थानीय लोगों की आर्थिकी एवं जीवन स्तर में सुधार करना है।

1. विज़न

कैप का लक्ष्य उत्तराखण्ड को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सुगन्धित तेलों के क्षेत्र में एक विशिष्ट पहचान दिलाना है। इसके अंतर्गतः–

1. सगन्ध पौधों का संरक्षण एवं वैज्ञानिक खेती
2. प्रसंस्करण, गुणवत्ता नियंत्रण एवं बाज़ार सुनिश्चित करना
3. पर्वतीय क्षेत्रों में सुगन्धित तेलों के उत्पादन, मूल्यवृद्धि एवं बाज़ार नेतृत्व को बढ़ावा देना

2. रणनीति (PPP)

सगन्ध फसलों की खेती को ''PPP (Public–Private Partnership) मॉडल'' के रूप में अपनाया गया है, जिसमेंः –

1. कैप– इन्क्यूबेटर की भूमिका में
2. कृषक– प्राथमिक उत्पादक/सूक्ष्म उद्यमी – किसान बहुत छोटे उद्यमी के रुप में कार्य करता है, जिसका काम नर्सरी उगाना तथा फसलों की खेती करना है।
3. उद्यमी– लघु/मध्यम स्तर पर आसवन एवं प्रसंस्करण – इन्ही किसानो में से उन किसानों को चुना जाता है जो कि आसवन सयंत्र की मदद से इन फसलों का तेल निकालने के इच्छुक होते है, इन्हे छोटे मध्यम उद्यमी का दर्जा दिया जाता है।
4. उद्योग– अंतिम क्रेता एवं विपणन साझेदार – इस व्यवस्था में आखिरी भूमिका उद्योग की है, जो कैप के माध्यम से किसानों के समूह से जुडकर अपनी आवश्यकतानुसार सुगन्धित तेल क्रय करते है।

इस मॉडल का उद्देश्य अधिक से अधिक किसानों को जोड़ना, नेतृत्व विकसित करना तथा मूल्य श्रृंखला को सुदृढ़ करना है।

3. एरोमेटिक सेक्टर का वर्तमान परिदृश्य

1. विकसित ऐरोमा क्लस्टरः– 109
2. कृषकः– 28,548
3. क्षेत्रफलः– 9,713 हेक्टेयर
4. उत्पादनः– 1,940 टन (सगन्ध तेल, हर्ब, फूल एवं पत्तियाँ)
5. स्थापित आसवन संयंत्रः – 199

4. मनरेगा के अंतर्गत प्रगति (वर्ष 2025–26)

1. लक्ष्य क्षेत्रफलः– 268 हेक्टेयर
2. आच्छादित क्षेत्रफलः– 202 हेक्टेयर (लैमनग्रास, तेजपात, तिमूर)
3. लाभान्वित कृषकः– 1,312
4. सृजित मानव दिवसः– 54,000

5. उत्तराखण्ड महक क्रांति नीति

1. विकसित की जा रही ''07 ऐरोमा वैली'' (पिथौरागढ़, चंपावत, अल्मोड़ा, चमोली, पौड़ी, हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर)
2. लक्षित क्षेत्रफलः– 22,750 हेक्टेयर
3. लक्षित लाभार्थीः– 90,000 + कृषक

6. प्रमुख पहलें

6.1 तिमूरू द उत्तराखण्ड

1. स्थानीय प्रजाति ''तिमूर'' से विकसित परफ्यूम
2. विपणन ''हाउस ऑफ हिमालय'' के माध्यम से किया जा रहा है।

6.2 ऐरोमा पार्क, काशीपुर

1. क्षेत्रफलरू 40 एकड़ (SIDCUL)
2. प्रस्तावित इकाइयाँ– 50
3. आरक्षित प्लॉट– 37
4. संभावित रोजगार– 1,500 प्रत्यक्ष, 5,000 अप्रत्यक्ष

6.3 सेटेलाइट सेंटरः– ऐरोमा वैली में कृशकों को गुणवत्तायुक्त पौध सामग्री, प्रशिक्षण, प्रसंस्करण आदि की सुविधा Door step पर प्रदान करने हेतु

1. कुल प्रस्तावित सेटेलाइट सेंटर – 06
2. शिलान्यासः– 05, लोकार्पण 01 (13 दिसम्बर 2025)

7. सगन्ध फसलों का चयन (कृषि–जलवायु अनुसार)

1. 4000 फीट तकः– लैमनग्रास, सिट्रोनेला, पामारोजा, गेन्दा (पटूला), मिंट, चंदन
3. 4000–6000 फीट तकः– डेमस्क गुलाब, तेजपात, कैमोमाइल, तिमूर, रोजमेरी, ओरिगेनो, जिरेनियम, गेन्दा (माइन्यूटा)
4. 6000 फीट से अधिक''रू डेमस्क गुलाब, कालाजीरा, कूठ, लैवेंडर

चयन मानदंडः–

1. भूमि स्वामित्व/वैध लीज
2. न्यूनतम क्षेत्रफल एवं विस्तार की संभावना
3. रोपण के 4–6 माह पश्चात कृषक पंजीकरण

8. प्रोत्साहन योजनाएँ

1. 0.1 हे. (5 नाली) तक ''निःशुल्क बीज–पौध सामग्री''
2. अधिकतम ''₹ 1.00 लाख'' या ''2 हे.'' तक कृषिकरण अनुदान
3. प्रोसेसिंग/आसवन इकाई पर अनुदानः– पर्वतीय क्षेत्र– 75% (₹ 10 लाख तक व्यय पर) तथा मैदानी क्षेत्र– 50% अनुदान।
4. गुणवत्ता परीक्षण शुल्क पर 50% छूट
5. 25 प्रजातियों हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य

9. कृषिकरण आधारित कार्यक्रमः– उक्तानुसार निम्न कार्यक्रमों के द्वारा सगन्ध कृशिकरण से कृषकों को अतिरिक्त आय के साधन उपलब्ध कराये जा रहे हैः–

1. बंजर/असिंचित भूमि में लैमनग्रास
2. बाउंड्री फसल के रूप में डेमस्क गुलाब
3. जापानी मिंट की एकल/इंटरक्रॉपिंग
4. कृषि वानिकी में तेजपात
5. अन्य फसलेंरू कैमोमाइल, गेन्दा, रोजमेरी, तिमूर, चंदन, जिरेनियम

5.13 अनुसंधान एवं तकनीकी विकास कार्यक्रम के अंतर्गत नवाचार

- 'तिमरू द उत्तराखण्ड' एवं 'उत्तराखण्ड भंगजीरा' का भौगोलिक संकेतक (GI) पंजीकरण हेतु फाइल किया जा चुका है।
- ''कुण्जा (Artemisia vulgaris)'' के व्यावसायिक उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इसके तेल की 'एंटी–dandruff एक्टिविटी' पर कार्य किया गया है, जिसकी निर्माण प्रक्रिया के पेटेन्ट हेतु भारतीय पेटेन्ट कार्यालय में आवेदन किया गया है।
- ''दालचीनी (Cinnamon)'' के Cinnamaldehyde content, TPC, TFC के आधार पर एक ''एंटी–ओबिसिटी कैप्सूल फार्मूलेशन'' विकसित किया गया है। इसकी निर्माण प्रक्रिया के पेटेन्ट हेतु भारतीय पेटेन्ट कार्यालय में आवेदन किया गया है, जो प्रकाशित हो चुका है।
- मानव संसाधन विकास कार्यक्रम के अंतर्गत ''कैप की परफ्यूमरी प्रयोगशाला'' में प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारम्भ कर दिए गए हैं।
- ''सुगंध पौधा केन्द्र, सेलाकुई, देहरादून'' द्वारा लेमनग्रास की एक उन्नत प्रजाति

विकसित की गई है, जिसका विमोचन ''श्री पुष्कर सिंह धामी, माननीय मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड'' द्वारा दिनांक ''13 दिसम्बर, 2025'' को किया गया।

5.14 उत्तराखण्ड चाय विकास बोर्ड

उत्तराखण्ड राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में चाय विकास की संभावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए वर्ष ''1993–94'' में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ''चाय विकास परियोजना'' का शुभारम्भ कुमाऊँ एवं गढ़वाल मंडलीय विकास निगम के माध्यम से किया गया।

उत्तराखण्ड राज्य गठन के पश्चात चाय विकास कार्यक्रम को गति देने हेतु राज्य सरकार द्वारा ''उत्तराखण्ड चाय विकास बोर्ड'' का गठन ''11 फरवरी, 2004'' को किया गया।

वर्तमान में बोर्ड द्वारा राज्य के ''9 पर्वतीय जनपदों'' (अल्मोड़ा, नैनीताल, बागेश्वर, चम्पावत, पिथौरागढ़, चमोली, रुद्रप्रयाग, पौड़ी एवं टिहरी) में चाय विकास कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है।

चाय प्लान्टेशन की प्रगति (नवम्बर 2024 तक)

1. बोर्ड योजना अंतर्गतः– 780.49 हैक्टेयर
2. स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान (SCP) अंतर्गत रू 223.44 हैक्टेयर मनरेगा अंतर्गत ₹ ''372. 08 हैक्टेयर''
3. बोर्ड द्वारा कुल ''53.37 लाख पौधों'' की नर्सरी अनुरक्षित की जा रही है, जिनसे वित्तीय वर्ष ''2024–25'' में ''101 हैक्टेयर'' क्षेत्र में नवीन प्लान्टेशन प्रस्तावित है।
4. बोर्ड में ''34 नियमित'' एवं ''46 संविदा कार्मिक'' कार्यरत हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न बागानों में ''3980 कास्तकार'' तथा ''2886 दैनिक श्रमिक'' कार्यरत हैं, जिनमें ''70–80 प्रतिशत महिलाएँ'' हैं।
5. मनरेगा योजना के अंतर्गत वर्ष ''2010–11'' से चाय विकास कार्यक्रम क्लस्टर रूप में संचालित किया जा रहा है, जिसके माध्यम से प्रतिवर्ष लगभग ''9.00 लाख मानव–दिवस'' रोजगार सृजित किए जा रहे हैं।

(क) बोर्ड के अंतर्गत संचालित चाय बागान

(क) उप परियोजना का नाम	स्वीकृति लक्ष्य	प्लान्टेशन की स्थिति
1– कौसानी (बागेश्वर) चाय बागान	211 हैक्टेयर	181.36 हेक्टेयर
2– नौटी (चमोली) चाय बागान	200 हैक्टेयर	184.14 हेक्टेयर
3– चम्पावत (चम्पावत) चाय बागान	200 हैक्टेयर	167.23 हैक्टेयर
4– घोड़ाखाल (नैनीताल) चाय बागान	200 हैक्टेयर	160.31 हैक्टेयर
5– जखोली (रुद्रप्रयाग) चाय बागान	100 हैक्टेयर	38.752 हैक्टेयर
6– खिरसु (पौडी गढ़वाल) चाय बागान	100 हैक्टेयर	19.842 हैक्टेयर
7– जौरासी /केदार गांव (अल्मोड़ा)	100 हैक्टेयर	17.03/2.23 हैक्टेयर
8– नरेन्द्र नगर (टिहरी गढ़वाल)		1.081 हैक्टेयर
9– राजकीय उद्यान (धौलादेवी)		8.51 हैक्टेयर
	1111 हैक्टेयर,	**780.49 हैक्टेयर,**

स्रोतः चाय विकास बोर्ड उत्तराखण्ड

नोटः– कास्तकारों की मांग पर ''99 हैक्टेयर'' विकसित चाय बागान उन्हें स्व–संचालन हेतु वापस किए जा चुके हैं।

5.14.1 जैविक चाय की खेती

राज्य सरकार द्वारा जैविक चाय की बढ़ती माँग को देखते हुए ''नौटी (चमोली), घोड़ाखाल (नैनीताल) एवं चम्पावत'' स्थित कुल ''581 हैक्टेयर'' चाय बागानों को जैविक में परिवर्तित किया गया है। इन बागानों से उत्पादित हरी पत्तियों से जैविक चाय का निर्माण किया जा रहा है।

- बोर्ड द्वारा ''घोड़ाखाल, चम्पावत एवं नौटी'' में स्वयं की प्रोसेसिंग फैक्ट्रियाँ स्थापित की गई हैं।

- वित्तीय वर्ष ''2024–25'' में इन फैक्ट्रियों में ''40,048.5 किलोग्राम'' जैविक चाय का उत्पादन किया गया।
- जैविक चाय का विक्रय स्थानीय बाजारों के साथ–साथ ''कोलकाता ऑक्शन मार्केट'' में किया जा रहा है, जहाँ औसत विक्रय दर ''₹ 230 प्रति किलोग्राम'' प्राप्त हुई है।
- खुदरा बिक्री के माध्यम से औसत मूल्य ''₹ 650 प्रति किलोग्राम'' तक लाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

5.14.2 मृदा परीक्षण प्रयोगशाला

- बोर्ड द्वारा ''भवाली (नैनीताल)'' में एक आधुनिक मृदा परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित की गई है।
- अब तक ''9000 हैक्टेयर'' भूमि का परीक्षण कर ''2500 हैक्टेयर'' भूमि का चयन किया गया है, जिसमें 60% निजी कृषकों'' की भूमि सम्मिलित है।
- अन्य विभागों एवं कृषकों की मृदा परीक्षण सेवाओं से आय भी अर्जित की जा रही है।

5.14.3 रोजगार सृजन

बोर्ड द्वारा प्रतिवर्ष लगभग ''6.00 लाख मानव–दिवस'' रोजगार सृजित किया जा रहा है, जिसमें ''70–80% महिला सहभागिता'' सुनिश्चित है।

इससे बंजर भूमि का सदुपयोग, पलायन में कमी तथा महिला सशक्तीकरण को बल मिला है।

5.14.4 टी–टूरिज्म

उत्तराखण्ड चाय विकास बोर्ड द्वारा चाय बागानों को ''टी–टूरिज्म'' से जोड़ा गया है। पर्यटकों से निर्धारित शुल्क प्राप्त कर बोर्ड की आय में वृद्धि की जा रही है तथा उन्हें उत्तराखण्ड चाय की विशिष्ट पहचान से अवगत कराया जा रहा है।

5.15 रेशम विभाग

उत्तराखण्ड राज्य में समशीतोष्ण जलवायु तथा विविध भौगोलिक परिस्थितियों युक्त उच्च पर्वत श्रृंखलाएँ, नदियाँ, घाटियाँ, तराई एवं मैदानी क्षेत्र उपलब्ध हैं। राज्य में तापमान 4.5 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस तक तथा औसत आर्द्रता 26 प्रतिशत से 95 प्रतिशत तक रहती है। इन भौगोलिक परिस्थितियों में विभिन्न प्रकार की पारिस्थितिकीय संभावनाएँ विद्यमान हैं।

पर्यावरणीय अनुकूलता के कारण प्रदेश में चारों प्रकार के रेशम उत्पादन की प्रचुर संभावनाएँ मौजूद हैं। शहतूती रेशम कीटपालन मुख्यतः दून घाटी एवं मैदानी/तराई क्षेत्रों में किया जाता है, जबकि वनाधारित ओक टसर कीटपालन प्रमुख रूप से वन बाहुल्य पर्वतीय क्षेत्रों में किया जाता है। उच्च गुणवत्ता के बाइवोल्टीन रेशम कोया उत्पादक होने के कारण उत्तराखण्ड राज्य को '"बाइवोल्टीन सिल्क स्टेट"' के रूप में जाना जाता है। विशेषकर दून घाटी की जलवायु बाइवोल्टीन शहतूती रेशम उत्पादन के लिए अत्यधिक उपयुक्त है।